बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 130

बाजार समर्थक हों नीतियां

यह बात लंबे अरसे से समझी जा रही है कि एक तरफ शुल्कों की दीवार खड़ी कर दूसरी तरफ औद्योगिक नीति के जरिये देसी उद्योगों को सब्सिडी दी जाती है तो उसके कई बुरे नतीजे होते हैं। उनमें से एक है भारी भरकम देसी औद्योगिक समूह तैयार हो जाना।

यह बात भारतीय नीति निर्माताओं को ज्यादा अच्छी तरह समझ आनी चाहिए थी क्योंकि यह आजादी के बाद भारत के आर्थिक इतिहास का हिस्सा है। सन 1990 के दशक में जाकर उदारीकरण ने अर्थव्यवस्था में कुछ हलचल पैदा की। लेकिन अब कुछ संकेत इस बात की चिंता पैदा करने लगे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे हालिया दौर में उदारीकरण के बाद के चलन के ये पहलू उलटने लगे हैं। अर्थशास्त्री अजय छिब्बर ने हालमें हुए कुछ शोधों का जिक्र करते हुए इसी समाचार पत्र में लिखा कि किसी भी एक क्षेत्र के कुल उत्पादन में कुछेक बड़ी फर्मों की बड़ी हिस्सेदारी का चलन पिछले एक दशक में बढ़ गया है। साथ ही इन कंपनियों की कीमत तय करने की ताकत भी बढ़ गई है। ऐसे क्षेत्रों में होड़ नहीं होने के बारे में जो निष्कर्ष आए हैं वे भी परेशानी बढ़ाने वाले हैं। विरोधाभास यह है कि जो क्षेत्र ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उनमें कदम रखने में उतनी ही ज्यादा बाधाएं हैं। पहली बार कदम रखने वालों को उस क्षेत्र में पहले से काम कर रही कंपनियों के आकार के साथ तुलना कर कमतर समझ लिया जाता है।

अगर इन बातों को एक साथ रखकर देखें तो परेशान करने वाली तस्वीर उभरती है। भारत की वृद्धि अपेक्षाकृत छोटी संख्या में मौजूद बड़े कारोबारी घरानों के निवेश और उनके परिचालन विकल्पों पर निर्भर रह गई है। इनमें से कई पर अभी भी कुछ खास परिवारों का ही नियंत्रण है। ऐसा ढांचा जरूरी नहीं कि उत्पादक निवेश तैयार करे या उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी दबावों से संबद्ध लाभ दिलाए। निवेशक और टीकाकार आकाश प्रकाश इसी अखबार में लिखते हैं कि भारतीय कारोबार अल्पावधि के मुनाफे पर अधिक जोर देते हैं और निवेश पर कम। ऐसे में बाजार ढांचे का यह स्वरूप कैसे बरकरार है? आंशिक रूप से ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि वर्तमान के कुछ सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्रों मसलन दूरसंचार और ई-रिटेल में नेटवर्क की ऐसी बाह्यताएं शामिल होती हैं जो पहले से मौजूद बड़े आकार की कंपनियों को लाभ पहुंचाती हैं। परंतु यह भी मानना होगा कि काफी हद तक दोष नीतिगत चयनों पर भी जाएगा।

देश ने सचेतन ढंग से ऐसी औद्योगिक नीति और सरकार द्वारा निर्देशित निवेश को चुना जिसने अनिवार्य ढंग से बड़े कारोबारी समूहों को सशक्त बनाया। सरकार के लिए यह आसान होता है कि वह ऐसी कंपनियों वाले कॉरपोरेट के साथ सहयोग करे बजाय ऐसी नीतियां बनाने के जो कई छोटे कारोबारियों को प्रोत्साहन दें। कुछ लोग कहेंगे कि यह वृद्धि और उत्पादकता के लिए बुरी खबर नहीं है। आखिर जापान, कोरिया जैसे देश और यहां तक कि अमेरिका ने भी 19वीं सदी के आखिर में जाइबात्सु, चाइबोल और रॉबर बैरंस जैसे धनवान समूहों की मदद से वृद्धि हासिल की। इन समूहों ने सरकार के साथ सहयोग किया और रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे नए क्षेत्र विकसित किए। बहरहाल अंतर यह है कि इससे कार्यकुशलता में भी सुधार हुआ है क्योंकि उन्हें हमेशा टैरिफ के जरिये बचाया गया और निर्यात बाजार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

विदेश में कामयाब भारतीय कंपनियां कुछ संदिग्ध व्यापारिक उपयोगिता प्रदर्शित कर सकती हैं लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कामयाबी का शिखर छूने वाली कंपनियां यकीनन एक समस्या हैं। जैसा कि रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन कह चुके हैं, देश में सफलतम कारोबारियों की नई नस्ल विश्वस्तरीय उत्पाद या अंतरराष्ट्रीय ख्याति वाले ब्रांड नहीं तैयार कर रही है। यह भी कहा जा सकता है कि वे उस निवेश संसाधन की खपत कर रहे हैं जिसे अन्यथा किसी और जगह पर लगाया जा सकता था। बुनियादी समस्या इन कंपनियों में नहीं है क्योंकि ये तो बस अधिक से अधिक मुनाफा कमाने में लगी हैं। दिक्कत नीतिगत दिशा में है क्योंकि आर्थिक खुलापन बढ़ाने और सरकारी नियंत्रण कम करने की जरूरत है। परंतु हो इसका उलटा रहा है।

मार्जिन के मोह में उलझा भारत का उद्यमी जगत

भारतीय उद्यमियों को नवाचार के चक्र का फायदा उठाना चाहिए। उन्हें मुनाफे में अल्पावधि की गिरावट के कारण डरना नहीं चाहिए। बता रहे हैं आकाश प्रकाश

ऐपल के साथ काम कर रहे वरिष्ठ लोगों से बातचीत में एक बात साफ जाहिर होती है कि वे इस बात को लेकर निराश हैं कि भारत का कारोबारी जगत भारत में ऐपल के वास्ते उपयुक्त माहौल बनाने के लिए जरूरी इच्छाशक्ति नहीं दिखा रहा है। चीन उनकी राह में बाधाएं खड़ी कर रहा है जबकि देश के उद्यमियों का मुनाफे पर ध्यान भी एक बाधा है। फिर चाहे बात कलपुर्जा आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने की हो या डिस्प्ले यूनिट्स में विशाल पूंजी निवेश की, बड़े भारतीय समूह पूंजी की प्रतिबद्धता नहीं दिखा रहे।

उनका कहना है कि इसमें मार्जिन कम है और ऐपल गुणवत्ता व पैमाने को लेकर बहुत तगड़ी जांच करता है। यानी वास्तव में देखें तो पूंजी पर उचित रिटर्न पाने के लिए कई साल तक सतत प्रयास करने होंगे। क्या यह उपयुक्त है? कई उद्यमी यह मानते हैं कि उनके अंशधारकों को यह पसंद नहीं आएगा क्योंकि वे शुरुआती नुकसान को सहन नहीं करेंगे और पूंजी पर रिटर्न को लेकर सवाल उठाएंगे। मार्जिन में गिरावट के साथ मूल्यांकन पर दबाव बनेगा और बाजार पूंजीकरण पर भी। देश के उद्योगपतियों में यह आम धारणा है।

भारतीय बाजार मुनाफे पर बहुत अधिक केंद्रित हैं और इसके चलते पूंजी पर होने वाले रिटर्न पर भी। भारत का लॉन्ग टर्म इक्विटी मार्केट रिटर्न प्रोफाइल दुनिया के बेहतरीन रिटर्न प्रोफाइल में से एक है और पूंजी अनुशासन पर ध्यान केंद्रित करना इसकी मजबूती रही है। भारत द्वारा चीन से बेहतर रिटर्न (विगत 25 साल में चीन ने 4 फीसदी का वास्तविक रिटर्न दिया जबकि भारत ने 6.9 फीसदी) देने की एक वजह यह है कि वह मुनाफे और पूंजी आवंटन पर ध्यान देता है। वैश्विक निवेशक इस बात की सराहना करते हैं कि भारतीय उद्यमी पूंजी की कीमत समझते हैं।

हालांकि, क्या मुनाफे और बाजार पूंजीकरण पर इतना अधिक ध्यान दीर्घकालिक कमी के रूप में सामने आएगा? क्या भारतीय निवेशक अल्पकालिक लाभ पर इतना अधिक केंद्रित हैं कि वे हमारी कंपनियों को कामयाबी और वैश्विक नेतृत्व में सक्षम बनने के लिए दीर्घकालिक निवेश का अवसर तक नहीं दे रहे हैं? आखिरकार जब भी आप किसी नए कारोबार में जाते हैं या वैश्विक स्तर पर काम करने की क्षमता जुटाने का प्रयास करते हैं तो पहले निवेश करना होता है और नुकसान भी होता है। नवाचार के साथ जोखिम शामिल रहता है।

आखिर ऐपल को चीन में आपूर्तिकर्ता जुटाने में दिक्कत क्यों नहीं हुई? चीन के आपूर्तिकर्ता तकनीक सीखने और बड़े पैमाने पर काम करने के लिए कम मार्जिन स्वीकार करने को तैयार थे। इसकी बदौलत वे विनिर्माण के क्षेत्र में अग्रणी बने और वैश्विक विनिर्माण में उनकी हिस्सेदारी 32 फीसदी तक जा पहुंची। या फिर शायद वे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में प्रतिस्पर्धा ही नहीं करना चाहते और न ही नवाचार से जुड़े जोखिम उठाना चाहते हैं। भारतीय प्रवर्तक निवेशकों को दोष दे रहे हैं। शायद उच्च मूल्यांकन ने हर किसी को आत्मसंतुष्ट कर रखा हो। अगर आपको केवल भागीदारी की बदौलत अरबों डॉलर के मूल्यांकन वाली कंपनी बने रहने का अवसर मिल रहा है तो कुछ अलग क्यों करना? आईटी कंपनियों की बात करें तो अपने बेहतरीन दिनों में 30 फीसदी का आय मार्जिन होने के बावजूद उन्होंने कभी शोध एवं विकास पर उल्लेखनीय खर्च नहीं किया। अपने राजस्व का कुछ प्रतिशत हिस्सा भी नहीं। इस बारे में पूछे जाने पर वे अक्सर अपने निवेशकों पर दोष मढ़ते हुए कहते कि वे मुनाफा कम नहीं होने दे सकते वरना निवेशक बाजार में उन्हें दंडित करेंगे।

चीन कमजोर उदाहरण हो सकता है क्योंकि वहां कारोबारी क्षेत्र को सरकार भारी सब्सिडी देती है, वित्तीय आवंटन में अनुशासन का अभाव है और वे हर कीमत पर आकार और पैमाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमेरिका का अनुसरण जरूर किया जाना चाहिए। वॉल स्ट्रीट में मौजूद तकनीकी या स्वास्थ्य सेवा अथवा उपभोक्ता कंपनियों का अपनी बिक्री का 10 फीसदी शोध या ब्रैंडिंग पर व्यय करना आम बात है। इससे कम खर्च करने पर उन्हें दंडित किया जाता है। उदाहरण के लिए अकेले अल्फाबेट शोध एवं विकास पर 50 अरब डॉलर खर्च करती है जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 1 फीसदी से ज्यादा है। कंपनियों द्वारा अपने मुनाफे या नकदी से नए कारोबार शुरू करना आम बात है।

उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट को अज्योर क्लाउड कारोबार तैयार करने में छह वर्ष लगे, इस प्रक्रिया में उसने 10अरब डॉलर गंवाए। इसके बावजूद निवेशकों ने धैर्य रखा और कंपनी के पास यह स्पष्टता रही कि वह अल्पावधि में मार्जिन पर असर के बावजूद निवेश जारी रख सकती है। आर्टिफिशल इंटेलिजेंस तैयार करते समय भी कंपनी यही कर रही है। आपके पास नेटफ्लिक्स और एमेजॉन के उदाहरण हैं। ये वैश्विक नेतृत्व करने वाले नवाचारी कारोबारी मॉडल हैं। वर्षों बाद मुनाफा कमाने के अनुमान के बावजूद निवेशक इनमें निवेश के इच्छुक थे।

आखिर अमेरिका में सार्वजनिक बाजार घाटे में चल रहे इन कारोबारों में निवेश करने के इच्छुक क्यों रहे जबकि भारत में ऐसा नहीं रहा? क्या इसलिए कि अमेरिकी कंपनियां इन कारोबारों को विश्व स्तर पर ले जा सकती हैं और भारी मूल्य तैयार कर सकती हैं? सफल कारोबार इतना मूल्य तैयार करते हैं कि शुरुआती नुकसान की भरपाई हो जाए। उदाहरण के लिए एमेजॉन ने 1997 में सूचीबद्ध होने के बाद अपना बाजार पूंजीकरण 32 फीसदी सालाना की दर से बढ़ाया है। अमेरिकी बाजारों का उच्च मूल्यांकन नवाचार बढ़ाने के मामले में ढांचागत बढ़त साबित हो रहा है और जोखिम लेने की प्रवृत्ति सफल साबित हो रही है।

सच कहें तो नवाचार की कद्र करना और नए कारोबारों को चुनना अमेरिकी वित्तीय बाजारों की खासियत है। अमेरिका बुनियादी शोध की फंडिंग, उद्योग जगत के साथ अकादमिक साझेदारी और वेंचर कैपिटल तथा अन्य निवेशक समर्थित कंपनियों को हर कदम पर मदद करता है। भारत में भी अकादमिक जगत-उद्योग जगत और सरकार की साझेदारी मजबूत करनी होगी। हमें वेंचर कैपिटल की भी जरूरत है ताकि हम तकनीक की गहराई में जा सकें और उपभोक्ता केंद्रित ऐप्स से बाहर ध्यान देना चाहिए। हमें सार्वजनिक बाजार निवेशकों की जरूरत है जो अल्पावधि के मार्जिन से परे देख सकें।

भारत अपनी बिक्री का 1 फीसदी से भी कम शोध एवं विकास पर व्यय करता है। श्रम की कम लागत और शोध विकास पर न्यूनतम खर्च के बावजूद हमारी कंपनियों का मार्जिन वैश्विक समकक्षों से अधिक नहीं है। भारत में भी अमेरिका जैसा माहौल बन सकता है जहां निवेशक नए कारोबार खड़े करने के लिए शुरुआती घाटा सहने को तैयार रहते हैं। देश में निजी और सार्वजनिक बाजार की मजबूत व्यवस्था को देखते हुए भारत के पास अवसर है कि वह अमेरिका के अलावा इकलौता ऐसा बाजार बन सके जहां नुकसान उठा रहे कारोबारों की कद्र करते हुए सफलता के आकलन के लिए दीर्घकालिक नजरिया अपनाया जाए। हम अपने उच्च मूल्यांकन को ऐसे माहौल में बदल सकते हैं जहां जोखिम लेने को प्रोत्साहित किया जाए। हम शायद इकलौता बड़ा बाजार हैं जो अमेरिका के अनुकरण की उम्मीद कर सकता है क्योंकि हमारे यहां भी वैसी ही प्रोफाइल है जहां बाजार सफलता को खूब पुरस्कृत करता है।

मेरी नजर में देश के शीर्ष उद्यमियों को सार्वजनिक बाजार निवेशकों का साथ मिलेगा ताकि वे नए कारोबार खड़े कर सकें। सार्वजनिक बाजार अल्पावधि पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। कंपनियों को सार्वजनिक बाजारों से वृद्धि के लिए पूंजी जुटाना सहज लग सकता है बजाय कि निजी इक्विटी से जो अक्सर न्यूनतम रिटर्न की मांग करती है और सिर्फ 5-6 साल के परिदृश्य को ध्यान में रखती है।

भारत को नवाचार के चक्र का लाभ लेना होगा और हर किसी को इसमें अपनी भूमिका निभानी है। सरकार को बुनियादी फंडिंग देनी होगी और उद्योग और अकादमिक जगत के बीच रिश्ते मजबूत करने होंगे। निजी बाजारों को चाहिए कि वे वास्तविक नवाचार की मदद करें और सार्वजनिक बाजार निवेशकों को भी केवल अल्पावधि के मार्जिन की फिराक में नहीं रहना चाहिए। हम जोखिम लेने की संस्कृति विकसित कर सकते हैं जो अमेरिका के सिवा कोई देश नहीं विकसित कर पाया। हमें इस दिशा में काम करना चाहिए।

(लेखक अमांसा कैपिटल से जुड़े हैं)

बैंक के ईडी की पदावनति का दिलचस्प मामला

बैंकिंग साख

तमाल बंद्योपाध्याय

गत 24 जून को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने एक अधिसूचना जारी की: 'केंद्र सरकार वित्तीय सेवा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4/3/2023-बीओ.1 दिनांक 27 मार्च 2024 के तहत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक (ईडी) के रूप में 'ए' (नाम गोपनीय) की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द करती है और उन्हें उनके पिछले पद यानी पंजाब ऐंड सिंध बैंक में महाप्रबंधक के पद पर वापस भेजती है।'

'ए' के अलावा इस अधिसूचना की प्रति रिजर्व बैंक के गवर्नर, स्टेट बैंक के चेयरमैन, सभी सरकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी आदि को भेजी गई। सरकारी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध हमने कई अनुशासनात्मक कार्रवाई देखी हैं। सीबीआई और खुफिया ब्यूरो द्वारा उनकी जांच के मामले भी सुने हैं। यहां तक कि उनका गिरफ्तार होना और जेल जाना भी हमने देखा है लेकिन यह मामला विशिष्ट है।

वास्तव में हुआ क्या?

मैं केवल तथ्यों का उल्लेख करूंगा न कि सही-गलत का फैसला। इस किस्से की शुरुआत काफी पहले यानी वित्त वर्ष 2016-17 में हुई थी लेकिन ताजा प्रेरणा बनी दिल्ली उच्च न्यायालय में अगस्त 2024 में दायर एक जनहित याचिका। पंजाब ऐंड सिंध बैंक की एक महिला कर्मचारी ने इस याचिका में 'ए' की नियुक्ति को चुनौती देते हुए प्रश्न किया: 'बिना समुचित छानबीन के किसी को सरकारी बैंक का ईडी कैसे नियुक्त किया जा सकता है?'

इससे पहले उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत 'ए' की नियुक्ति से संबंधित सारी जानकारी जुटानी चाही। मुझे लगता है कि उन्हें सूचनाएं नहीं मिलीं। एक बार दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जांच शुरू करने के बाद मुख्य सतर्कता आयोग ने दखल दिया और सतर्कता मंजूरी देने से इनकार कर दिया। तब तक 'ए' की नियुक्ति हुए 14 महीने बीत चुके थे।

यहां पंजाब ऐंड सिंध बैंक के मुख्य सतर्कता आयुक्त और वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिका सामने आती है। एक बैंक में मुख्य सतर्कता आयुक्त सतर्कता कार्यों की देखरेख और नैतिक व्यवहार और नियमों के पालन पर नजर रखता है। सीवीसी और सीबीआई जरूरत पड़ने पर उसी से बात करते हैं। एक तरह से वह बैंक में गड़बड़ियां पहले ही रोकने की कोशिश करता है।

वित्त वर्ष 17 में महिला (हम उसे 'बी' मान लेते हैं) बैंक की इंदौर स्थित पीवाई रोड शाखा में मुख्य प्रबंधक थी, तब उन्होंने 'ए' द्वारा अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सूचना दी। उस समय 'ए' बैंक के सेंट्रल इंडिया के जोनल मैनेजर थे और भोपाल में पदस्थ थे।

14 दिसंबर 2017 को 'बी' का तबादला जबलपुर की कुंडम तहसील में स्थित एक शाखा में किया गया। महिला ने गलत इरादों से और अक्षम अधिकारी द्वारा तबादला किए जाने का दावा करते हुए मप्र उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ में चुनौती पेश की। इससे पहले महिला ने बैंक प्रबंधन में 'ए' के विरुद्ध यौन प्रताड़ना की शिकायत की थी। लंबी प्रतीक्षा के बाद 8 जनवरी 2019 को वह स्थानीय शिकायत समिति (एलसीसी) के पास गईं। कोई संस्थान जिसमें 10 से अधिक कर्मचारी हों उसे आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) बनानी ही होती है। उसकी अध्यक्षता एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी करती है और उसमें एक बाहरी सदस्य भी होता है।

एलसीसी की प्रक्रिया चल ही रही थी कि बैंक ने अपने मुख्यालय दिल्ली में आईसीसी का गठन कर दिया। 26 फरवरी 2019 को आई आईसीसी की रिपोर्ट में अधिकारी को बरी कर दिया गया। परंतु 17 जून 2019 को एलसीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आईसीसी का निष्कर्ष गलत है और शिकायत सही है। एलसीसी ने कहा कि 'बी' की पदोन्नति नहीं किए जाने के मामले पर दोबारा विचार हो। 'ए' को यौन प्रताड़ना का दोषी पाया गया और यह भी कि बैंक उनकी मदद कर रहा था। इस बीच मप्र उच्च न्यायालय के एकल पीठ ने 17 अप्रैल 2018 को 'बी' के स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया। बैंक ने उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच में अपील की लेकिन वहां भी यह खारिज हो गई। तब पंजाब ऐंड सिंध बैंक ने सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली और एक सिविल अपील दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने 25 फरवरी 2020 को अपील खारिज कर दी और उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के निर्णय को लागू रखा।

बैंक और 'ए' ने एलसीसी के आदेश के विरुद्ध मप्र उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। एलसीसी के आदेश के विरुद्ध एक और रिट याचिका लगाई गई थी। इन याचिकाओं में कहा गया कि आईसीसी के आदेश को अंतिम माना जाए और आईसीसी का प्रावधान होने पर एलसीसी की आवश्यकता ही नहीं है।

'बी' के अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि एलसीसी का आदेश अंतिम था और उसे केवल अपीलीय प्राधिकार के समक्ष चुनौती दी जा सकती है न कि उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में मामला चल ही रहा था कि मार्च 2024 में 'ए' को यूनियन बैंक का ईडी बना दिया गया। अगस्त 2024 में 'बी' ने नियुक्ति के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में नई याचिका दायर की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'अपराधी' को सतर्कता मंजूरी और ईडी के पद पर नियुक्ति के आधार को लेकर प्रश्न किया। दिल्ली उच्च न्यायालय में नियुक्ति को प्रश्नांकित करती याचिका पर सुनवाई को देखते हुए, पंजाब ऐंड सिंध बैंक द्वारा दायर रिट याचिका और 'ए' व एक अन्य व्यक्ति द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर याचिका को 8 अप्रैल 2025 को खारिज कर दिया गया। अदालत ने बैंक और 'ए' से कहा कि वे एलसीसी के निर्णय के विरुद्ध उचित मंच पर अपील करें। अंततः सरकार ने दखल दिया और नियुक्ति रद्द करके ए को वापस महाप्रबंधक बना दिया।

यहां कुछ सवाल उठते हैं: संबंधित अधिकारी को जोनल मैनेजर (उपमहाप्रबंधक की रैंक) से महाप्रबंधक कैसे बनाया गया? और बाद में ईडी भी बनाया गया। क्या यौन शोषण सतर्कता के दायरे में नहीं आता। एक सरकारी बैंक के ईडी का इस तरह पद छोड़ना आम बात नहीं है लेकिन उसका महाप्रबंधक के पद पर लौटना तो और भी अनोखी बात है। ईडी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं जबकि महाप्रबंधक बैंक के कर्मचारी होते हैं। वर्ष2012 में सरकार ने एक अधिसूचना के जरिये पूर्णकालिक निदेशक मसलन कार्यकारी निदेशक और प्रबंध निदेशक की पदोन्नति के मामले में सेवा जारी रखना सुनिश्चित किया। इससे पहले महा प्रबंधक को उच्च पद पर जाने के पहले सेवानिवृत्त होना पड़ता था।

यह 'डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक' का मामला है। इस विधिक सिद्धांत के तह भले ही कोई काम बाद में हुआ हो लेकिन उसे पहले हुआ मान लिया जाता है। ऐसा पहले उठाए गए कदम को वैध ठहराने के लिए किया जाता है। यह सिद्धांत कुछ कदमों को अतीत से लागू करने की सुविधा देता है ताकि उन्हें पिछली तिथि से प्रभावी बनाया जा सके।

सवाल यह है कि अगर किसी को ईडी के पद के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो क्या उसे महाप्रबंधक बनाया जा सकता है?

मैं एक ऐसा मामला जानता हूं जहां एक सरकारी बैंक में एक उपमहाबंधक, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में नैतिक पतन के आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं, उनको हाल ही में महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नति दी गई। क्या वह भविष्य में ईडी बनेंगे?

(लेखक जन स्मॉल फाइनैंस बैंक के वरिष्ठ सलाहकार हैं)

आपका पक्ष

अंतरिक्ष जाकर शुभांशु ने रचा इतिहास

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर करीब 18 दिन प्रवास करने के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला मंगलवार को पृथ्वी पर सकुशल लौट आए हैं। वह आईएसएस में जाने वाले पहले भारतीय और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। निश्चित तौर पर इस उपलब्धि से आज के बच्चे उन्हें अपना प्रेरणास्रोत मानेंगे और अंतरिक्ष की दुनिया को जानने में दिलचस्पी भी दिखाएंगे। 18 दिन के अपने प्रवास के दौरान भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम ने कई प्रयोग किए, जिनमें सात भारतीय शोधकर्ताओं ने तैयार किए थे। ऐक्सीअम-4 मिशन पिछले महीने 25 जून को फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से रवाना हुआ था। यह 26 जून को आईएसएस से जुड़ गया था। दो दिन तक बहुत कम गुरुत्वाकर्षण वाले माहौल से तालमेल बिठाने के बाद 29 जून से शुभांशु ने वैज्ञानिक प्रयोग शुरू किए थे। खबरों के मुताबिक 10 अक्टूबर, 1985 को जन्मे शुक्ला लखनऊ के एक मध्यमवर्गीय परिवार में पले-बढ़े। बचपन में एक एयर शो देखने की यात्रा ने उनमें एक चिंगारी जला दी। वह विमान की गति और ध्वनि से इतने मोहित हो गए कि उन्होंने उड़ने के अपने सपने के बारे में अपने घरवालों को बताया। शुभांशु के इस सफल अभियान से आगामी गगनयान परियोजना तथा अंतरिक्ष अनुसंधान में नए रास्ते खुलने के साथ, उनका अनुभव भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

राकेश सिंह, लखनऊ

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने के अगले दिन शुभांशु शुक्ला टेक्सस में अपने परिवार से मिले। उन्होंने बेटे को गले लगाया।

सोशल मीडिया पर रहें सावधान

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए सोशल मीडिया पर हेट स्पीच को लेकर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग हो रहा है और इसे जायज भी ठहराया जा रहा है। कुछ भी हो लेकिन लोगों को सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे किसी चीज का समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना कभी भी मुसीबत में डाल सकता है। वैसे भी सोशल मीडिया का प्रयोग शरारती तत्व गलत कामों के लिए कर रहे हैं। अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा जिसके तहत वह किसी भी तरह के विचारों और सूचनाओं के आदान-प्रदान को स्वतंत्र होगा, लेकिन यह आजादी कई तरह की सीमाओं के साथ है। इसका मतलब यह भी नहीं की अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग देश की एकता व अखंडता को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाए। सोशल मीडिया का प्रयोग मात्र मनोरंजन, सूचनाओं के आदान-प्रदान, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव या बुराइयों को दूर करने आदि के लिए होना चाहिए। फेसबुक और व्हाट्सऐप निजता के मामले में बार-बार सुर्खियों में आते रहे रहे हैं। हमारे देश में जिस तरह साइबर अपराध, चोरी, ठगी के मामले बढ़ रहे हैं, उस पर गौर किया जाए तो यह साफ जाहिर है कि साइबर सुरक्षा व्यवस्था खास उचित नहीं है, इसलिए आम लोगों का यह दायित्व बनता है कि सोशल मीडिया से अपनी निजता को खतरे में डालने से बचने के लिए सावधानी और सतर्कता इनके प्रयोग में बरतें।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में बड़े शहरों में अहमदाबाद को सबसे स्वच्छ शहर नामित किया गया, जिसके बाद भोपाल और लखनऊ का स्थान है। गुरुवार को आयोजित केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार प्रदान किया। इस दौरान केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे।

हिन्दुस्तान 1936

स्वच्छता की सराहना

भारत में स्वच्छता के पैमाने पर इंदौर आठवीं बार सिरमौर हुआ है, तो अपनी-अपनी श्रेणियों में लखनऊ और नोएडा के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। इस बार स्वच्छ शहरों की अलग श्रेणी बनाई गई है, जिसे सुपर लीग नाम दिया गया है और इंदौर ऐसे ही शहरों में अव्वल पाया गया है। सुपर लीग से अलग भी स्वच्छ बड़े शहरों की श्रेणी है, जिसमें अहमदाबाद पहले और लखनऊ तीसरे स्थान पर है। इसी तरह से तीन लाख से दस तक की आबादी के शहरों में नोएडा का अव्वल आना उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी कामयाबी है। अनेक बड़ी कंपनियों के दफ्तर और एक बड़े रोजगार केंद्र के रूप में पूरी ताकत से उभरे नोएडा को अपनी यह जगह बनाए रखनी चाहिए। तहजीब के लखनऊ को भी स्वच्छता के मामले में पीछे देखने के बजाय कमियों को दूर करते हुए आदर्श बनना चाहिए। पटना और रांची जैसे राजधानी शहरों में भी सुधार सराहनीय है, पर उत्तर भारत के ज्यादातर शहरों को स्वच्छता के पैमानों पर खरा उतरने के लिए अपने प्रयास तेज करने पड़ेंगे।

याद रहे कि भारत में स्वच्छता मापने का यह अभियान साल 2014 में स्वच्छ भारत अभियान के साथ शुरू हुआ था और पहले इस अभियान या रैंकिंग में 73 शहर निकाय ही शामिल हुए थे, पर इस बार 4,500 शहरों ने स्वच्छता की दौड़ में खुद को शामिल किया है। स्वच्छता के प्रति शहरों में तेजी से बढ़ता लगाव सुखद और स्वागतयोग्य है। अपने शहर को साफ रखने वालों की संख्या बढ़ रही है। बहरहाल, यह अच्छी बात है कि इस बार की स्वच्छता रैंकिंग में शहरों को अलग-अलग पांच श्रेणियों में रखा गया है। अलग-अलग श्रेणी का सीधा सा अर्थ है कि सरकार किसी भी शहर को उपेक्षा का एहसास कराना नहीं चाहती। वाकई, एक बड़ी आबादी वाले शहर से कम आबादी वाले शहर की तुलना ठीक नहीं है। पहली श्रेणी में बीस हजार से कम आबादी वाले शहरों के साथ ही बीस से पचास हजार की आबादी वाले शहरों में स्वच्छता के मोर्चे पर ज्यादा निवेश की जरूरत है। मुख्य रूप से दैनिक सफाई और कचरा प्रबंधन युद्ध स्तर पर सुनिश्चित करना चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों में स्वच्छता संबंधी मूल्यों को शामिल करने और युवाओं को स्वच्छता को अपने स्वभाव में ढालने के लिए हर तरह से प्रेरित करना चाहिए। पर्यटन के बड़े केंद्रों या शहरों की स्वच्छता में आ रहा सुधार भी बहुत प्रशंसनीय है।

लखनऊ और नोएडा के नाम खुशखबरी है, पर उत्तर भारत के ज्यादातर शहरों को स्वच्छता के पैमानों पर खरा उतरने के लिए अपने प्रयास बहुत तेज करने पड़ेंगे।

एक शहर को साफ रखने के लिए जितने भी जरूरी पैमाने हैं, उन पर स्थानीय निकायों को काम करने के साथ ही लोगों को भी जिम्मेदार बनाना चाहिए। कोई दोराय नहीं है कि भारत में स्वच्छता को दशकों तक हल्का विषय माना गया और स्वच्छता अभियान में भी बहुत उदारता बरती गई। समय आ गया है कि कुछ जगहों पर गंदगी फैलाने वालों को वाकई दंडित किया जाए। आर्थिक दंड अवश्य वसूला जाना चाहिए। हालांकि, इससे पहले स्थानीय निकायों को अपने गिरेबां में झांकना होगा। क्या ये निकाय स्वयं तमाम जरूरी स्वच्छता पैमानों को लागू करने की स्थिति में हैं? आखिर कितने निकायों को गीला और सूखा कचरा अलग करने में कामयाबी मिली है? ध्यान रहे, स्वच्छता के लिए शहरों को दिए गए पुरस्कार 54 संकेतकों वाले 10 स्पष्ट मानकों पर आधारित हैं। सभी संकेतकों के बारे में जन-जागरूकता से ज्यादा जरूरी है निकाय प्रशासन की सजगता। विजेता शहरों को देखना चाहिए कि उनके यहां कहां खुले नाले बह रहे हैं और कूड़े के कितने पहाड़ बचे हुए हैं? मतलब, शहर-दर-शहर अभी बहुत सफाई बाकी है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 18 जुलाई, 1950

समन्वय का प्रयास

कोरिया-युद्ध की प्रगति युद्ध में कहे जाने वाले लोकतंत्रीय पक्ष की हार और साम्यवादी पक्ष की जीत का भय उपस्थित कर रही है। आक्रमणकर्ता की स्थिति प्रारंभ में हमेशा ही अच्छी रहा करती है। इस दृष्टि से यह आशा करने की काफी गुंजाइश है कि प्रारम्भ के विरुद्ध अन्त लोकतंत्रीय पक्ष के अनुकूल हो सकता है। फिर भी यह भय तो है ही कि युद्ध बढ़कर विश्व के तीसरे महासमर का रूप न ले ले और चूंकि सभी देश दूसरे महासमर की बरबादी से अभी सम्हल नहीं पाये हैं, साथ ही उसके बुरे परिणाम अभी ताजे ही हैं, प्रायः सभी की इच्छा कम से-कम अभी तीसरे विश्व युद्ध को बचाने की है। भारत जैसे देशों के लिए तो युद्ध से बचे रहना और भी आवश्यक है, जिनकी नीति शांतिवादी है और जिनके सामने सद्यप्राप्त स्वतंत्रता को सुरक्षित बनाने तथा उसके साथ आई शरणार्थियों जैसी समस्याएं सुलझाने को पड़ी हैं। अतः आक्रमण के विरुद्ध भारतीय विरोध होते हुए भी भारत की यह आकांक्षा अनिवार्य है कि लड़ाई बढ़ने के बजाय वहीं सीमित रहे और शांतिपूर्ण ढंग से बन्द हो जाय। जिस एशिया में युद्ध का यह सूत्रपात हुआ है, उसमें भारत का स्थान विशिष्ट है और भारत के नेता पं. जवाहरलाल नेहरू की ओर एशिया के राष्ट्र प्रायः मार्गदर्शन की दृष्टि से देखते भी हैं। ऐसी हालत में इस दिशा में कुछ करने की किसी से आशा की जा सकती है तो वह नेहरूजी से ही, क्योंकि उनके नेतृत्व में भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने को अमरीकी व सोवियत गुट से स्वतंत्र रखा है, जिसके कारण वही दोनों पक्षों में समन्वय कराने की क्षमता भी रखते हैं। इस मास की 12 जुलाई को मार्शल स्टालिन और श्री डीन अचेसन को निजी पत्र लिखकर नेहरूजी ने अपने इस कर्तव्य का ही पालन किया, यह कहना चाहिए।

कोरिया-युद्ध में नेहरूजी की मध्यस्थता करने की बात चाहे किसी के मस्तिष्क की कल्पनामात्र हो, रूस व अमरीका को भेजे उनके पत्रों की जो प्रतिक्रिया हुई है, उससे लगता है कि मध्यस्थता कोई कर सकता है तो यह नेहरूजी ही कर सकते हैं। परन्तु मध्यस्थता के लिए अपने को पेश नहीं किया जाता, उभय पक्ष की ओर से उसके लिए आग्रह किया जाता है। अतः स्टालिन व अचेसन को लिखे पत्रों में नेहरूजी ने अपने मध्यस्थ बनाये जाने की दरख्वास्त की हो, यह सोचना गलत है।

भरोसेमंद चुनाव में ही बांग्लादेश की भलाई

वहां सत्तारूढ़ दल अपनी झोली भरने में जुटे हुए हैं। बीएनपी जबरन वसूली में जुटी है, तो छात्रों की नेशनल सिटीजन पार्टी भी उसी राह पर है। चुनाव के बारे में कोई नहीं सोच रहा।

पिनाक रंजन चक्रवर्ती | पूर्व उच्चायुक्त, बांग्लादेश

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के गढ़ गोपालगंज में हिंसक टकराव और पुलिस कार्रवाई में चार लोगों के मारे जाने के बाद हालात एक बार फिर अराजकता की ओर मुड़ते दिख रहे हैं। मोहम्मद यूनुस निस्संदेह वहां अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन उनकी शायद ही चल रही है। वास्तव में, छात्रों की नेशनल सिटीजन पार्टी, जमात-ए-इस्लामी और कट्टरपंथी पार्टियां ही बांग्लादेश में सरकार चला रही हैं। नतीजतन, वहां विरोधी दलों के समर्थकों की हत्या की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। यहां तक कि सांस्कृतिक केंद्रों पर भी हमले हो रहे हैं।

अल्पसंख्यकों को वहां किस तरह निशाना बनाया जा रहा है, इसकी तस्दीक 'बांग्लादेश हिंदू-बौद्ध-ईसाई ओइक्या परिषद' द्वारा जारी आंकड़ों से होती है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हितों के लिए लड़ने वाले इस समूह ने दावा किया है कि साल 2025 के शुरुआती छह महीनों में अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाने की 258 घटनाएं घटीं, जिनमें कई लोग मारे गए हैं। पिछले साल अगस्त से दिसंबर तक के आंकड़ों के लिहाज से, जिनमें 2,184 घटनाएं सामने आई थीं, नए आंकड़े बेशक कम प्रतीत होते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक तबके के लोग भय में जी रहे हैं।

दरअसल, अभी बांग्लादेश में सत्तारूढ़ तमाम दल अपनी झोली भरने में जुटे हुए हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) जबरन वसूली कर रही है, नेशनल सिटीजन पार्टी भी अपने पांव पसारने के लिए इसी राह पर बढ़ चली है। चुनाव के बारे में कोई नहीं सोच रहा। हां! बीएनपी जरूर जोर दे रही है, क्योंकि उसे लगता है कि अवामी लीग की गैर-मौजूदगी में उसे सत्ता संभालने का मौका मिल सकता है। मगर बाकी दल शायद ही उससे इत्तफाक रखते हैं। मोहम्मद यूनुस भी सत्ता का सुख नहीं छोड़ना चाहते।

तो क्या अवामी लीग का भविष्य अब खत्म हो गया है? ऐसा अभी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। वहां कानून-व्यवस्था की स्थिति अभी काफी खराब है और लोगों में डर पसर रहा है। यह सही है कि अभी अवामी लीग के खिलाफ सियासी प्रतिशोध की भावना है और उसे चुनाव लड़ने के ही अयोग्य बता दिया गया है। मगर वहां की आम जनता शेख हसीना को भूली नहीं है। आम लोग चुनाव की मांग करने लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यह गैर-सांविधानिक सरकार है और यदि इसे आगे सत्ता में रहना है, तो चुनावी रास्ते से इसको जनादेश हासिल करना चाहिए।

पिछले दिनों ढाका में लोगों ने चुनाव की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था। गोपालगंज में भी विरोध-प्रदर्शन हुए हैं। मौजूदा अंतरिम सरकार के खिलाफ यह लोगों की आवाज है। वहां का एक बड़ा तबका यह मानने लगा है कि यह सरकार कई मोर्चों पर विफल साबित हो रही है। आम लोगों की परेशानी यह भी है कि उनसे कोई भी जबरन वसूली कर लेता है। पुलिस भी अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रही, क्योंकि उसे भी निशाना बनाया जा रहा है।

इन्हीं सब वजहों से यह उम्मीद जगने लगी है कि शेख हसीना के दिन फिर सकते हैं। अब यह धारणा मजबूत होती जा रही है कि उनके खिलाफ साजिश की गई थी, जिसमें अमेरिका भी शामिल था। जिस तरह से हसीना समर्थकों का हौसला लौटता हुआ दिख रहा है, माना जा रहा है कि चुनाव के बाद शायद उनके लिए संभावना बन सकती है। हालांकि, ये चुनाव कब होंगे, अभी ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता।

बांग्लादेश की यह दुर्दशा आतंकियों के लिए खाद-पानी का काम कर सकती है। खबर है, पाकिस्तानी तालिबान यहां अपने लड़ाकों की भर्ती में सक्रिय हो गया है। 1971 के बाद से वहां कुछ लोग पाकिस्तान समर्थक रहे हैं। वहां ऐसे कई कट्टरपंथी मिल जाएंगे, जो आज भी इस मुल्क के गठन को उचित नहीं मानते। बांग्लादेश को वे इस्लामी मुल्क बनाने के पक्षधर हैं। हालांकि, अच्छी बात यह है कि ऐसी सोच रखने वाले लोग चुनाव में मात खाते रहे हैं। इनको दो-चार से अधिक सीटें नहीं मिल सकी हैं। इनकी कोशिश छात्र-छात्राओं और नौजवानों की मानसिकता बदलने की है। वे उनमें भारत-विरोधी भावनाएं भरने का काम करते हैं। मगर इनको मिली विफलता बताती है कि बांग्लादेशी अपनी खुदमुख्तारी को लेकर संजीदा हैं।

चीन भी यहां अपने पांव फैलाने की कोशिशों में जुटा है। हमारे सीडीएस, यानी 'चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ' अनिल चौहान ने उचित ही कहा है कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का गठजोड़ बनता जा रहा है, जो भारत के लिए चिंता की वजह बन सकता है। दरअसल, इस पूरे उप-महाद्वीप में भारत के खिलाफ चीन जो कुछ भी कर सकता है, वह करता रहा है। बांग्लादेश में चूंकि तख्ता-पलट हो चुका है और उसे पैसों की जरूरत है, इसलिए निवेश बढ़ाने के नाम पर बीजिंग की मंशा ढाका में अपने कदम मजबूत करने की है। मगर उसकी राह में पाकिस्तान खड़ा है, क्योंकि उसे भी ढाका की जरूरत है। आईएसआई और पाकिस्तानी फौज के हुक्मरान लगातार बांग्लादेश पहुंच रहे हैं और उसे हथियारों की खरीद का ऑफर दे रहे हैं। मगर ऐसा कोई समझौता अब तक नहीं हुआ है। हालांकि, इन दोनों देशों को यह समझना चाहिए कि अभी बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का शासन है। पूर्ण सरकार के बाद स्थिति बदल सकती है। वैसे भी, अंतरिम सरकार के साथ किए गए समझौते शायद ही प्रभावी रह पाते हैं।

बहरहाल, भारत इस चुनौती से जूझने को तैयार है। बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध अभी बहुत अच्छे भले न हों, लेकिन ढाका को पूरी तरह उसके हाल पर छोड़ देना भी उचित नहीं होगा। ऐसे में, अच्छा यही होगा कि वहां लोकतंत्र समर्थक ताकतों की हम मदद करें और परदे के पीछे से कूटनीतिक प्रयास जारी रखें। वहां निष्पक्ष और भरोसेमंद चुनाव जल्द से जल्द हों, इसकी कोशिश हमें करनी चाहिए।

ऐसे वक्त में, जब सभी देश बांग्लादेश से अपना हित साध रहे हैं, हमें इसी रणनीति पर आगे बढ़ना चाहिए। अमेरिका यहां भू-राजनीतिक खेल खेलने में शामिल है। बांग्लादेश में लोकतंत्र को कमजोर करने में उसकी भूमिका अब किसी से छिपी नहीं रही। उसका जोर राखीन कॉरिडोर पर है, क्योंकि इसके माध्यम से वह म्यांमार में जुंटा विरोधी गुटों तक आसानी से पहुंच सकता है। चीन के दबदबे को खत्म करने को भी वह इच्छुक है। ऐसे में, भारत को अपनी जरूरत के हिसाब से ही यहां कदम बढ़ाना चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मतदाता सूची के पुनरीक्षण से परेशान क्यों कुछ पार्टियां

अजय आलोक | राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी

भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक ढांचा है, जिसकी शक्ति निष्पक्ष चुनाव और जन-भागीदारी में निहित है। चुनाव आयोग इस व्यवस्था का आधार है, जो हरेक भारतीय नागरिक को स्वतंत्र और पारदर्शी मतदान का अधिकार देता है। बिहार में हाल ही में शुरू हुई मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) इसी उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में एक डिजिटल, समावेशी और निष्पक्ष पहल है।

चौंकाने वाली बात है कि कांग्रेस, राजद और अन्य विपक्षी दल इस प्रक्रिया पर सवाल उठाकर इसे अल्पसंख्यकों और वंचित वर्गों के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। प्रश्न यह उठता है कि जब यह प्रक्रिया सभी जिलों, तमाम जातियों व समुदायों पर समान रूप से लागू होती है और सभी को समान अवसर प्रदान करती है, तो फिर इस पर संदेह करने का आधार क्या है? यह विरोध दरअसल उस पुरानी मानसिकता का परिणाम है, जो पारदर्शिता की जगह तुष्टिकरण और धांधली को चुनावी अस्त्र मानती रही है। यह वही मानसिकता है, जिसने बिहार को वर्षों तक 'बूथ कैप्चरिंग' और भय की राजनीति का शिकार बनाए रखा।

आखिर विशेष गहन पुनरीक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? पिछले दशकों में मतदाता सूची में फर्जी नाम, मृत व्यक्तियों के नाम, एक ही व्यक्ति का कई जगहों पर नाम होने जैसी अनेक खामियां पाई गईं। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए ही विशेष गहन पुनरीक्षण आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसे मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए जाएं, जिनका निधन हो चुका है, ताकि उनके नाम पर फर्जी मतदान न हो सके। जो मतदाता किसी दूसरे स्थान पर चले गए हैं, उन्हें नई जगह की मतदाता सूची में पंजीकृत करना और पुरानी जगह से उनका नाम हटाना आवश्यक होता है। फिर 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करके लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिहाज से भी पुनरीक्षण का कदम जरूरी होता है।

बिहार का हरेक वोटर मतदाता सूची पुनरीक्षण में भाग ले। यह जनमत की गरिमा को सुरक्षित रखने का राष्ट्रीय दायित्व भी है।

बिहार के सीमांचल जैसे क्षेत्रों से लगातार ऐसी खबरें आती रही हैं कि अतिरिक्त आधार कार्ड का उपयोग कर गैर-कानूनी तरीके से लोगों को मतदाता सूची में शामिल कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल व नेपाल की सीमा से सटे होने और बांग्लादेश से अधिक दूर न होने के कारण सीमांचल घुसपैठियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन गया है। ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने व दोषरहित चुनावी प्रक्रिया पूरी करने के लिए मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण बहुत आवश्यक कदम है।

विपक्षी दलों द्वारा इस प्रक्रिया का विरोध दरअसल उस पारदर्शिता और ईमानदारी का विरोध है, जो उनके राजनीतिक अस्तित्व के लिए संकट बन चुकी है। जब फर्जी वोटर हटाए जाएंगे, मृत और दोहरे नाम सूची से निकल जाएंगे, तब स्वाभाविक है कि कदाचार के जरिये चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की संभावनाएं भी खत्म हो जाएंगी। बिहार के विपक्षी दलों को यह डर सताने लगा है कि इससे उनके कृत्रिम वोट बैंक का सफाया हो सकता है। उनको यह भी भय है कि 18 वर्ष के बाद पहली बार मतदाता बने युवा जातिवादी, वंशवादी राजनीति से दूर भाग रहे हैं। यह वर्ग डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, एनईपी-2020 जैसी एनडीए सरकार की पहल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रवादी नेतृत्व से प्रभावित है। ऐसे में, विपक्ष का पारंपरिक समीकरण गड़बड़ा जाएगा। इसलिए पुनरीक्षण प्रक्रिया को दागदार ठहराने की कोशिशें की जा रही हैं।

मतदाता पुनरीक्षण की मौजूदा कवायद में चुनाव आयोग ने शिकायत निवारण प्रणाली को तेज किया है, ई-गवर्नेंस आधारित प्रणाली लागू की है, एसआईआर के हर चरण को पारदर्शी बनाया है। भारत में चुनाव आयोग जैसी संस्था लोकतंत्र की रीढ़ है। उसकी निष्पक्षता, तकनीकी दक्षता व पारदर्शिता पर बिना किसी ठोस प्रमाण के आरोप लगा देना न केवल इस सांविधानिक संस्था का अपमान है, बल्कि जनता की समझ का भी निरादर है। जरूरत इस बात की है कि हरेक नागरिक मतदाता सूची पुनरीक्षण में भाग ले, अपने अधिकारों को सुनिश्चित करे और लोकतंत्र को सशक्त बनाए। यह केवल नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जनमत की गरिमा को सुरक्षित रखने का राष्ट्रीय दायित्व भी है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

कस्तूरी कुंडली बसै

किसी ने सवाल किया है- मैं हमेशा दुविधा में रहता हूं कि उस तक मैं पहुंचने में समर्थ हो सकूंगा अथवा नहीं?

दरअसल, लक्ष्य का पूरा विचार ही भ्रमपूर्ण है। तब तुम भविष्य में रहना शुरू कर देते हो और समय है अभी, स्थान है यहां। 'अभी और यहीं' की अपेक्षा 'तुरंत' शब्द अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। दुखी बने रहने की पूरी कला ही यही है। यही है वेदना का पूरा आधार। यह तुम्हें विभाजित कर देता है। तुम्हें तुम्हारे वर्तमान यथार्थ से पृथक कर देता है। लक्ष्य अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है और परिणाम कम महत्वपूर्ण हो जाता है, जबकि परिणाम ही असली हैं और लक्ष्य केवल एक सपना है।

मैं लक्ष्यों के विरुद्ध हूं। परमात्मा एक लक्ष्य नहीं है, सत्य को पाना कोई लक्ष्य नहीं है। सत्य तो पहले से ही यहां है। यदि तुम भी यहीं हो, तब मिलना होगा ही। लेकिन तुम यहां हो ही नहीं। परमात्मा यहां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है और वह तुम्हें कभी यहां पाता ही नहीं, तुम कहीं और होते हो, किसी अन्य ग्रह पर, किसी दूसरे समय और स्थान में। यह परमात्मा के पास तुम्हारे जाने का प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न तुम्हारे ही परमात्मा के पास आने का है, यह प्रश्न तो घर वापस लौट आने का है। यहां परमात्मा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।

युगों से मनुष्य को एक ही चीज सिखाई गई है कि उसे कुछ बनना है; कि उसे अपने आप में कुछ सुधार करना है; कि उसे कुछ प्रगति करनी है। यह विचार तुम्हारी हड्डियों, मांस और मज्जा में प्रविष्ट हो गया है। और यह तुम्हें पागल बनाए चलाता रहता है। कभी तुम्हें चैन से नहीं रहने देता। इस मन के साथ विश्राम करना संभव ही नहीं है। लेकिन तुम्हें हमेशा सिखाया गया है धक्का देना और शीघ्रता करना, क्योंकि समय कम है और समय ही धन है। दरअसल, कुछ बनना एक जहरीला विचार है। यदि तुम कुछ बनने के जाल में पड़े हो, तो हमेशा मानसिक रूप से रुग्ण बने रहोगे।

मैं यहां तुम्हें कोई लक्ष्य नहीं दे रहा, क्योंकि सभी लक्ष्य किसी विशिष्ट दिशा की ओर उन्मुख होते हैं, और वे तुम्हें अधिक से अधिक दुखी बनाएंगे। मेरा प्रयास सभी लक्ष्यों और आदर्शों को तुमसे छीन लेने का है। तुम्हें मैं एक पूरी तरह से भिन्न अंतराल में, एक अलग तरह की चाल-ढाल में छोड़ देने का प्रयास कर रहा हूं। यह क्षण बहुत सुंदर और दोषरहित है।

जो तुम्हारे अंदर छिपा बैठा है, वही सब कुछ है। उसके लिए तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। उसके लिए तो तुम्हें अपनी आंखें खोलने की भी जरूरत नहीं है।

जो तुम्हारे अंदर ही छिपा बैठा है, वही सभी कुछ है और वही आवश्यक है। उसके लिए तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। उसके लिए तुम्हें अपनी आंखें खोलने की भी जरूरत नहीं है। उसके लिए तुम्हें एक कदम उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। इसी वजह से लाओत्से कहता- यदि तुमने उसे खोजा, तो चूक जाओगे। खोज करो ही मत, तुम उसे पा लोगे।

ओशो

एस जयशंकर | विदेश मंत्री, भारत

दुनिया बहुध्रुवीय हो रही है। वैश्विक मामलों को आकार देने की हमारी क्षमता इस बात पर निर्भर करेगी कि सभी को साथ लेकर चलने में और साझा एजेंडे पर हम कितनी अच्छी तरह से एकजुट होते हैं।

बीमारियों को न्योता देते ऐसे पकवान

हाल ही में सोशल मीडिया और कई वेबसाइट पर यह खबर वायरल हुई कि समोसा, जलेबी और लड्डू के बारे में इनकी दुकानों पर चेतावनी के बोर्ड लगाए जाएंगे। दावा किया गया था कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसी एडवाइजरी जारी की है। हालांकि, बाद में पीआईबी द्वारा स्पष्ट किया गया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। यह एक सामान्य निर्देश था, जिसका मकसद लोगों को अतिरिक्त वसा और चीनी के उपभोग को लेकर जागरूक करना था।

समोसा-जलेबी को हानिकारक व्यंजनों में गिने जाने से कई लोग अचंभित थे, पर यह कदम गलत नहीं था। मैं यहां आम होटलों में बने समोसा-जलेबी की बात कर रहा हूं, घर में या अच्छे होटलों में बनने वाले समोसा-जलेबी की नहीं। बाकी चीजों तो छोड़ भी दें, तो इनको बनाने में इस्तेमाल होने वाला तेल काफी खराब गुणवत्ता का होता है और इसी में समोसे-जलेबी को बार-बार तला जाता है। खराब गुणवत्ता वाले तेल को बार-बार खाने से आप हृदय रोग, मोटापे, कैंसर, डायबिटीज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज की चपेट में आ सकते हैं। होटलों में बनी जलेबी तो इतनी खतरनाक होती है कि इसका नुकसान जानते ही आप इसे खाना छोड़ देंगे। दरअसल, जलेबी आमतौर पर पीले रंग की होती है, लेकिन बाजार में बिकने वाली ज्यादातर जलेबी का रंग खाने वाला महंगा पीला रंग न होकर सस्ता हानिकारक रंग होता है, जो कैंसर जैसी बीमारी का एक मुख्य कारण बन सकता है। एक जलेबी में कम से कम चार से पांच चम्मच चीनी होता है और अगर आपने चार जलेबियां खा लीं, तो लगभग 10 से 15 चम्मच चीनी खा लिया, साथ में कैंसर पैदा करने वाला पीला रंग और अन्य रोगों के बुलाने वाला सस्ता घटिया तेल भी।

दुखद तथ्य यह है कि जिनकी (फूड इंस्पेक्टर) जिम्मेदारी इन खाद्य पदार्थों की जांच करने की है, उनमें से ज्यादातर भ्रष्ट आचरण में लिप्त रहते हैं और अपने कर्तव्य के पालन में कोताही बरतते रहते हैं। मानो उन्हें लोगों की सेहत की कोई फिक्र ही नहीं। लिहाजा, यह उम्मीद कम ही है कि वे होटलों पर दबाव बनाएंगे। और फिर, यदि ऊपर से कोई आदेश आता भी है, तो होटल मालिक अपने यहां बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में कोई बड़ा सुधार करेंगे, यह भी नहीं लग रहा। ऐसे में, सोचना आपको है कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं या बीमार?

बेशक, बाहर खाना बिल्कुल बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम सही होटल या रेस्तरां में खाकर और इसमें कुछ अंतराल बरतकर अपनी सेहत की काफी हद तक रक्षा जरूर कर सकते हैं।

अभिषेक गुरु, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

समोसा और जलेबी

पारंपरिक व्यंजनों के विरुद्ध साजिश

समोसा, लड्डू, पोहा, जलेबी जैसे पारंपरिक पकवानों को हमारे देशवासी वर्षों से खाते आ रहे हैं और कोई इनसे बीमार नहीं हुआ है, मगर बीते 25 वर्षों में बर्गर, पिज्जा, मोमोज और चाउमिन जैसे जंक फूड ने देश के स्वास्थ्य को जैसे ग्रहण लगा दिया है। पिछले दिनों समोसा-जलेबी को लेकर वायरल हुई खबर असल में भारतीय खाद्य पदार्थों के खिलाफ एक सुनियोजित षड्यंत्र थी, जैसे दीपावली के समय भारतीय मिठाइयों की कमियां बताकर चॉकलेट और डिब्बाबंद विदेशी सामान के गिफ्ट का बाजार फैलाया गया है। यह तो अच्छा हुआ कि तत्काल इस खबर पर स्पष्टीकरण आ गया और स्वास्थ्य मंत्रालय ने रुख साफ कर दिया। अलबत्ता, कहा तो यह भी जाता है कि आयुर्वेद के अनुसार, जलेबी रोग हरण करने वाला पकवान है। विधि विधान से बनी जलेबी न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी मानी जाती है। इसलिए देशी खाद्य सामग्रियों की उपेक्षा करने से पूर्व विदेशी उत्पादों के पीछे छिपे पाखंड और षड्यंत्र पर भी चर्चा होनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि मोमोज, चाउमिन, बर्गर, पिज्जा, सैंडविच, पेटीज आदि छोड़ो और उचित मात्रा में जलेबी खाओ, दूध पियो, जो शक्ति देगा। दूध-जलेबी की तो स्वास्थ्य के हिसाब से जोड़ी भी है। इनकी तुलना सिगरेट से होने वाले खतरे से करना बहुत लोगों के गले नहीं उतर रहा था।

मन्नू पटेल, टिप्पणीकार

यह सही है कि कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों की रोशनी में समोसा-जलेबी जैसे व्यंजनों से नुकसान की बात कही गई है। खासकर, ज्यादा तले होने के कारण इनमें ट्रांस फैट होते हैं, जो हृदय संबंधी रोगों का कारण बन सकते हैं। फिर, अत्यधिक चीनी (लड्डू व जलेबी में इसकी मात्रा काफी ज्यादा होती है) मोटापा, मधुमेह संबंधी समस्याओं को बढ़ाती है। बावजूद इसके, इनको सिगरेट जितना खतरनाक नहीं कहा जा सकता। ऐसा इसलिए, क्योंकि सिगरेट में निकोटिन और कार्सिनोजेनिक होते हैं, जो सीधे कैंसर हृदय रोग और फेफड़े की बीमारियों का कारण बनते हैं। फिर, यह भी समझने की बात है कि हम कौन सा समोसा-जलेबी रोज खाते हैं। कभी-कभार ही इनका सेवन किया जाता है। ऐसे में, ये सिगरेट की तरह हमें नुकसान नहीं पहुंचा सके। हालांकि, सिगरेट का भी नुकसान अमूमन हमें तभी दिखता है, जब वह हमारी लत बन जाती है। अति किसी भी चीज की बुरी होती है, फिर चाहे वह समोसा-जलेबी जैसे व्यंजन ही क्यों न हों। इसलिए इन पर निशाना लगाने के बजाय यह सोचना चाहिए कि लोगों के खान-पान की शैली को कैसे सुधारा जाए?

भव्या झा, टिप्पणीकार

अमर उजाला
प्रवाह
77 साल बेमिसाल
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना : 18 अप्रैल 1948 • आगरा
नई दिल्ली ■ शुक्रवार, 18 जुलाई 2025

जीवन की गुणवत्ता स्वयं जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
-एलेक्सिस कैरेल

कृषि और समृद्धि

केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित जिस प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, वह कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार करने का वायदा तो खैर करती ही है, भारत को आत्मनिर्भर और जलवायु-अनुकूल कृषि व्यवस्था की ओर ले जाने का संकल्प भी दर्शाती है। योजना के तहत अगले छह वर्षों में चौबीस हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के निवेश के साथ सौ जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इन जिलों का चयन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सभी में फसलों का उत्पादन कम, फसलों की सघनता मध्यम और ऋण उपलब्धता औसत से कम है। इस योजना की खास बात यह है कि यह नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है, और जो केंद्र के ग्यारह मंत्रालयों की छत्तीस मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करेगी, जिससे संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित होगा। भारतीय कृषि को लंबे समय से कम उत्पादकता, जलवायु में बदलाव, और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह योजना इन चुनौतियों के अलावा, टिकाऊ खेती को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता देती है। योजना के तहत फसल विविधीकरण के माध्यम से किसानों की एक ही फसल पर निर्भरता कम होगी। यह योजना खासकर छोटे और सीमांत व महिला किसानों, कृषि-तकनीकी स्टार्टअप और स्वयं-सहायता समूहों को फायदा पहुंचाएगी। अनुमान है कि इस योजना से करीब 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे, जिससे स्वाभाविक ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी विकास होगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह केवल सब्सिडी आधारित राहत न होकर, संरचनात्मक सुधारों पर केंद्रित है। इससे किसान उत्पादन से लेकर विपणन तक के हर चरण में सशक्त बनेगा। हालांकि कम उत्पादकता वाले सौ जिलों का चयन और वहां रणनीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन एक जटिल प्रक्रिया होगी। इसके अतिरिक्त, किसानों तक योजना की जानकारी और लाभ पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण की जरूरत होगी। आवेदन

प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाना भी उतना ही जरूरी है, ताकि छोटे और सीमांत किसान आसानी से इसका लाभ उठा सकें। टिकाऊ खेती के लिए मिट्टी की सेहत, जल संरक्षण और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने की भी जरूरत है। देश की खाद्य सुरक्षा, रोजगार और निर्यात के संदर्भ में यह योजना भारतीय कृषि का कायाकल्प करने की क्षमता रखती है, बशर्ते इसका सही ढंग से कार्यान्वयन भी हो।

दुबई का इतना आकर्षण क्यों है

जीवन की गुणवत्ता, गृह ऋण पर ब्याज की निम्न दर और आयकर प्रणाली का अभाव, ये ये वजहें हैं, जो दुबई को आकर्षण का केंद्र बनाती हैं। इसलिए, जब यूएई से एक नई गोल्डन वीजा योजना की खबर आई, तो इंटरनेट पर चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया, हालांकि पहले वाली योजना की भांति यह भी कुछ शर्तों के अधीन है।

भारत में जिस एक तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वह है प्रमुख शहरों में खराब जीवन गुणवत्ता। निस्संदेह सरकार की तरफ से काफी काम किए गए हैं, लेकिन अगर दुनिया के प्रमुख शहरों से तुलना की बात हो, तो हमारे यहां गुणवत्तापूर्ण सड़कों, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, खुली जगहों तक पहुंच, पर्याप्त स्वच्छता और प्रदूषण नियंत्रण के मामले में कई चुनौतियां दिखती हैं। गुरुग्राम, नोएडा, दिल्ली, मुंबई, बंगलूरू और अन्य भारतीय शहरों में उच्च-स्तरीय अपार्टमेंट और विला तो उपलब्ध हैं, लेकिन महंगे होने के बावजूद ये वैश्विक मानकों पर खरे नहीं उतरते।

चूंकि धनी भारतीय काम और छुट्टियों के लिए विश्व भर में यात्रा करते हैं, इसलिए जब कोई सिंगापुर, बैंकॉक, यूरोप और यहां तक कि दुबई या मस्कट जैसी जगहों की यात्रा करके वापस आता है, तो यह तुलना बहुत स्पष्ट हो जाती है। मैं अपने बड़े शहरों की तुलना पेरिस, लंदन या न्यूयॉर्क से नहीं कर रहा हूं, जो जीवन स्तर के लिए उच्च-गुणवत्ता के मामले में बहुत आगे हैं। इसलिए, जब यूएई में प्रवेश के लिए एक नई गोल्डन वीजा योजना की खबर आई, तो इंटरनेट पर चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। गोल्डन वीजा कार्यक्रम 2019 से चल रहा है, जिसमें एक ऐसा वीजा भी शामिल है, जिसकी कीमत करीब 23 लाख रुपये के बराबर है और जो फिलहाल सुर्खियों में भी आ गया है। इसमें निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले भारतीय नागरिक अब दुबई में आजीवन निवास प्राप्त कर सकेंगे, बिना महंगी अचल संपत्ति खरीदे या व्यावसायिक उपक्रमों में पूंजी निवेश की जरूरत के, जो पहले लागू थी। नियम में यह बदलाव उन पेशेवरों के लिए प्रतीत होता है, जो समृद्ध नहीं हैं, और यह सही भी है।

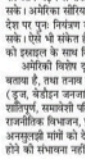

नारायण कृष्णमूर्ति
वरिष्ठ पत्रकार

ऐसे समय में, जब वेतनभोगी भारतीय 30 फीसदी आयकर देते हैं, यानी 30 लाख रुपये सालाना कमाने वाले व्यक्ति की कर-पश्चात आय 21 लाख रुपये होती है। अब, कई परिवार ऐसे हैं, जहां दंपति की संयुक्त आय 50 लाख रुपये है, यानी कर के बाद उनके पास 35 लाख रुपये बचते हैं,

जो एक अच्छी रकम है। अगर यही जोड़ा किसी बड़े शहर में 2.5 करोड़ रुपये के अपार्टमेंट का लोन चुका रहा होता, तो उनके पास बाकी खर्चों के लिए सालाना 10-15 लाख रुपये से थोड़ा ही ज्यादा बचता। ज्यादा आमदनी और रहने की बड़ी जगह का फायदा उठाने के बावजूद, ये करदाता जरूरी नहीं कि खुद को अमीर समझें। अब उन कामकाजी पेशेवरों से तुलना करें, जिनके पास साल के ज्यादातर समय घर से काम करने की सुविधा है। ये आसानी से दुबई जाकर पूरे साल काम कर सकते हैं, बशर्ते उनका नियोक्ता उन्हें दुबई में वेतन देता हो। चूंकि दुबई में अभी आयकर प्रणाली नहीं है, इसलिए उपरोक्त दंपति को पूरी राशि अपनी इच्छानुसार खर्च करने और निवेश करने की छूट होगी। इसके पीछे एक वित्तीय तर्क है, भले ही कोई किसी प्रमुख भारतीय शहर के बजाय दुबई में घर खरीदने पर विचार कर रहा हो, क्योंकि दुबई में गृह ऋण पर ब्याज दर आमतौर पर 2-5 फीसदी के बीच होती है, जबकि भारत में यह लगभग 8-10 फीसदी है। अगर कोई हर महीने एक हफ्ते से दस दिन के लिए काम पर जाने का विचार करे, तो भी कुछ भारतीयों के लिए दुबई से काम करना फायदेमंद हो सकता है।

दुबई के कई स्कूल और कॉलेज, भारत के प्रमुख शहरों के कुछ निजी स्कूलों जितने ही अच्छे या उनसे बेहतर हैं। इसके अलावा, दुबई भारत की तुलना में उच्च शिक्षा के लिए बेहतर संभावनाओं का प्रवेश द्वार बन सकता है। हां, सबसे बड़ी चुनौती यह है कि दुबई में भारतीय नियोक्ता के साथ निवासी के रूप में रोजगार पाने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इसका सामना करना पड़ता है। हालांकि, इन दिनों, जब अधिकांश वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी के बजाय सलाहकार के रूप में काम करते हैं, तो कई लोगों के पास इस पर विचार करने का अवसर है। संभवतः भारत में एक बड़ी आबादी की गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर पाने की आवश्यकता को महसूस करते हुए, जो पूरी नहीं हो पा रही है, यूएई सरकार ने यह आकर्षक योजना शुरू की है। अगर किसी को 23 लाख रुपये का वीजा शुल्क ज्यादा लग रहा हो, तो भी वे इसे लगभग दो लाख रुपये वार्षिक वीजा शुल्क मान सकते हैं, जो ज्यादा नहीं लगता। इसके अलावा, परिवार के सदस्यों के लिए आजीवन गोल्डन वीजा प्रदान करके यह योजना काफी कारगर साबित हो रही है। यूएई सरकार की इस योजना को प्रतिभाशाली भारतीयों को दुबई में रहने के लिए आकर्षित करने का एक जरिया माना जा सकता है।

प्रमुख भारतीय शहरों और दुबई के बीच की दूरी 4-5 घंटे की है और दोनों जगहों के बीच रोजाना कई उड़ानें हैं। चूंकि दुबई एक वैश्विक केंद्र है, यदि बड़ी संख्या में भारतीय वहां जाते हैं, तो इससे दुबई की छवि कम श्रम-प्रधान से वास्तविक महानगरीय और वैश्विक रूप से विविधतापूर्ण स्थान की बन सकती है। ज्यादा लोगों के दुबई में बसने से यूएई की अर्थव्यवस्था के बढ़ने की उम्मीद है। स्वाभाविक रूप से, लोग घूमने-फिरने, बाहर खाने-पीने, घर खरीदने और ईंधन की खपत पर पैसा खर्च करेंगे। भारत से दुबई और दुबई से भारत में पैसा भेजना भी आसान है, क्योंकि कई भारतीय बैंकों की इस खाड़ी देश में महत्वपूर्ण उपस्थिति है।

अगर आपके पास घर से काम करने और दुबई में अपने भारतीय नियोक्ता से भुगतान पाने की सुविधा है, तो यह नया वीजा नियम आकर्षक और विचारणीय है। यह कदम सिर्फ व्यावसायिक पेशेवरों के लिए ही नहीं है, कई अन्य पेशेवर भी इस विकल्प पर विचार कर सकते हैं। जैसे, अभिनेता माधवन को ही लीजिए, जो अपने बेटे के तैराकी में कॅरिअर को आगे बढ़ाने के लिए दुबई चले गए हैं। उन्हें बेटे के लिए मुंबई की तुलना में दुबई की सुविधाएं ज्यादा उपयुक्त लगती हैं, जहां वह पहले रह रहे थे। इसके अलावा, वह दुबई में एक निवासी के रूप में फिल्म साइन कर सकते हैं, फिल्म के कुछ हिस्से वहां शूट कर सकते हैं, और बाकी समय में भारत में शूट कर सकते हैं। सिनेमा की शूटिंग अक्सर वैश्विक स्थानों पर होती है, इसलिए उन्हें बार-बार भारत आने की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरी है कि भारतीयों के भारत से पलायन के पीछे के असली कारण को समझा जाए। यूएई की यह योजना अगर काम करती है, तो वहां भारतीयों का अगला दौर आ सकता है, इस बार वे लोग जाएंगे, जो योग्य, कुशल और बेहतर जीवन स्तर के इच्छुक हैं।

edit@amarujala.com

अंतरराष्ट्रीय

सीरिया पर इस्राइल की बमबारी क्यों

सीरिया में इस्राइल के अभियानों का उद्देश्य भविष्य में उसकी सैन्य क्षमता के विकास को रोकना है, जिसका उपयोग इस्राइल के विरुद्ध किया जा सकता है।

सीरिया में संघर्ष बढ़ गया है और इस्राइल अपने उत्तरी पड़ोसी पर बमबारी कर रहा है? यह दक्षिणी सीरिया में ड्रूज अल्पसंख्यकों और दमिश्क की नई सरकार के साथ गठबंधन करने वाली सेनाओं के बीच महीनों से चल रहे तनाव के बाद शुरू हुआ है। पिछले कुछ दिनों में हुई झड़पों के कारण इस्राइली हवाई हमलों ने ड्रूज की रक्षा के लिए सरकारी ठिकानों, टैंकों और भारी हथियारों को निशाना बनाया। इस्राइल के मंत्री अमीचाई चिक्ली ने सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा को आतंकवादी और बर्बर हत्यारा बताते हुए कहा है कि उसका बिना किसी देरी के सफाया कर दिया जाना चाहिए। भड़काऊ भाषा के बावजूद युद्ध विराम हो गया है, जिससे फिलहाल लड़ाई रुक गई है। सीरियाई बलों ने क्षेत्र से भारी सैन्य उपकरण हटाने शुरू कर दिए हैं, जबकि ड्रूज लड़ाके सशस्त्र प्रतिरोध रोकने पर सहमत हो गए हैं, जिससे सीरियाई सैनिकों को सुवेदा पर नियंत्रण प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

ड्रूज एक छोटा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है, जिसकी सीरिया में अनुमानित जनसंख्या करीब 7,00,000 (कुल सीरियाई जनसंख्या 2.3 करोड़ में से) है, जिनमें से अधिकांश दक्षिणी अस-सुवेदा प्रांत में रहते हैं, जो उनका पारंपरिक गढ़ है। असद शासन के पतन के बाद ड्रूज ने देश को संघीय बनाने की मांग की थी। वे एक विकेंद्रीकृत मॉडल की वकालत करते हैं, जो क्षेत्रीय समुदायों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करेगा।

अली मामौरी

असद शासन के पतन ने इस्राइल के लिए दक्षिणी सीरिया में अपना प्रभाव बढ़ाने का एक रणनीतिक रास्ता खोल दिया। इस्राइल की इस कार्रवाई के पीछे दो मुख्य चिंताएं हैं- पहला अपनी उत्तरी सीमा की सुरक्षा और दूसरा, एक संघीय सीरिया का समर्थन।

इस्राइल, सीरिया के दक्षिण में सत्ता शून्यता को एक संभावित खतरे के रूप में देखता है, विशेष रूप से इस्राइल विरोधी लड़ाकों द्वारा इसकी उत्तरी सीमा के निकट पैर जमाने के खतरे को। सीरिया में इस्राइल के अभियानों का उद्देश्य भविष्य में उसकी सैन्य क्षमता के किसी भी तरह के विकास को रोकना है, जिसका उपयोग सीरियाई सीमा की ओर से इस्राइल के विरुद्ध किया जा सकता है।

इस्राइल, सीरिया में दो प्रमुख सहयोगी अल्पसंख्यकों (उत्तर-पूर्व में कुर्दों और दक्षिण में ड्रूज) को संघीय शासन मॉडल के लिए समर्थन दे रहा है। कुछ इस्राइली नीति-निर्माता जातीय और धार्मिक आधार पर बंटे सीरिया को क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के रूप में देखते हैं।

अपुष्ट खबरों के अनुसार, वाशिंगटन ने निजी तौर पर इस्राइल से आग्रह किया है कि वह सीरिया पर अपने सैन्य हमलों को कम करे, ताकि तनाव को आगे बढ़ने से रोका जा सके और क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखा जा सके। अमेरिका सीरिया की नई सरकार को अधिक समर्थन दे रहा है, ताकि देश पर पुनः नियंत्रण स्थापित करने और उसे स्थिर करने में मदद मिल सके। ऐसे भी संकेत हैं कि अमेरिका और उसके सहयोगी सीरियाई सरकार को इस्राइल के साथ रिश्ते सामान्य करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।

अमेरिकी विशेष दूत टॉम बराक ने हालिया झड़पों को 'चिंताजनक' बताया है, तथा तनाव कम करने का आह्वान करते हुए सभी हितधारकों (ड्रूज, बेडौइन जनजाति, सीरियाई सरकार और इस्राइली सेना) के लिए शांतिपूर्ण, समावेशी परिणाम की आवश्यकता पर बल दिया है। लेकिन गहरे राजनीतिक विभाजन, प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय एजेंडा और अल्पसंख्यक समूहों की अनसुलझी मांगों को देखते हुए दक्षिणी सीरिया में अशांति के शीघ्र समाप्त होने की संभावना नहीं है। (द कन्वर्सेशन से)

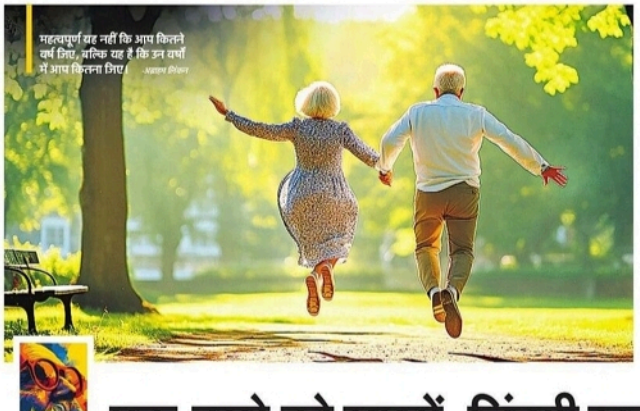

अंधेरे में रोशनी बिखेरें

बुजुर्ग लोग समाज के दीपक हैं, जो अंधेरे में भी रोशनी बिखेरते हैं। उनकी आंखों में छिपी कहानियां, उनके शब्दों में बसी बुद्धिमत्ता, हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली अर्थ केवल जीने में नहीं, बल्कि उसे समझने में है।

जीवन की सांझ में, जब उम्र की रेखाएं चेहरे पर गहरी पड़ जाती हैं, तो मनुष्य की आत्मा में एक अनमोल खजाना छिपा होता है। यह खजाना है अनुभव, जो वर्षों की यात्रा में इकट्ठा होता है। वृद्धावस्था में हम अपने जीवन के हर पल को, हर दुख और सुख को, एक नई नजर से देखते हैं। यह वह दौर है, जब हमारी आत्मा शांत होकर सत्य की खोज में गहराई तक उतरती है। इस उम्र में प्रेम करने का अर्थ है, उसे वैसे देखना, जैसा ईश्वर ने उसे चाहा है। वृद्धावस्था एक दर्पण की तरह है, जो हमें हमारी कमजोरियों और शक्तियों, दोनों को दिखाता है। जीवन के ढलते वर्षों में, जब शारीरिक बल कमजोर पड़ता है, तब आत्मा की शक्ति उभरती है। वृद्ध लोग समाज के वे दीपक हैं, जो अंधेरे में भी रोशनी बिखेरते हैं। उनकी आंखों में छिपी कहानियां, उनके शब्दों में बसी बुद्धिमत्ता, हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली अर्थ केवल जीने में नहीं, बल्कि उसे समझने में है। वृद्धावस्था को कमजोरी समझने की भूल मत करना। वृद्ध लोग ही हैं, जो समाज के सामने सत्य का दर्पण रखते हैं। उनकी आवाज में वह शक्ति है, जो युवाओं को प्रेरित करती है। उनकी कहानियां हमें बताती हैं कि जीवन की हर गलती, हर दुख एक सबक है। इन अनुभवों को सुनो, इनसे सीखो, क्योंकि यही वह धरोहर है, जो पीढ़ियों को जोड़ती है। वृद्धावस्था वह समय है, जब मनुष्य अपने भीतर की गहराइयों को समझता है। जब तुम्हारी उम्र ढलने लगे, तब अपने दिल की सुनो। वृद्ध लोग, वे पुस्तकें हैं, जिनके पन्नों पर जीवन का हर रंग लिखा है। उन्हें पढ़ो, उनके अनुभवों को समझो, तुम्हें जीवन का सच्चा अर्थ मिलेगा। वृद्धावस्था में छिपी शक्ति, हमें सिखाती है कि प्रेम, करुणा और क्षमा ही जीवन के आधार हैं। मनुष्य की आत्मा तब तक यह नहीं समझती कि वह क्या चाहती है, जब तक कि वह अपने भीतर की खामोशी को नहीं सुनती। वृद्ध लोग वह खामोशी हैं, जो समाज को दिशा देती है। उनकी सलाह, उनकी कहानियां, हमें यह सिखाती हैं कि जीवन का हर पल अनमोल है। उनकी झुर्रियों में छिपा है समय का ज्ञान।

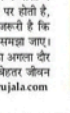

फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की

मुड़-मुड़ के देख

दूसरी पारी

एक-दूसरे को समझें, जिंदगी खूबसूरत है

रिटायर्ड पति के रसोई में दखल से परेशान **श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव** को मनोवैज्ञानिक नीलकंठ ने कुछ यों सलाह दी -

रिटायर होने के बाद मेरे पति ज्यादातर समय घर में बिताने लगे हैं और रसोई में मेरे हर काम में दखल देते रहते हैं। इससे मुझे परेशानी होती है, उन्हें कैसे रोकूं?

श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव की परेशानी कोई नई नहीं है। सेवानिवृत्ति के बाद पति अक्सर ज्यादातर समय घर पर ही बिताते हैं और यहीं से पत्नियों की मुश्किलें शुरू होने लगती हैं। जब पति ऑफिस जाते थे, तो सबकी दिनचर्या तय थी। पत्नी को भी स्वतंत्र रूप से अपने कामों का प्रबंधन करने की सुविधा थी। उनका भी एक सामाजिक जीवन बन गया था। रोज शाम को पड़ोस की महिलाओं के साथ नजदीक के पार्क के कुछ चक्कर लगाना जिंदगी का हिस्सा बन गया था। लेकिन पति के रिटायर होते ही सब कुछ बदल गया। अब पति ज्यादातर वक्त घर पर ही रहते हैं। फिर शुरू होती है हर बात में टोका-टाकी। जो पड़ोसी महिलाओं के साथ घूमने का समय था, उसी समय पति महोदय को शाम की चाय और नाश्ता भी चाहिए होता है। श्रीमती श्रीवास्तव की परेशानी इससे अलग नहीं है। उनके पास अपने घरेलू कामकाज तो हैं ही, क्योंकि गृहिणियों की कभी सेवानिवृत्ति नहीं होती। ऐसा नहीं है कि उन्हें अपने पति का घर पर रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर सेवानिवृत्त पति, पत्नियों के एकछत्र राज यानी रसोई में दखल देता है, तो इससे परेशान होना स्वाभाविक है। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। आपको अपने पति के नजरिये से भी देखना चाहिए। हो सकता है कि अपने कामकाज के दिनों में घर में आपका सहयोग न कर पाने का उनके मन में मलाल हो, और वह सेवानिवृत्ति के बाद आपके कामों में हाथ बंटाना चाहते हों। या वह रसोई के कामों में खुद को व्यस्त रखकर नए-नए व्यंजन बनाने में अपना हाथ आजमाकर कुछ नया करना

चाहते हों। या यह भी हो सकता है कि इतने वर्षों तक कार्यालयी कामों में व्यस्त रहने के आदी होने के चलते, वह सेवानिवृत्ति के बाद बस खुद को व्यस्त रखने की कोशिश कर रहे हों। इसलिए पति के दखल से परेशान होने के बजाय इसे सकारात्मक रूप से लीजिए। अगर आपके पति रसोई में दखल देकर आपका हाथ बंटाना चाह रहे हों, लेकिन आपको यह नापसंद हो, तो आप उन्हें घर के दूसरे कामों में उलझाने की कोशिश करें और बागवानी आदि के कामों में मदद करने के लिए प्रेरित करें। इससे आपका बोझ भी कम होगा और उन्हें भी संतोष होगा कि वह किसी न किसी रूप में आपकी मदद कर रहे हैं। अगर वह कुछ नए व्यंजन बनाना चाहते हैं, तो परेशान होने के बजाय बेहतर होगा कि एक दिन के लिए रसोई उनके ही हवाले कर दी जाए।

पति की सेवानिवृत्ति से पहले की अपनी दिनचर्या के बारे में उनसे बात कीजिए। शायद वह आपकी परेशानी समझ ही न पा रहे हों। कभी-कभी ज्यादा नजदीकी रिश्तों पर उल्टा असर डालती है। इसलिए संवाद करना जरूरी है। जब घर में आप दो ही लोग हैं, तो एक-दूसरे को समझना आप दोनों की ही जिंदगी को खूबसूरत बनाएगा।

जिंदगी की दूसरी पारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर शुक्रवार इस पर आपको नया पढ़ने को मिलेगा। आप अपने विचार, अनुभव या समस्याएं edit@amarujala.com पर भेज सकते हैं, विशेषज्ञों की मदद से हम कोशिश करेंगे कि संवाद का पुल बन सके।

108 की उम्र और हजामत

अधिकांश लोग अपने जीवन में एक उम्र के बाद आराम तलाशने लगते हैं, रिटायरमेंट वाले दिन बिताना चाहते हैं। कुछ तो युवावस्था से ही काम से ज्यादा छुट्टियों की फिक्र करने लगते हैं। ऐसे सभी लोगों को 108 वर्षीय शित्सुई हाकोइशी से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस साल मार्च में, 108 वर्षीय शित्सुई हाकोइशी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा विश्व की सबसे उम्रदराज महिला नाई के रूप में मान्यता दी गई। शित्सुई हाकोइशी, जो जापान के तोचिगी प्रांत के नाकागावा शहर में रहती हैं, ने 90 वर्षों से अधिक समय तक नाई का काम किया है। उन्होंने अपने कॅरिअर की शुरुआत 18 साल की उम्र में की थी और 108 साल की उम्र में भी वह सक्रिय हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इस उपलब्धि को आधिकारिक रूप से छह मार्च, 2025 को प्रमाणित किया। शित्सुई कहती हैं कि मैं बस हरदम खुश रहना चाहती हूं। वह कहती हैं कि अगर ऐसा हो कि कोई हरदम खुश रहे, तो वह शायद कभी मरे ही नहीं।

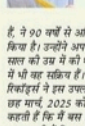

वरिष्ठ नागरिकों के काम की योजना

अटल पेंशन योजना

इस योजना में आप 18 से 40 साल की उम्र तक निवेश कर सकते हैं और 60 साल की उम्र पूरी होने पर आपको चुने हुए प्लान के अनुसार हर महीने एक तय पेंशन (एक हजार से पांच हजार तक) मिलती है। आप नीचे दी गई वेबसाइट पर जाकर 'APY (एपीवाई) रजिस्टेशन फॉर्म' पर क्लिक करके व जरूरत के अनुसार फॉर्म डाउनलोड कर अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा, नजदीकी डाकघर या बैंक से भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया इस वेबसाइट पर क्लिक करें https://www.npscra.nsdl.co.in/ या नजदीकी 'डाकघर व बैंक' से संपर्क करें।

हेल्पएज इंडिया

यह एक गैर-लाभकारी संगठन है, जो भारत में वृद्धजन के कल्याण के लिए काम करता है। स्वास्थ्य सेवा हो या फिर नेत्र शल्य चिकित्सा या फिर बुजुर्गों से संबंधित कोई अन्य समस्या हो, तो हेल्पलाइन नंबर (011-41688955) पर कॉल करें। अगर संपर्क न हो सके, तो www.helpageindia.org पर जाकर 'कॉन्टेक्ट अस' पर क्लिक करें। इसके बाद 'नीड असिस्टेंस फॉर्म' भरकर सबमिट कर इसका लाभ ले सकते हैं।

राष्ट्रीय सहारा
पटना • शुक्रवार • 18 जुलाई • 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

समय परिवर्तन का धन है, परंतु घड़ी उसे केवल परिवर्तन के रूप में दिखाती है, धन के रूप में नहीं।

-रवींद्रनाथ ठाकुर

राजनीतिक सोच का बघार

महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक बदलाव के तहत राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने कई बदलाव किए हैं, जिनमें अकबर को क्रूर पर सहिष्णु, बाबर को निर्मम आक्रमणकारी कहा है जबकि औरंगजेब को सैन्य शासक बताया है, जिसने गैर-मुसलमानों पर जजिया लगाया था। हालिया प्रकाशित एक्सप्लोरिंग सोसाइटी : इंडिया एंड बियॉन्ड नये पाठ्यक्रम की पहली पुस्तक बताई जा रही है जिसमें दिल्ली सल्तनत, मराठों व औपनिवेशिक युग की चर्चा है। इसमें नोट में छात्रों से आग्रह है कि क्रूर हिंसा, कुशासन व सत्ता की गलत महत्त्वाकांक्षाओं के ऐतिहासिक मूल को निष्पक्षता से समझें। अतीत की घटनाओं के लिए आज किसी को जिम्मेदार भी न समझें,

जोड़ा गया है। दिल्ली सल्तनत के उत्थान-पतन, प्रतिरोध, विजयनगर साम्राज्य, मुगलों व उनका प्रतिरोध तथा सिखों के उत्थान की चर्चा है। बाबरनामा को स्वीकारने के बावजूद मंदिरों के विध्वंस की बात भी है। छात्रों को देश के इतिहास से परिचित करवाने के नाम पर सरकार के रुझान के अनुरूप तैयार किया नया पाठ्यक्रम पहले से ही विवादों में है। अकबर पर शामिल अबुल फजल की टिप्पणी-मैं शर्म से भर गया, चूंकि मैं खुद मुसलमान नहीं था, इसलिए दूसरों को मुसलमान बनने के लिए मजबूर करना मेरे लिए अनुचित था-इस मंशा का स्पष्ट उदाहरण कही जा सकती है। बेशक, भारतवर्ष ने सैकड़ों वर्षों गुलामी झेली है मगर नई पौध को बरगलाने वाली भाषा में उसे परोसना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। गुलामों के साथ सारी दुनिया में अपमानजनक बर्ताव होता रहा है, जिज्ञासू छात्र वयस्क होने पर स्वयं इतिहास का अध्ययन कर वैचारिक परिपक्वता इख्तियार कर सकते हैं। पाठ्यक्रम में काशी और मथुरा के मंदिरों का विध्वंस और सिखों, सूफियों तथा पारसियों के उत्पीड़न की चर्चा शामिल करने का तात्पर्य क्या है। यह स्पष्टीकरण कि शैक्षणिक ढांचे को आलोचनात्मक सोच की ओर बदलाव का संकेत माना जाना चाहिए, को राजनीति से प्रेरित कहना गलत नहीं होगा। सवाल सच-झूठ का भी नहीं है। नायकों-खलनायकों तथा विकल्पों-विरोधाभासों को लेकर खींची गई यह रेखा बाल मन पर संदेह के बीज भी बो सकती है। हकीकत यह है कि इतिहास को किसी कीमत बदला नहीं जा सकता। पूर्वाग्रहों के आधार पर उसकी तोड़-मरोड़ भले की जाती रहे।

छोटे देशों पर भी ट्रंप शुल्क

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को अफ्रीका और कैरिबियाई देशों समेत छोटे देशों पर भी 10 फीसद से ज्यादा शुल्क लगाने की बात कही है। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम संभवतः सभी के लिए एक समान शुल्क तय करेंगे। बताया कि कम से कम 100 देशों के सामान पर यह '10 फीसद से थोड़ा ज्यादा शुल्क' लागू हो सकता है। गौरतलब है कि ये वे देश हैं जो अमेरिका के साथ बनिस्बत मामूली स्तर पर ही व्यापार करते हैं। इनका अमेरिका के साथ व्यापार का जो स्तर है, उससे शायद ही ट्रंप के उस प्रयास में मदद मिले जो वह अमेरिका के व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए कर रहे हैं। अपने प्रयासों के तहत ट्रंप ने इस महीने करीब 24

देशों और यूरोपीय संघ को पत्र भेजे हैं, जिनमें एक अगस्त से लागू होने वाले शुल्क दर का ब्योरा है। दरअसल, अमेरिका को फिर से महान बनाने को चुनावी मुद्दा बना कर ट्रंप सत्ता में आए और सत्ता में आने के साथ ही इस मंसूबे को पूरा करने के लिए तमाम देशों को धमकाने की हद तक जा पहुंचे हैं। कई देशों ने उनकी कवायद का करारा जवाब भी दिया है। अर्जेंटीना और यूरोपीय संघ के देशों ने जिस तरह ट्रंप की शुल्क संबंधी घोषणाओं का प्रतिकार किया है, उससे ट्रंप के तेवर तो नरम नहीं पड़े लेकिन वह नये-नये निशाने तलाश करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अब अफ्रीकी और कैरिबियाई देशों को निशाने पर लेने का फैसला किया है। इससे यकीनन उन्हें कोई ज्यादा मदद नहीं मिलने वाली। ऐसे में ट्रंप का 'शुल्क उत्पात' जारी रहेगा। अमेरिका दुनिया में लोकतांत्रिक देश होने का दम भरता है, लेकिन जिस तरह की हरकतें उसकी तरफ से हो रही हैं, उनसे वहां डेमोक्रेसी की बजाय ऑटोक्रेसी होने का भ्रम, बल्कि कहें कि पुख्तगी होती है। इस प्रकार ट्रंप अमेरिका को महान बनाने का सपना पूरा करने के फेर में अमेरिका की छवि को नुकसान पहुंचाते दिखलाई पड़ रहे हैं। कई देशों से तो उन्हें व्यापार युद्ध लड़ने की नौबत तक दरपेश है। शंका होती है कि घरेलू स्तर पर आर्थिक हालात साजगार बनाने के लिए ट्रंप कहीं प्रतिगामी कदम न उठा बैठें। मानसिक रूप से अस्थिर, बल्कि भ्रमित तो वह दिख ही रहे हैं। अपने ही देश में अलोकप्रिय होने का खतरा उन पर मंडराता साफ देखा जा सकता है।

चिंता/नृपेन्द्र अभिषेक नृप

सुरक्षित नहीं शिक्षा की चौखट

जब किसी समाज की सबसे संरक्षित और प्रतिष्ठित जगहें शैक्षणिक संस्थान और कार्यस्थल ही असुरक्षा के प्रतीक बन जाएं तो यह न केवल सामाजिक विफलता है, बल्कि उस नैतिक पतन की भी चेतावनी है, जो हमारी संवैधानिक आत्मा को झकझोरता है। महिलाएं, जो इन स्थानों पर ज्ञान, आत्मनिर्भरता और गरिमा की खोज में जाती हैं, यदि यौन उत्पीड़न, शोषण और हिंसा का शिकार बनें, तो यह कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि समाज के आत्मबोध पर भी करारा प्रहार है।

ओडिशा से कर्नाटक, दिल्ली से बंगाल तक फैली इन घटनाओं की भयावहता और लगातार हो रही पुनरावृत्ति अब साबित कर चुकी है कि हमारी 'शरणस्थली' कही जाने वाली संस्थाएं आज हिंसा के गर्त में धंस चुकी हैं। हाल में ओडिशा के बालासोर में फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज की 20 वर्षीय बीएड छात्रा द्वारा आत्मदाह ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। पीड़िता ने अपने शिक्षक के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की लेकिन जब उसकी बातें अनसुनी कर दी गईं, तब उसने प्रधानाचार्य कार्यालय के बाहर खुद को आग लगा ली। 90 जल चुकी छात्रा कुछ दिनों में चल बसी लेकिन उसकी मौत ने कई सवालों को जन्म दिया : क्या हमारी शिकायत निवारण प्रणाली मृतप्राय हो चुकी है? क्या संस्थानों में न्याय पाने की कोई आशा नहीं बची है? बंगाल के आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज में पिछले वर्ष एक पीजी छात्रा की निर्मम हत्या के बाद भी सुरक्षा को लेकर कोई ठोस सुधार नहीं किया गया। लॉ कॉलेज की एक छात्रा के साथ जून, 2025 में सामूहिक रेप हुआ। दिल्ली में 9 वर्षीय एक बच्ची की रेप के बाद हत्या ने कानून व्यवस्था की बदहाली को फिर से उजागर कर दिया। मंगलुरु में दो प्राध्यापकों को छात्रा के साथ रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ये सभी घटनाएं संकेत हैं कि आज शिक्षा और कार्यस्थल यौन हिंसा के अड्डे बनते जा रहे हैं। इन घटनाओं से यह भी साफ होता है कि देश में पीड़िताओं को न्याय दिलाने वाली प्रणाली निष्क्रिय हो चुकी है। विद्यार्थियों को सिखाया जाना चाहिए कि सहमति क्या होती है, और किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना अपराध क्यों है। यदि आज हम मौन रहे तो कल इतिहास हमें कठघरे में खड़ा करेगा। अब भी समय है कि हम 'संरक्षण' की परिभाषा को पुनः स्थापित करें, जहां भय नहीं, बल्कि भरोसा हो; उत्पीड़न नहीं, बल्कि उदारता हो।

बड़े खतरे के संकेतक

दिल्ली में भूकंप

वीरेन्द्र कुमार पैन्यूली

दस जुलाई 2025 की प्रातः नौ बजकर चार मिनट पर दिल्ली में रिक्टर पैमाने पर 4.4 तीव्रता के भूकंप आने के समाचार थे। भूकंप का केंद्र एनसीआर में पड़ने वाले हरियाणा के झज्जर नगर के उत्तर-पूर्व में तीन किमी. की दूरी पर था। दिल्ली से भूकंप का यह केंद्र उसके पश्चिम में लगभग 51 किमी. की दूरी पर था। भूकंप का स्रोत लगभग दस किमी. गहराई में था। इसके बाद फिर झज्जर में ही लगभग सात बज कर उन्चास मिनट पर सायं 12 जुलाई को ही 3.7 तीव्रता का भूकंप आया। यह भी पूरे एनसीआर में अनुभव किया गया। लगातार के इन भूकंपों से चिंता बढ़नी स्वाभाविक है।

इसके पहले इसी साल 17-24 फरवरी के बीच भी दिल्लीवासियों को तीन हल्के भूकंपों का अनुभव हुआ था। इन्हीं तीन दिनों की अवधि में निकटस्थ गाजियाबाद में भी भूकंप आया था। यह भी दिल्ली में महसूस किया गया। 17 फरवरी सोमवार के 4.3 तीव्रता वाले भूकंप का केंद्र दिल्ली के धौलाकुआं में 5 किमी. की गहराई के करीब था। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें जमीन के भीतर गड़गड़ाहट का भी अनुभव हुआ। इस भूकंप को दिल्ली से बाहर भी अनुभव किया गया था। 24 तारीख के भूकंप का केंद्र दक्षिणी दिल्ली में था।

दिल्ली के इन भूकंपों से यह भी सिद्ध हुआ कि भूकंपीय सक्रियता के जोन 4 में होने से खुद दिल्ली में ही भूकंपों की आशंकाएं कम नहीं हैं। हालांकि दूर के ईरान अफगानिस्तान व हिमालयी सीमांत क्षेत्रों में नेपाल में उपजे भूकंप तो दिल्ली को झटका देते ही रहे हैं। 11 जनवरी, 2024 को अफगानिस्तान के भूकंप ने दिल्ली एनसीआर में भी 5.1 के भूकंप का अनुभव कराया था। अफगानिस्तान के हिंदुकुश हिमालयी क्षेत्र का अनुभव पाकिस्तान के पेशावर-रावलपिंडी होते हुए दिल्ली पहुंचा। एक बात और है कि जितना गहराई में भूकंप का केंद्र होता है, उतना ही उसका कोण बढ़ जाता है अर्थात सतह पर वह उतने ही बड़े क्षेत्र में अनुभव किया जाता है। तेरह फरवरी, 2021 को दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में रात 10.30 बजे 6.4 तीव्रता का भूकंप अनुभव किया गया था। इसका केंद्र ताजिकिस्तान में जमीन के नीचे 90 किमी. पर बताया गया था। स्थानीय भूकंप, जो कम गहराई के हों व कम तीव्रता के भी यदि हों, तो वो ज्यादा घबड़ाहट लाते हैं। स्थानीय कम तीव्रता वाले भूकंप इसलिए भी घबराहट पैदा करते हैं कि इनसे दहशत हो जाती है, और लोग घरों से बाहर निकल जाते हैं।

भूविज्ञान की शब्दावली में दिल्ली में

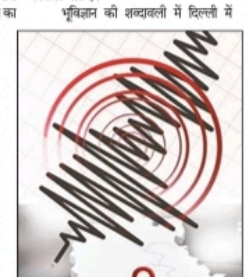

गहराई में आरपार होते भूगर्भीय कारणों से उत्तराखंड तक पहुंचते समय गहराई में कई फॉल्ट रेखाएं हैं, जिनकी हलचलें दिल्ली एनसीआर में भूकंपों के पैदा होने की आशंकाएं बढ़ाती हैं। फॉल्ट की भूमिका भूकंपों को उपजाने व उनका प्रभाव बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण है। दिल्ली में 5 मैग्निट्यूड तक के भूकंप स्थानीय स्तर पर आ सकते हैं। दिल्ली में 2-3 मैग्निट्यूड के काफी भूकंप आते हैं। दिल्ली के भीतर ही अलग-अलग इलाकों में भूकंपों के कम या ज्यादा जोखिम हैं। 20 जनवरी, 2021 को दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में हालांकि 2.1 तीव्रता का ही भूकंप बारह बजे दिन में आया था किंतु लोग घरों से बाहर निकल आए थे। नवम्बर, 2022 आखिर में दिल्ली में 2.5 का भूकंप आया था। यह एक माह में ही तीसरा था। इसलिए आवश्यक है कि दिल्ली की सीस्मिक माइक्रोजोनिंग की जाए। हिमालय से नजदीकी और जोन 4 में होने से भी दिल्ली सदैव भूकंपों के आगोश में रहेगी ही।

हिमालय में खासकर उत्तराखंड में बहुत ताकतवर 8 से ज्यादा तीव्रता के विध्वंसकारी भूकंप की आशंकाएं बनी हुई हैं। 21 नवम्बर, 2017 को देहरादून में भूकंप विज्ञान केंद्र के कई वैज्ञानिकों ने हिमालयी संस्थान की गोष्ठी में कहा था कि हिमालयी क्षेत्रों में प्लेट टैक्टोनिक्स के सिद्धांत के अनुसार इस क्षेत्र में इतनी ऊर्जा संग्रहित हो चुकी है कि यह ऊर्जा रिक्टर पैमाने पर आठ से ज्यादा मैग्निट्यूड का भूकंप ला सकती है। 30 नवम्बर, 2018 को पुनः एक सम्मेलन में चेतावनी इस रूप में आई थी कि मध्य हिमालय में 8.5 मैग्निट्यूड के भूकंप आशंकित हैं, जिसमें हजारों लोग हताहत हो सकते हैं। इस तीव्रता के भूकंप हजार किमी. की दूरियों पर भी विध्वंस कर देते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल भी इससे अछूते न रहेंगे। दिल्ली भी अछूती न रहेगी।

विडंबना है कि प्रलयकारी भूकंपों की चेतावनियों के बावजूद देश और राज्य सरकारों के साथ ही आम जन भी इन्हें ज्यादा भाव नहीं देता। सोचता है कि भूकंप जब आएगा तब की तब ही देखी जाएगी। वांछित है कि जोनिंग के हिसाब से 2016 से ही अस्तित्व में आए नेशनल बिल्डिंग कोड का अनुपालन हो। नये निर्माण भूकंप अवरोधी बनें और पुरानों की रिट्रोफिटिंग हो। कहा भी जाता है कि लोगों को भूकंप नहीं मारता है, निर्माण संरचनाएं मारती हैं। लगातार छोटे भूकंप एक बार गंभीर घाव भले ही न करें परंतु धीरे-धीरे चोट तो पहुंचाते ही हैं। क्षेत्रीय भू या भूमिगत परिवर्तन या धरातलीय जल प्रणालियों को प्रभावित कर देते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों में भी पाया गया है कि भूमिगत भूखंडों के बीच की सक्रिय खाइयां और चौड़ी हो सकती हैं। निर्माण संरचनाओं जैसे भवन, पुल आदि में भी असर जुड़ता जाता है।

1900 से ही सालाना भूकंपों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। सूक्ष्म, छोटे, मझोले और बड़े भूकंपों की सालाना वैश्विक कुल संख्या लाखों में होती है परंतु इनमें से अधिकांश भूकंपों का आम जन को अनुभव भी नहीं होता। 2020 में जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में छोटे भूकंपों की बहुतायत थी तो दिल्ली उच्च न्यायलय ने संभवतः एनडीएमसी, डीडीए, दिल्ली कैंटोनमेंट और दिल्ली सरकार से जानकारी चाही थी कि किसी बड़े भूकंप की स्थिति में भवनों की स्थिरता कैसे सुनिश्चित की गई है। तब बिल्डिंग सेफ्टी ऑडिट की बात भी चली थी। तब दिल्ली में 6 मैग्निट्यूड से ज्यादा का भूकंप भी आ चुका था। दिल्ली हो या उत्तराखड रह-रह कर आते भूकंप, चाहे उनसे भारी जान-माल का नुकसान न भी हुआ हो, भविष्य के किसी बड़े भूकंप के संकेतक भी यदि हों तो भी चिंता तो यकीनन पैदा करेंगे।

(लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)

> विडंबना है कि प्रलयकारी भूकंपों की चेतावनियों के बावजूद देश और राज्य सरकारों के साथ ही आम जन भी इन्हें ज्यादा भाव नहीं देता। सोचता है कि भूकंप जब आएगा तब की तब देखी जाएगी। वांछित है कि जोनिंग के हिसाब से 2016 से ही अस्तित्व में आए नेशनल बिल्डिंग कोड का अनुपालन हो। नये निर्माण भूकंप अवरोधी बनें और पुरानों की रिट्रोफिटिटिंग हो। कहा भी जाता है कि लोगों को भूकंप नहीं मारता है, निर्माण संरचनाएं मारती हैं

धनिया पत्ती : फायदे बड़े-बड़े

- दाल हो या सब्जी, रायता हो या चटनी, धनिया की पत्तियां हर खाने का स्वाद और खुश्बू बढ़ा देती हैं। आयुर्वेद में धनिया को औषधि का रूप माना गया है
- अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, धनिये की पत्तियों में विटामिन्स, मिनरल्स के अलावा फोलेट, कैल्शियम, पोटैशियम, आयरन व मैग्नीशियम जैसे तत्व भी पाए जाते हैं
- धनिया की पत्तियों को सुबह खाली पेट चबाने या इनका रस पीने से गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इन्हें चबाने से मुंह में दुर्गंध दूर हो जाती है

(मीडिया इनपुट्स)

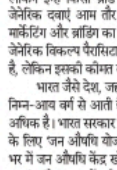

अमेरिका और चीन के बीच भावी तकनीक के हस्तांतरण के लिए खूब छन रही है: अमेरिका चिप डिजाइन सॉफ्टवेयर का निर्यात उदार बना रहा है, जबकि चीन रेयर अर्थ मैग्नेट्स का अमेरिका को किया जा रहा निर्यात खोल रहा है। इस घटनाक्रम के बीच भारत कहां है?

एम.के. वेणु,पत्रकार@mkvenu1

ब्रांडेड और जेनरिक दवा का खेल

मुद्दा **रजनीश कपूर**

भारत में स्वास्थ्य सेवा ऐसा क्षेत्र है, जहां लाखों लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दवाओं पर निर्भर हैं, लेकिन दवाओं के बाजार में एक बड़ा सवाल हमेशा चर्चा में रहता है-ब्रांडेड या जेनेरिक दवाएं? इन दोनों के बीच का अंतर समझना जरूरी है। यह जानना भी जरूरी है कि कैसे फार्मास्युटिकल कंपनियां भोले-भाले ग्राहकों का शोषण कर रही हैं। यह ऐसा विषय है जिसने दर्द के व्यापार को बढ़ावा दिया है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ब्रांडेड या जेनेरिक दवाएं क्या हैं?

ब्रांडेड दवाएं वे होती हैं, जो किसी फार्मास्युटिकल कंपनी द्वारा अपने ब्रांड नाम के तहत बेची जाती हैं। ये दवाएं आम तौर पर महंगी होती हैं क्योंकि इनमें कंपनी की ब्रांड वैल्यू, मार्केटिंग लागत और अनुसंधान एवं विकास का खर्च शामिल होता है। दूसरी ओर, जेनेरिक दवाएं वही दवाएं होती हैं, जिनमें वही सक्रिय रासायनिक तत्व एपीआर (एक्टिव फार्मास्यूटिक इंग्रेडिएंट) होते हैं, जो ब्रांडेड दवाओं में होते हैं, लेकिन इन्हें किसी ब्रांड नाम के तहत नहीं बेचा जाता। जेनेरिक दवाएं आम तौर पर सस्ती होती हैं क्योंकि इनमें मार्केटिंग और ब्रांडिंग का खर्च नहीं होता। जैसे क्रोसिन का जेनेरिक विकल्प पैरासिटामोल है, जो उसी तरह काम करता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत कम होती है।

भारत जैसे देश, जहां अधिकांश आबादी मध्यम और निम्न-आय वर्ग से आती है, में जेनेरिक दवाओं का महत्त्व अधिक है। भारत सरकार ने जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए 'जन औषधि योजना' शुरू की है। इसके तहत देश भर में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। इन केंद्रों पर जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50-90 तक सस्ती मिलती हैं। जैसे टेल्मिसार्टन, जो उच्च रक्तचाप के लिए उपयोग की जाती है, की 10 गोलियों की कीमत 200-300 रुपये हो सकती है। वहीं, टेल्मिसार्टन की जेनेरिक दवा की कीमत 20-50 रुपये हो सकती है। यह अंतर गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों के लिए बड़ा महत्त्वपूर्ण है।

जानकारों के मुताबिक फार्मास्युटिकल कंपनियों की लूट का सबसे बड़ा कारण उनकी मार्केटिंग रणनीति और ब्रांडिंग है। ये कंपनियां ब्रांडेड दवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारी मात्रा में पैसा खर्च करती हैं। डॉक्टरों को मुफ्त नमूने, विदेश यात्राएं और अन्य प्रलोभन दिए जाते हैं ताकि वे मरीजों को ब्रांडेड दवाएं लिखें। नतीजा यह होता है कि मरीज, जो ज्यादातर दवाओं की तकनीकी जानकारी से अनजान होते हैं,

महंगी दवा खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कई फार्मा कंपनियां एक ही दवा को अलग-अलग ब्रांड नाम से भी बेचती हैं, जिससे बाजार में भ्रम पैदा होता है। जैसे पैरासिटामोल को विभिन्न कंपनियां क्रोसिन, कैल्पॉल वी डोलो आदि नामों से बेचती हैं, लेकिन इन सभी में एक ही सक्रिय तत्व होता है। मरीजों को लगता है कि ब्रांडेड दवा ज्यादा प्रभावी होगी जबकि हकीकत में जेनेरिक दवा भी उतनी ही प्रभावी होती है। भारत में जेनेरिक दवाओं के प्रति कई मिथक प्रचलित हैं, जो फार्मा कंपनियों द्वारा फैलाए गए हैं। आम धारणा है कि जेनेरिक दवाएं कम गुणवत्ता वाली होती हैं। यह गलत है। भारत में जेनेरिक दवाओं का निर्माण ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत सख्त नियमों के अधीन होता है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया सुनिश्चित करता है कि जेनेरिक दवाएं गुणवत्ता और प्रभावशीलता में ब्रांडेड दवाओं के बराबर हों। हालांकि, कुछ छोटी दवा कंपनियां, जो जेनेरिक दवाएं बनाती हैं, गुणवत्ता नियंत्रण में कमी कर सकती हैं। लेकिन यह समस्या जेनेरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, कुछ ब्रांडेड दवाओं में भी गुणवत्ता की कमी देखी गई है। इसलिए मरीज विश्वसनीय जन औषधि केंद्रों या लाइसेंसप्राप्त फार्मेसी से ही दवाएं खरीदें।

भारत सरकार ने जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाने, जागरूकता अभियान चलाने और डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं लिखने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। मरीजों को डॉक्टर से पूछना चाहिए कि क्या जेनेरिक दवा ब्रांडेड दवा का विकल्प हो सकती है। फार्मा कंपनियों को भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मुनाफा कमाना गलत नहीं है, लेकिन मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ अनैतिक है। सरकार को ऐसी नीतियां लागू करनी चाहिए जो फार्मा कंपनियों को जेनेरिक दवाओं के उत्पादन-वितरण में प्रोत्साहित करें। दवाओं की कीमतों पर सख्त नियंत्रण होना चाहिए ताकि मरीजों को उचित मूल्य पर दवाएं मिल सकें। भारत जैसे देश, जहां स्वास्थ्य सेवाएं पहले से ही कई लोगों के लिए सुलभ नहीं हैं, में जेनेरिक दवाएं वरदान हैं। लेकिन फार्मा कंपनियों के लालच और भ्रामक मार्केटिंग के कारण मरीजों को अनावश्यक रूप से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। यह समय है कि हम जागरूक हों, जेनेरिक दवाओं को अपनाएं और सरकार से मांग करें कि दवा बाजार में पारदर्शिता और नियंत्रण सुनिश्चित करे। जागरूकता और सही नीतियों से ही हम इस लूट को रोक सकते हैं, और हर भारतीय को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सकते हैं।

हिन्दू धर्म **श्रीराम शर्मा आचार्य**

हिन्दू धर्म और हिन्दू समाज की सेवा के व्रती लाखों साधु-सेन्यासी भारतवर्ष के ग्रामों, कस्बों और नगरों में स्वतंत्रता से विचरते हैं। हिन्दू जाति के इस घोर संकट के समय उनका क्या कर्त्तव्य है? इस विषय पर कुछ लिखना अनुचित न होगा क्योंकि जो प्रभाव हिन्दू जनता पर इन विरक्तों का पड़ता है, वह और किसी का नहीं पड़ सकता। अविद्या अंधकार में सोई हुई हिन्दू जनता को ये महात्मा लोग बहुत शीघ्र जगा सकते हैं। उनका सिंहनाद हिन्दू संतान में नई जान फूंक सकता है। छोटे से छोटे कस्बे में संत-महात्माओं के मठ बने हुए हैं, जहां से हिन्दू संगठन का काम बड़ी आसानी से हो सकता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि साधु-संत हिन्दू संगठन के उद्देश्य को भली प्रकार जानें। हिन्दू जनता आज कैसी दीनावस्था में है, उस पर विधर्मी गुंडे कैसा संगठित प्रहार कर रहे हैं, यह सब देख कर कौन ऐसा साधु-संन्यासी होगा, जिसका हृदय न फटता हो। हिन्दू गृहस्थ सदा श्रद्धा और प्रेम से साधुओं की सेवा करते हैं, देवियां भक्ति भाव से विरक्तों की पूजा करती हैं, आज उन विरक्तों को हिन्दू गृहस्थों के प्रति अपना अपना कर्त्तव्य पालन करने का समय आ गया है। प्रत्येक साधु को दंड और कमंडलु उठा कर हिन्दू संगठन के काम में लग जाना चाहिए। ग्राम-ग्राम और कस्बे-कस्बे में घूम कर अज्ञानी जनता को चैतन्य करना चाहिए, और उसे स्वार्थी लोगों के हथकंडों से बचाना चाहिए। कोई नगर, कस्बा, हिन्दू संगठन से, संघ से खाली न रहे। बड़ी शांति से गृहस्थों को समझा-बुझा कर ऐसे विचार फैलावें कि जिससे हिन्दू फौलादी दीवार की तरह संगठित हो जावें और कोई उन्हें सता न सके। जो साधु-महात्मा देश, जाति और धर्म की सेवा करना चाहते हैं, वे कमर कस कर तैयार हो जाएं और संगठन के बिगुल को हाथ में लेकर नगर-नगर में इसे बजाते हुए घूमें। आज बैठने का समय नहीं, जिससे जो कुछ हो सकता है, उसे उतना काम करना ही चाहिए। हिन्दू संगठन की इस जागृति के काल में जो साधु-महात्मा इस महाप्रतापी हिन्दू जाति की सेवा करेगा उसका नाम भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। यदि हम अपने भगवे कपड़े को सार्थक करना चाहते हैं, तो हमें हिन्दू संगठन का कठिन व्रत लेना होगा।

रीडर्स मेल

कैमरे के पीछे से देखने की आदत

हम इस युग में जी रहे हैं जहां हमारी यादों का ठिकाना अब हमारे दिल-दिमाग या पारिवारिक संदूकों में नहीं, बल्कि अनगिनत सर्वरों में कहीं दूर किसी डेटा सेंटर में छुपा है। कभी तस्वीरें पुराने बक्सों में रखी जाती थीं, जिन्हें बरसों बाद खोलने पर उनकी महक से स्मृतियों की भीनी लहर उठती थी। अब वही तस्वीरें किसी क्लाउड ड्राइव के अनंत फोल्डरों में दबी पड़ी रहती हैं। यह बदलाव जितना सुविधाजनक लगता है, उतना ही खतरनाक भी है क्योंकि धीरे-धीरे हम अपनी स्मृतियों का भार खुद उठाने की क्षमता खोते जा रहे हैं। डिजिटल स्मृति अद्भुत औजार है, जिसने हमें अपनी जिंदगी के हर छोटे-बड़े पल को स्थायी रूप से सहेजने की शक्ति दी। मोबाइल कैमरे की क्लिक में हम किसी दृश्य को फ्रीज कर लेते हैं पर क्या कभी सोचा है कि इस सुविधाजनक संग्रहण की कीमत क्या है? हमने अपनी स्मृतियों को अनुभव करने की बजाय संग्रह करने की वस्तु में बदल दिया है। हम किसी त्योहार में अपने प्रियजनों के साथ मुस्कुराते तस्वीर तो ले लेते हैं, लेकिन उस मुस्कान को पूरी तरह जी नहीं पाते। कैमरे के पीछे से देखने की आदत ने अनुभवों की आत्मा को छीन लिया है।

प्रो. आरके जैन, ई मेल से

जनादेश को प्रभावित करने वाला प्रसंग

बिहार में तीस लाख फर्जी वोटर? फर्जी वोटरों में बांग्लादेशी और पकिस्तानी नागरिक भी शामिल हैं? चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है, नियत समय पर मतदाता पुनःनिरीक्षण का काम दक्षतापूर्ण कर पाएगा या नहीं? फर्जी नागरिकता वालों पर सरकारी संहिताएं सक्रिय नहीं होनी चाहिए? फर्जी घोषित होने वाले लोगों पर आपराधिक मामला क्यों नहीं चलना चाहिए? बिहार ही क्यों, बल्कि पूरे देश में फर्जी और विदेशी वोटरों को भारतीय वोटर सूची से बाहर करने की कार्रवाई होनी ही चाहिए क्योंकि यह प्रसंग जनादेश को प्रभावित करने वाला है। दलीय आधार पर इस प्रसंग को नहीं देखा जाना चाहिए। राष्ट्रहित के मद्देनजर फर्जी मतदाता को कानून का पाठ पढ़ाना ही चाहिए।

आचार्य श्रीहरि, ई मेल से

बोइंग फिर कठघरे में

बोइंग कंपनी एक बार फिर वैश्विक विमानों की सुरक्षा को लेकर कठघरे में है। अहमदाबाद विमान हादसे की प्राथमिक जांच रिपोर्ट से जो तथ्य सामने आए हैं, वे केवल किसी तकनीकी गड़बड़ी की कहानी नहीं कहते, बल्कि यह मामला बड़ी प्रणालीगत विफलता का परिचायक बन चुका है। एअर इंडिया का ड्रीमलाइनर विमान, जिसने 12 जून को अहमदाबाद से उड़ान भरी थी, कुछ ही क्षणों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस भयावह हादसे में 260 यात्रियों की जान चली गई। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में सामने आया कि दोनों इंजन अचानक बंद हो गए थे, जबकि विमान का थ्रॉटल नियंत्रण यंत्र दो बार बोइंग के निर्देशानुसार बदला जा चुका था। इस तथ्य के बावजूद, इंजन का अचानक बंद हो जाना न केवल तकनीकी आशंका को जन्म देता है, बल्कि बोइंग की निर्माण-प्रणाली पर भी गंभीर प्रश्न चिह्न खड़ा करता है। समय आ गया है जब विमानन कंपनियों को समझना होगा कि तकनीकी नवाचार तभी सार्थक हैं, जब वे सुरक्षित, पारदर्शी और उत्तरदायी हों अन्यथा, आकाश की ऊंचाइयां केवल दिखावटी होंगी, और यात्राएं मौत के साये में डोलती रहेंगी।

अवनीश कुमार गुप्ता, ई मेल से

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया काजी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड प्रेस, मौजा-दरियापुर, पुलिस स्टेशन-शाहपुर, दानापुर, पटना से मुद्रित तथा चतुर्थ तल, सहारा इण्डिया बिहार, बोरिंग रोड क्रासिंग, पटना से प्रकाशित। । स्थानीय संपादक - संजय त्रिपाठी *।
पटना कार्यालय- 3911448/417/454/422, फैक्स : 2535935,2520760 विज्ञापन-3911455/434, प्रसार- 3911451/428

CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 18-07-2025 Zone: Mahanagar Edition: 1 Page: NBTMAH14 User: dilip.lal Time: 07-17-2025 21:34 Color:

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 18 जुलाई 2025

बेख़ौफ़ अपराधी

विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ते बिहार में अपराधी बेकाबू हो गए हैं। राज्य की राजधानी पटना के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दिनदहाड़े 5 शूटर्स ने जिस तरह एक गैंगस्टर की हत्या की, उससे यही लगता है कि कानून-व्यवस्था का डर खत्म हो चुका है। पिछले दिनों में एक के बाद एक कई आपराधिक घटनाएं हुई हैं। ऐसे में चुनाव से पहले नीतीश सरकार के सामने कानून-व्यवस्था को ठीक करना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है।

पटना में एक और हत्या

संगठित अपराध । हॉस्पिटल में जिसकी हत्या हुई, वह खुद हत्या के मामले में जेल में बंद था और फिलहाल पैरोल पर बाहर आया था। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस वारदात में विरोधी गैंग शामिल हो सकता है। इसका मतलब कि राज्य में संगठित अपराध फिर सिर उठा रहा है। इसी महीने, 4 जुलाई को बिहार के बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या हुई थी और उसमें भी भाड़े के शूटर्स का इस्तेमाल किया गया था।

लगातार कई वारदात । नैशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में बिहार भले अपराध में कई दूसरे राज्यों से पीछे दिखता हो, लेकिन सच यही है कि आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते। राज्य में ये अपराध तब हो रहे हैं, जब पूरा फोकस क्राइम कंट्रोल पर है। खेमका हत्याकांड के कुछ दिनों बाद ही पटना में BJP नेता विक्रम झा की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद एक वकील और शिक्षक को निशाना बनाया गया। यह सिलसिला कहीं रुकता नहीं दिख रहा।

अजीब तर्क । बिहार पुलिस भी मान रही है कि हाल में हत्याएं बढ़ी हैं। हालांकि उसके एक वरिष्ठ अधिकारी जो कारण गिनाते हैं, उन पर भरोसा करना मुश्किल है। उनके हिसाब से जून में ज्यादा वारदात होती हैं, क्योंकि मॉनसून आने के पहले तक किसान खाली बैठे होते हैं। इस तरह के बहानों से तो क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता। और न ही यह कहने से काम चलेगा कि चुनावी साल की वजह से राजनीतिक दलों और मीडिया का इधर फोकस ज्यादा है।

राजनीतिक असर । बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे के साथ हमेशा राजनीति का पहलू जुड़ा रहा है। राज्य के लोगों के जहन में कई बुरी यादें हैं और राजनीतिक खेल में यह कोशिश होती है कि ये यादें कभी कमजोर न पड़ें। अभी तक इसका फायदा सीएम नीतीश कुमार को मिला है। नीतीश और BJP ने लालू-राबड़ी यादव के कार्यकाल को हमेशा 'जंगलराज' के तौर पर पेश किया। लेकिन, अब वही सवाल पलट कर उनकी ओर आ रहे हैं। राज्य सरकार अपने बचाव में बार-बार दो दशक पुरानी बातें नहीं उठा सकती। आखिर उन्हीं बातों को बदलने के लिए तो जनता ने उसे चुना है।

आजकल

विकास चाहिए पर...

प्रशांत अस्थाना

मिजोरम जल्द ही देश के रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है। इसके बाद यहां पहुंचना आसान हो जाएगा। यह खबर विकास के नजरिए से बेहद अहम है। इससे राज्य में कारोबार, पर्यटन और रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। लेकिन, इसके साथ एक चिंता भी सिर उठा रही है, 'क्या हम अपनी पहचान बचा पाएंगे?' आईजोल में रहने वाले 42 वर्षीय जॉन 18 साल दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में रह चुके हैं। वह कहते हैं, 'ट्रेन शुरू होगी तो बहुत लोग आएंगे। कौन होगा, कैसे रहेगा, क्या करेगा - ये सब कंट्रोल करना कठिन होगा। हमने बड़ी मुश्किल से अपनी संस्कृति बचाई है। लड़कियां यहां पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती हैं। हमारे यहां अपराध की दर बहुत कम है। क्या हम ये सब खो देंगे?' जॉन की चिंता सिर्फ उनके अपने अनुभवों पर आधारित नहीं है। यह उस सामूहिक डर का हिस्सा है, जो मिजोरम और नॉर्थ ईस्ट के कई लोगों के दिलों में पल रहा है - बाहरी असर से अपने समाज, संस्कृति और सुरक्षा को खो देने का डर।

नैशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े बताते हैं कि देश में महिलाओं के खिलाफ सबसे कम अपराध जिन 10 राज्यों में होते हैं, उनमें से 5 नॉर्थ ईस्ट में हैं। मिजोरम, सिक्किम के बाद दूसरे नंबर पर आता है। पूर्वोत्तर में जेंडर इक्वेलिटी पर रिसर्च करने वाले लालसंग बताते हैं, 'मिजोरम में कहीं भी चले जाइए, महिलाएं देर रात सड़क किनारे सामान बेचती दिख जाएंगी, वह भी बिना किसी पुरुष की मौजूदगी के। यह सिर्फ सुरक्षा नहीं, समाज की सोच को भी दर्शाता है। यहां महिलाएं बाइक टैक्सी चलाती हैं, खुद फैसले लेती हैं और हर क्षेत्र में आगे हैं।' पूर्वोत्तर ने ऐसी दुनिया बनाई है, जहां महिलाओं को बराबरी और सम्मान - दोनों मिलता है। उन्हें कोई जज नहीं करता, कोई तंग नहीं करता। लेकिन, उन्हें डर है कि बाहरी प्रभाव उनके शांत समाज और पारंपरिक जीवनशैली को बदल सकता है। नॉर्थ ईस्ट में तैनात एक अधिकारी बताते हैं, 'यहां के लोग मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन यह जुड़ाव सम्मान और समझ के साथ हो।' जॉन कहते हैं, 'हम विकास चाहते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी पहचान की कीमत पर नहीं।'

एकदा

संवेदनशील नेताजी

नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1941-43 के बीच निर्वासन के दौरान जर्मनी में थे। ब्रिटिश सरकार बार-बार उनकी मौत की अफवाह फैलाती। ब्रिटेन के सहयोगी मीडिया संस्थान ऐसी खबरों को प्रकाशित करते। एक बार ऐसी ही खबर एक भारतीय अखबार में छप गई। जब नेताजी ने वह खबर पढ़ी, तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जो शख्स किसी कठिनाई से विचलित नहीं होता था, वह एक झूठी खबर पर क्यों रो पड़ा? यह सवाल सहयोगियों को परेशान करने लगा। एक साथी ने नेताजी से पूछ लिया, 'क्या आप झूठी खबर से डर गए? आप तो यहां भले-चंगे मौजूद हैं।' नेताजी ने साथी के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, 'मैं तो यहां अच्छा भला हूं, लेकिन मेरी मां यह खबर सुनकर कैसा महसूस करती होंगी, यही सोचकर मेरी आंखें भर आईं।' 'Netaji Subhas Chandra Bose and Germany' नाम की किताब में जर्मनी में नेताजी के संघर्ष की कहानी है। उनकी कहानी स्पष्ट करती है कि उनका अपनी मां के प्रति असीम प्यार था। अपने इरादों पर मजबूती से डटे रहने वाले नेताजी कभी विचलित नहीं होते थे, लेकिन इस तरह की खबरें उनकी मां को विचलित कर सकती हैं, यह सोच कर नेताजी को बहुत दुख होता। यह घटना बताती है कि नेताजी लोहे जैसे इरादों वाले देशभक्त थे, लेकिन अपनी मां के लिए बेहद संवेदनशील पुत्र।

Subrata Dhar

संकलन : दीनदयाल मुरारका

बिहार में Special Intensive Revision की टाइमिंग और मक़सद पर भी सवाल

एक देश एक चुनाव से जुड़ा मामला तो नहीं!

नंदिता सेनगुप्ता

तेलुगु देशम पार्टी चाहती है कि चुनाव आयोग यह स्पष्ट करे कि Special Intensive Revision यानी SIR का संबंध नागरिकता के वेरिफिकेशन से नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते आयोग से पूछा था कि आप नागरिकता तय करने के मामले में क्यों पड़ रहे हैं।

जन्म प्रमाणपत्र पर जोर । चुनाव आयोग के मुताबिक, 1987 के बाद और 2004 के पहले जन्म लेने वालों को साबित करना होगा कि उनके माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है। इसी तरह, 2004 के बाद पैदा हुए लोगों को अपने दोनों पैरंट्स के भारतीय होने का सबूत देना होगा। कई गरीब और ऐसे लोग जो देश के भीतर ही एक से दूसरी जगह जा बसे हैं, ऐसे डॉक्युमेंट नहीं दिखा पा रहे। इनमें अल्पसंख्यक भी हैं।

SIR क्यों
- चुनाव आयोग नहीं तय कर सकता किसी की नागरिकता
- अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए BLO विशेषज्ञ नहीं
- आधार अगर भरोसेमंद नहीं, तो वोटर ID से क्यों जोड़ा जा रहा

BLO के अधिकार । चुनाव आयोग ने अपने 24 जून के सर्कुलर में कहा था कि बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) उन मतदाताओं के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं, जो उन्हें डॉक्युमेंट्स की कमी या किसी और कारण से संदिग्ध लगते हैं। किसी के संदिग्ध लगने का मामला पूरी तरह से सब्जेक्टिव है। दूसरी बात यह कि स्कूल टीचर, डाक कर्मी और दूसरे सरकारी कर्मचारी ही BLO होते हैं। अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए इनके पास न तो अधिकार हैं और न विशेषज्ञता।

समरी रिवीजन । यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले SIR को आजमाने के लिए चुनाव आयोग ने बिहार को क्यों चुना। 2000 के बाद से SIR की प्रक्रिया बंद थी, क्योंकि माना गया था कि डिजिटलीकरण से वोटर लिस्ट में दोहराव और अयोग्य नामों की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए समरी रिवीजन करता रहता है। मसलन - 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में समरी रिवीजन के बाद 8 लाख नाम हटाए गए थे।

इंतजार क्यों । सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए कि चुनाव आयोग जनवरी 2025 के रिवीजन पर विचार क्यों नहीं करता। अगर 2022 के कास्ट सर्वे के मुताबिक, बिहार के सीमांचल के जिलों में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड थे, तो आयोग ने तीन साल तक इंतजार क्यों किया? आयोग उसी समय विधानसभा क्षेत्रवार जांच का आदेश दे सकता था। चुनाव आयोग या किसी भी राज्य चुनाव आयोग के पास कोई वैज्ञानिक अध्ययन, सर्वे या आकलन नहीं है कि मतदाता सूची में कितने डुप्लीकेट या अयोग्य वोटर हैं। फिर पूरे देश में इतने कम वक्त में SIR की जरूरत क्यों पड़ गई?

आधार क्यों बेकार । SIR के लिए आयोग आधार कार्ड को मान्यता नहीं दे रहा, हालांकि उसने देशभर में करीब 80% आधार नंबर जुटा लिए हैं और आधार को वोटर आईडी से जोड़ने का काम भी तेज कर दिया है। अगर SIR के लिए आधार कार्ड पर भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर इसे वोटर आईडी से जोड़ने पर इतना जोर क्यों? जब चुनावी कामकाज, खासकर मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह तकनीक से चलने लगती है, तो मतदाता और सरकार के बीच सीधा इंसानी संपर्क कम हो जाता है। वोटर लिस्ट में फर्जी या डुप्लीकेट नामों की पहचान टर्नआउट पैटर्न यानी वोटिंग के तरीके से हो सकती है। हर चुनाव के पहले समरी रिवीजन में यह किया भी जाता है।

हर लिस्ट अलग । आयोग ने डुप्लीकेट नामों को हटाने की जरूरत बताई है। मतदाता सूची टुकड़ों में बनती है। इन टुकड़ों को जोड़कर एक निर्वाचन क्षेत्र की लिस्ट तैयार की जाती है। लेकिन दो निर्वाचन क्षेत्रों या दो जिलों के बीच लिस्ट जुड़ी है या नहीं, यह स्थिति हर राज्य में अलग है। आयोग ने EPIC portability की योजना बनाई थी। इसके लिए मतदाता सूचियों को आपस में जोड़ना था। यह काम अभी तक नहीं हो सका है। इसके बिना SIR से कैसे साबित होगा कि एक शख्स का नाम दो राज्यों में दर्ज है? यह सिर्फ तकनीक का मामला नहीं है। भारत की संघीय व्यवस्था को देखते हुए यह राजनीतिक, संघीय और कानूनी मुद्दा है।

वन नेशन, वन इलेक्शन । सभी राज्यों की वोटर लिस्ट को एक ही जगह लाना हद से ज्यादा केंद्रीकरण है। हालांकि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' को देखते हुए यह उपयुक्त लगता है। SIR शायद पूरे देश के लिए एक ही वोटर लिस्ट बनाने की एक नई तकनीकी कोशिश है।

नया फोकस । ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग का लक्ष्य बदल गया है। पहले फोकस प्रवासी लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करने पर था, अब अयोग्य मतदाताओं को हटाने पर है। हालांकि कोई भी सर्वे यह नहीं बताता कि अयोग्य मतदाताओं की समस्या फर्जी वोटिंग या वोटर लिस्ट से नाम गायब होने से ज्यादा बड़ी है। 'वन नेशन, वन इलेक्शन' से राज्य चुनाव आयोगों की शक्तियां कम होंगी। इन्हें SIR की जरूरत को लेकर चुनाव आयोग से सवाल करना चाहिए।

NBT आमने-सामने

आयोग के कामकाज में अड़ंगा क्यों डालना

प्रत्युष कंठ

बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर विपक्ष चुनाव आयोग पर निरंतर हमले कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जो विपक्षी गठबंधन निजता व संवैधानिक अधिकारों का हवाला देकर आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने का संसद में विरोध कर रहा था, आज वही आयोग से आधार कार्ड को वैध पहचान के रूप में मान्यता देने की मांग कर रहा है।

आयोग का दायरा । सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को कोई राहत नहीं दी और स्पष्ट रूप से कहा कि चुनाव आयोग जो भी कर रहा है वह उसके संवैधानिक अधिकारों के अंदर ही आता है। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं लगाई और अपनी प्रक्रिया को जारी रखने के लिए कहा है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि विपक्ष इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रहा है।

नियमों के अनुरूप । निर्वाचन आयोग ने 24 जून 2025 को बिहार में मतदाता सूची के विशेष व्यापक पुनरीक्षण की प्रक्रिया के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए थे। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह है कि सभी योग्य नागरिकों का नाम सूची में जोड़ा जाए और मृतकों, स्थानांतरित लोगों और अवैध विदेशी नागरिकों जैसे अपात्र नामों को हटाया जाए। यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और संवैधानिक नियमों के अनुरूप है।

लंबे समय से लंबित । ध्यान रहे कि यह प्रक्रिया केवल आवश्यक ही नहीं, बल्कि लंबे समय से लंबित भी थी। बिहार में पिछली बार ऐसी प्रक्रिया 2003 में की गई थी। तब से लेकर अब तक राज्य में शहरीकरण, जनसंख्या में बदलाव और युवा मतदाताओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इन बदलावों के कारण मतदाता सूची को अपडेट करना अत्यंत आवश्यक हो गया है।

अपील का अधिकार । यह पूरी प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत की जा रही है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की गारंटी देता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16 और 23 के अनुसार निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची को संशोधित और प्रमाणित करने का अधिकार है। धारा 24 के तहत अपील की प्रक्रिया उपलब्ध है, जिससे कोई भी मतदाता या पार्टी आपत्ति दर्ज कर सकती है।

निजता की सुरक्षा । निर्वाचन आयोग ने पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ईसीआईनेट नामक डिजिटल प्लैटफॉर्म पर दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू की है। ये दस्तावेज केवल अधिकृत अधिकारियों को ही उपलब्ध होते हैं, जिससे नागरिकों की निजता सुरक्षित रहती है और सत्यापन प्रक्रिया भी सुव्यवस्थित ढंग से होती है।

नागरिकों की भागीदारी । यह प्रक्रिया पूरी तरह समावेशी, पारदर्शी और नागरिकों की भागीदारी पर आधारित है। जमीनी स्तर पर 77,000 से अधिक बूथ स्तर अधिकारी, 20,000 से अधिक नए नियुक्त अधिकारी और चार लाख स्वयंसेवक बुजुर्गों, दिव्यांगों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और दूरदराज के क्षेत्रों के नागरिकों तक पहुंचने का कार्य कर रहे हैं।

चिंता की वजह नही
- सुप्रीम कोर्ट ने माना, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा
- वोटर लिस्ट की समय-समय पर सफाई जरूरी है
- विपक्ष 'राजनीति' के चक्कर में SIR को मुद्दा बना रहा

सभी को समान अवसर । इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 1,56,000 बूथ लेवल एजेंट कार्यरत हैं, जिनमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। इनका कार्य यह सुनिश्चित करना है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चले। यही नहीं, सभी राजनीतिक दलों को इसमें समान अवसर दिया गया है।

अभियान की तेज गति । अब तक प्राप्त आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि निर्वाचन आयोग इस प्रक्रिया को कितनी गंभीरता और दक्षता से पूरा कर रहा है। 12 जुलाई 2025 की शाम 6 बजे तक आयोग ने 6 करोड़ 32 लाख 59 हजार 497 फॉर्म प्राप्त कर लिए थे, जो कुल अनुमानित संख्या का 80.11 प्रतिशत है। इसका अर्थ है कि हर पांच में से चार मतदाताओं ने अपने फॉर्म भर दिए हैं। जिस गति से कार्य हो रहा है, उससे यह उम्मीद की जा रही है कि 25 जुलाई 2025 तक अधिकांश फॉर्म एकत्र हो जाएंगे।

अड़ंगा डालने का प्रयास । निर्वाचन आयोग ने यह भी खयाल रखा है कि जनता को असुविधा भी न हो। यह प्रक्रिया हर राजनीतिक दल से सहयोग और समर्थन की अधिकारी है। जब भारत निर्वाचन आयोग पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन कर रहा है, तब कांग्रेस और उसके सहयोगी दल उसे रोकने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं।

जनता का समर्थन । बिहार हमेशा से बदलाव का प्रतीक रहा है। बिहार के लोगों को सच्चाई चाहिए, पारदर्शिता चाहिए और संविधान के अनुसार कार्य चाहिए। जनता ईमानदार व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खड़ी है, न कि भ्रम और धोखे की राजनीति के साथ।

(लेखक BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं)

पंजाब में AAP सरकार ने लोगों से किए सारे वादे भुला दिए हैं

विशुद्ध राजनीति इंटरव्यू

पंजाब में लोकसभा चुनाव और उसके बाद दो बार हुए विधानसभा सीटों के उपचुनाव में BJP को हार मिली है। राज्य में आम आदमी पार्टी की बहुमत की सरकार है। दिल्ली में भी आप की सरकार थी लेकिन यहां BJP ने लंबे समय बाद सत्ता में वापसी की है। पंजाब अभी भी BJP के लिए बड़ी चुनौती है। वहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी अभी से चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक नए रोडमैप पर काम कर रही है। पंजाब में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अश्विनी कुमार शर्मा की नियुक्ति को इसी दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। पंजाब चुनावों को लेकर BJP की रणनीति क्या होगी, क्या 2027 में पार्टी को दिल्ली की तरह ही वापसी का मौका मिलेगा, ऐसे तमाम मुद्दों पर NBT के विशेष संवाददाता **भूपेंद्र शर्मा** ने पंजाब के कार्यकारी अध्यक्ष **अश्विनी कुमार शर्मा** से बातचीत की। प्रस्तुत हैं मुख्य अंश:

■ प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मिली बड़ी जिम्मेदारी को आप कैसे देख रहे हैं, भविष्य की क्या रणनीति होगी?

पंजाब में आम जनता की परेशानियों और स्थानीय मुद्दों को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता जल्द ही सड़कों पर उतरेंगे। भगवंत मान मान सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध पहले से ही जारी है, उसे अब और धार दी जाएगी। आम आदमी पार्टी के विधायकों के प्रति लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। मान सरकार ने जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। जिन बड़े-बड़े वादों के साथ आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, उन्हें जैसे भुला ही दिया गया है। जनता आप सरकार की सचाई को समझ चुकी है। भविष्य की रणनीति में सबसे पहले संगठन को मजबूत किया जाएगा। एक महीने के अंदर यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। BJP के कार्यकर्ता पंजाब की जनता के बीच आप सरकार की सचाई को सामने लाएंगे।

■ पंजाब की मौजूदा सरकार पर वादाखिलाफी के आरोप क्यों?

आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले महिलाओं को सम्मान राशि देने का वादा किया था। हमारी मांग है कि महिलाओं को 2022 से ही सम्मान राशि मिलनी चाहिए। यह वादा भी पंजाब सरकार ने पूरा नहीं किया है। मार्च 2022 से लेकर अब तक पंजाब की हर महिला को हर महीने के हिसाब से करीब 40 हजार रुपये मिलने चाहिए क्योंकि आप सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि हर महीने एक हजार रुपये देंगे। महिलाओं ने बड़ी संख्या में आप को वोट किया था।

■ पंजाब सरकार राज्य की एक बड़ी समस्या नशे के खिलाफ अभियान चला रही है, इस पर आपका क्या कहना है?

पंजाब सरकार का नशे के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान विज्ञापनों तक ही सीमित है। आप ही बताइए जब तक नशे की सप्लाई चेन नहीं तोड़ी जाएगी, तब तक नशे के खिलाफ अभियान कैसे कामयाब हो सकता है। पंजाब में आज भी युवाओं को आसानी से ड्रग्स मिल जाती है। तो सवाल है, कैसे सरकार दावा कर रही है कि नशे को खत्म किया जा रहा है। खोखले दावों से सचाई बदल नहीं जाती।

■ संगठन निर्माण पर क्या योजना है?

पार्टी एक महीने के अंदर संगठन को मजबूत बनाने की प्रक्रिया पूरी कर लेगी और BJP के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर जनविरोधी नीतियों का विरोध करेंगे। सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी- बिजली की हालत खराब है। क्राइम बढ़ रहा है। लोग परेशान हैं। पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता आम लोगों के लिए काम करेगा। नई नियुक्तियां भी होंगी, हर गांव-कस्बे तक संगठन के कार्यकर्ता लोगों के बीच जाएंगे।

रीडर्स मेल www.edit.nbt.in

■ दबाव में न आए भारत

17 जुलाई का संपादकीय 'अपना-अपना हित' पढ़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति बौखलाए हुए हैं। दुनिया में सब कुछ उनके मुताबिक नहीं हो रहा। बार-बार कहने के बावजूद अमेरिका और यूरोपीय देशों के पाले में नहीं गया। अब रूस को यूक्रेन से युद्ध बंद करने की डेडलाइन दे दी गई है और रूस से तेल और अन्य सामान खरीदने वाले देशों को भी परोक्ष चेतावनी दे दी गई है कि उन्होंने रूस से सामान खरीदना जारी रखा तो उन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा। बहरहाल, भारत को ट्रेड के सवाल पर किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए।

चंद्र प्रकाश शर्मा, रानी बाग

■ अंतिम रिपोर्ट का इंतजार

15 जुलाई का संपादकीय 'सवालों भरी रिपोर्ट' पढ़ा। इस अंतरिम रिपोर्ट ने मामला अधिक संदेहास्पद बना दिया है। कुछ ने तो पायलट को मानसिक रूप से अस्वस्थ बता दिया। कुछ उदारता दिखाकर मशीनी गड़बड़ी होने का शक जता रहे हैं। इस ड्रीमलाइनर विमान में ऐसी खामियों की तरफ पहले भी इशारा किया जा चुका था। सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच रिपोर्ट का इंतजार है।

लीलाम्बर पंत, केशवपुरम

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

रागी इडली, ज्वार उपमा... संसद की कैंटीन होगी हेल्दी - एक खबर

- गरीबों वाला खाना, उनकी ही थाली से हो गया है गायब!

प्रेरणा श्रीवास्तव

किसी भी हथियार से अधिक मानव चेतना की शक्ति

श्री श्री आनंदमूर्ति

आज का युग फिर से विश्वव्यापी संघर्ष की ओर झुकता दिखाई दे रहा है। चारों ओर भय का वातावरण है। परमाणु हथियारों का डर, युद्ध की आशंकाएं और असहिष्णुता की बढ़ती लपटें। इस विपरीत समय में मानवता के सामने प्रश्न है - क्या हम अपने ही निर्माण से विनाश की ओर जा रहे हैं? क्या एटमी हथियारों का डर ही हमारा भविष्य तय करेगा?

लेकिन इन घोर आशंकाओं के बीच एक सनातन, अपराजेय सत्य अब भी चमकता है कि मानव चेतना की शक्ति किसी भी हथियार से कहीं अधिक है। किसी महापुरुष ने कहा है कि मानव शक्ति, परमाणु बमों की शक्ति से कहीं अधिक है। परमाणु बम विध्वंसक हैं, लेकिन वे भी मानव मस्तिष्क की ही उपज हैं। यदि मानव चेतना से ये अस्त्र उत्पन्न हो सकते हैं, तो वही चेतना उन्हें निष्क्रिय करने, निरस्त्र करने और शांति की दिशा में रूपांतरित करने की क्षमता भी रखती है। इसके लिए मनुष्य को अपनी चेतना को जगाना है। अपनी अहमियत समझनी है।

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

www.speakingtree.nbt.in

इस विषय को एक उदाहरण से समझते हैं। सभी जानते हैं कि हाथी की शारीरिक शक्ति बहुत अधिक है, पर उसकी तुलना में काफी छोटा महावत अपने मानसिक संकेतों से उसे नियंत्रित कर सकता है, यह जानते हुए भी कि हाथी से वह अधिक बलशाली नहीं है।

समझने वाली बात यह है कि भौतिक शक्ति और मानसिक, आत्मिक शक्ति के बीच यही संबंध है। परमाणु बमों की ऊर्जा अंधी है, दिशाहीन है। पर मानव चेतना सूक्ष्म है, गूढ़ है और अनंत संभावनाओं से युक्त है। विज्ञान कहता है, उस परमाणु को विभाजित करो और तुम भयंकर ऊर्जा प्राप्त करोगे। जब किसी व्यक्ति को ब्रह्मज्ञान की अनुभूति हो जाती है, तब भय का कोई अस्तित्व नहीं रहता। संसार डगमगाता है, पर आत्मा अडिग रहती है।

इसलिए, आज जब मानवता को विध्वंसक प्रवृत्तियों और प्रलयंकारी हथियारों से खतरा है, तब शांति का मार्ग शस्त्रों से नहीं, चेतना के जागरण से निकलेगा। हमें अपने भीतर छिपे उस दिव्य स्रोत को पहचानना होगा, उस परम पुरुष को जो हर जीव में वास करता है। जब हम अपने आप को उसी ईश्वरीय चेतना का अंश मानते हैं, तो भय अपने आप विलीन हो जाता है। तब हम प्रतिरोध से नहीं, प्रबोधन से उठते हैं, और अलगाव में नहीं, Cosmic Unity में खड़े होते हैं।

आज जब विश्व एक बार फिर से अंधकार की ओर बढ़ता प्रतीत होता है, तब हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। हमें भीतर की ज्योति को प्रज्वलित करना है, उस चेतना को जाग्रत करना है जो साहस, स्पष्टता और दिव्यता से ओतप्रोत हो। केवल एक प्रबुद्ध आत्मा ही इस धरती पर सच्ची शांति स्थापित कर सकती है।

प्रस्तुति : दिव्यचेतनानंद अवधूत

कल्पमेधा

किसी भी व्यक्ति को जानने का पैमाना यह नहीं है कि वह आराम और सुविधा के क्षणों में कहां है, बल्कि यह है कि वह चुनौती और विवादों के क्षणों में कहां पर है।

- मार्टिन लूथर किंग जूनियर

मुफ्त का औजार

पिछले कुछ वर्षों से देश के राजनीतिक दलों के लिए जैसे-जैसे वास्तविक मुद्दों पर आम जनता का समर्थन हासिल करना मुश्किल होता गया है, लोगों के सामने कोई सुविधा या सामान मुफ्त देने का वादा करके उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया जाने लगा है। वोट हासिल करने की मंशा से स्कूटी, टीवी या लैपटाप या फिर कुछ राशि देना हो या फिर कोई अन्य सामान, मकसद यह होता है कि लोगों को मुफ्त मुहैया कराने का वादा किया जाए, ताकि वे मुद्दा आधारित राय बनाने की ओर ध्यान न दें। यही वजह है कि लगभग हर चुनाव के पहले जनता को कोई सुविधा मुफ्त दिलाने के लिए राजनीतिक दलों के बीच एक तरह से होड़ लग जाती है। हालांकि इस तरह के चलन ने लोकतांत्रिक मूल्यों को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है और इससे लोभ-आधारित मतदान की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलने के खतरे पैदा हुए हैं। यों इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि सरकारी धन का उपयोग बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और विकास कार्यों में होना चाहिए, न कि चुनावों में वोट बटोरने की मंशा से मुफ्त की सौगातों पर खर्च करने के लिए।

विडंबना यह है कि एक ओर सरकारें जन-कल्याण कार्यक्रमों के लिए धन जारी करने को लेकर कई तरह के बहाने बनाती रहती हैं, दूसरी ओर सत्ता में वापसी या उसे हासिल करने के लिए व्यापक पैमाने पर मुफ्त की कोई सुविधा मुहैया कराने के वादे किए जाते हैं। एक तरह से यह जनता को दिया जाने वाला लालच है, जिसके जरिए बुनियादी सुविधाओं और अन्य जरूरी मुद्दों पर पर्दा डाला जाता है। हाल के वर्षों में चुनावों में जीत हासिल करने के लिए अमूमन हर पार्टी ने इस मुफ्त के औजार का इस्तेमाल किया है और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार अब इसका अपवाद नहीं है। गौरतलब है कि गुरुवार को बिहार सरकार ने आम घरेलू उपभोक्ताओं को एक सौ पच्चीस यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। यह फैसला अगले महीने से लागू हो जाएगा। इससे पहले नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलने वाली पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी कर दी थी। जाहिर है, बिहार में इस तरह की घोषणाओं की पृष्ठभूमि में अगले कुछ महीने के भीतर होने वाले विधानसभा चुनाव हैं। हालांकि बिजली मुफ्त मुहैया कराने के मसले पर नीतीश कुमार की राय अलग थी, लेकिन ऐसा लगता है कि अब उन्हें भी जनता के सामने मुफ्त की रेवड़ियों का सपना दिखाने में कोई हिचक नहीं हो रही।

आखिर क्या कारण है कि बिहार सहित देश भर में जहां भी इस तरह के मुफ्त की सौगात जनता को देने के वादे किए जाते हैं, उनका समय हर बार चुनाव से पहले का वक्त होता है! सड़क, शिक्षा-व्यवस्था, रोजगार आदि के मसले पर खर्च का सवाल आते ही धन की कमी का रोना वाली सरकारों को अपने अधिकार के क्षेत्र के सभी लोगों के लिए किसी सुविधा को मुफ्त करने का वादा करने में कोई हिचक नहीं होती। जबकि अगर न्यायपूर्ण आय और उचित खर्च के स्तर को बनाए रखा जाए, रोजगार के सवाल पर ईमानदार इच्छाशक्ति से काम किया जाए, तो लोगों की क्रयशक्ति को इतना मजबूत जरूर बनाया जा सकता है कि उन्हें मुफ्त सौगात की जरूरत नहीं पड़े। अफसोस यह भी है कि लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के बजाय सरकारें उनमें परनिर्भरता की आदत डालने में ज्यादा रुचि दिखा रही हैं। इस क्रम में जनकल्याण की जिम्मेदारी के तहत किए जाने वाले कार्यों और मुफ्त की रेवड़ियों में फर्क मिटाने की कोशिश की जा रही है।

जोखिम की उड़ान

अहमदाबाद में एअर इंडिया विमान हादसे के बाद से विमान सेवाओं की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। अगर उड़ान भरते ही किसी विमान का इंजन फेल हो जाए या फिर बीच रास्ते में तकनीकी खराबी आ जाए, तो इससे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया सकता है। हवाई यात्रा में जोखिम इतना गहरा है कि हादसे की सूरत में बचने गुंजाइश नहीं होती। पिछले कुछ महीनों से लगातार घट रही घटनाओं से विमानन कंपनियों की साख तो खतरे में है ही, वहीं यात्रियों का भरोसा भी टूट रहा है और वे यात्रा के जोखिम को लेकर आशंकित हो रहे हैं। ऐसी घटनाओं की जवाबदेही स्पष्ट रूप से तय होनी चाहिए। अहमदाबाद हादसे से देश उबरा भी नहीं है कि बुधवार की रात विमान यात्री उस समय सहम गए, जब दिल्ली से गोवा जा रहे विमान का एक इंजन रास्ते में खराब हो गया। यह एक आपात स्थिति थी। लिहाजा मार्ग बदल कर उसे मुंबई में सुरक्षित उतार लिया गया। पायलट के समय रहते संदेश के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। यह चिंता की बात है कि विमानों के इंजन फेल होने के मामले बढ़ रहे हैं। विमानन कंपनियां डीजीसीए की हिदायत के बाद भी सजग नहीं दिख रही हैं। विडंबना यह है कि सुरक्षा या अन्य स्तर की जांच के संबंध में सख्त निर्देश किसी बड़े हादसे के बाद ही आते हैं।

विमान के इंजन बंद होने या किसी भी तकनीकी खराबी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हाल ही में इंडिगो का ही एक विमान पटना में हवाई पट्टी को छू कर दोबारा उड़ गया था और इस दौरान यात्रियों की सांसें अटकी रहीं। पांच मिनट बाद उसे सुरक्षित उतारा गया। अधिकतर हादसे विमान के उड़ान भरने या उतरते समय ही हुए हैं। सवाल है कि विमानों में तकनीकी खराबी के मामले क्यों बढ़ रहे है? किसी भी विमान की उड़ान से पहले सुरक्षा जांच और तकनीकी रूप से हर कसौटी पर सौ फीसद दुरुस्त होना सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। एक छोटी-सी खामी या भूल उड़ान और उसमें सवार सभी यात्रियों के जीवन को खतरे में डाल सकती है। यह बेहद चिंताजनक है कि अहमदाबाद हादसे के अलावा, छोटी-बड़ी गड़बड़ियों की लगातार खबरें आने के बावजूद सुरक्षित उड़ान को लेकर पर्याप्त सजगता बरतने की जरूरत शायद महसूस नहीं की जा रही है।

सुरक्षा परिषद और भारत की दावेदारी

ब्राजील में हुए ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर जोर दिया गया। रूस भी कई बार कह चुका है कि स्थायी सदस्यता के लिए भारत मजबूत दावेदार है। दुनिया के कई देश इस मामले में भारत के साथ खड़े दिखाई देते हैं, मगर नतीजे वहीं के वहीं हैं।

सुशील कुमार सिंह

ब्रिक्स देशों का सम्मेलन बीते छह-सात जुलाई को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ, जहां कई ज्वलंत मुद्दे उठे और इन्हीं में एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार से संबंधित भी था। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सुरक्षा परिषद को और अधिक लोकतांत्रिक, प्रभावी और कुशल बनाने की वकालत की है। खास बात यह भी रही कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र में तुलनात्मक रूप से बढ़ी हुई भूमिका निभाने की ब्राजील और भारत की इच्छा का समर्थन किया है। वैसे देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का मामला दशकों पुराना है। यदि अमेरिका जैसे देश वास्तव में इस मसले पर गंभीर हैं, तो सुरक्षा परिषद में बड़े सुधार को सामने लाकर भारत को स्थायी सदस्य के रूप में उसमें जगह दी जानी चाहिए। कई वर्ष पहले रूस ने जोर दिया था कि स्थायी सदस्यता के लिए भारत मजबूत दावेदार है। दुनिया के कई देश इस मामले में भारत के साथ खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन नतीजे वहीं के वहीं हैं।

पिछले वर्ष भारत दौरे पर आए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र का मौजूदा स्वरूप विश्व की बदलती जरूरतों के मुताबिक नहीं है और इसमें सुधार नितांत आवश्यक है। अब ब्रिक्स सम्मेलन में चर्चा के बाद यह मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने जोर दिया है कि सुरक्षा परिषद में सुधार वैश्विक दक्षिण के हितों के अनुरूप होना चाहिए। यानी यह सुधार विकासशील देशों की भूमिका को विस्तार देने से भी जुड़ा होना जाना चाहिए। वैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर विश्व व्यापार संगठन पर भी सवाल उठते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की उपयोगिता और उसकी सफलता तथा विफलता की लकीर भी कमोबेश छोटी-बड़ी रही है। संदर्भ यह भी है कि किसी भी संगठन या परिषद को यदि सुधार और बदलाव से विमुख कर लंबे समय तक रखा जाए, तो उसमें गैर उपजाऊ तत्त्व स्वतः शामिल हो जाते हैं। दुनिया में भारत का बढ़ता कद मौजूदा समय में पूरी धमक के साथ प्रतिबिंबित करता है कि सुरक्षा परिषद में फेरबदल के साथ उसे स्थायी सदस्य बनाया जाए। तभी वैश्विक हित के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संतुलन संभव है।

विदित हो कि संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में भारत भी शुमार था और अब तक वह सुरक्षा परिषद का आठ बार सदस्य भी रह चुका है। आखिरी बार वर्ष 2021-22 में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत ने अपनी भूमिका निभाई थी। मगर पूरी योग्यता और व्यापक समर्थन के बावजूद अभी तक उसे स्थायी सदस्यता नहीं मिल पाई है। हालिया परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ब्रिक्स सम्मेलन में एक बार फिर इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी है। ब्रिटेन भी सुरक्षा परिषद के विस्तार का समर्थन करता रहा है, इतना ही नहीं वह भारत, जापान, ब्राजील समेत अफ्रीकी देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट देने की बात कह चुका है। पिछले आठ दशकों से चली आ रही इस व्यवस्था में

बुनियादी परिवर्तन की मांग अक्सर उठती रही है। दुनिया ने कई तरह के आकार और प्रकार को ग्रहण कर लिया है, मगर सुरक्षा परिषद पांच स्थायी सदस्यों अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस के अलावा दस अस्थायी सदस्यों के साथ यथावत स्थिति में है। ऐसे में अब परिवर्तन

> संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1945 की भू-राजनीतिक और द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी स्थिति को देख कर की गई थी, मगर आठ दशकों में बहुत कुछ बदल चुका है। देखा जाए तो शीतयुद्ध की समाप्ति के साथ ही इसमें बड़े सुधार की गुंजाइश थी, जो नहीं किया गया। पांच स्थायी सदस्यों में यूरोप का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है, जबकि आबादी के लिहाज से वह मुश्किल से पांच फीसद स्थान घेरता है। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का कोई देश इसमें स्थायी सदस्य नहीं है, जबकि संयुक्त राष्ट्र का पचास फीसद कार्य इन्हीं से संबंधित है। स्थायी सदस्यता के मामले में भारत की दावेदारी काफी मजबूत है।

का समय आ चुका है।

असल में सुरक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1945 की भू-राजनीतिक और द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी स्थिति को देख कर की गई थी, लेकिन आठ दशकों में बहुत कुछ बदल चुका है। देखा जाए तो शीतयुद्ध की समाप्ति के साथ ही इसमें बड़े सुधार की गुंजाइश थी, जो नहीं किया गया। पांच स्थायी सदस्यों में यूरोप का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है, जबकि आबादी के लिहाज से वह मुश्किल से पांच फीसद स्थान घेरता है। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का कोई सदस्य देश इसमें स्थायी नहीं है, जबकि संयुक्त राष्ट्र का पचास फीसद कार्य इन्हीं से संबंधित है। सुरक्षा परिषद के ढांचे में सुधार इसलिए भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें अमेरिकी वर्चस्व दिखता है। भारत की सदस्यता के मामले में दावेदारी बहुत मजबूत दिखाई देती है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन को पीछे छोड़ कर पहला सबसे बड़ा देश बन गया है, जबकि अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया का पांचवां बड़ा देश है। ऐसे में भारत की दावेदारी कहीं अधिक मजबूत है। इतना ही नहीं भारत को विश्व व्यापार संगठन, ब्रिक्स और जी-20 जैसे आर्थिक संगठनों में प्रभावशाली माना जा सकता है।

एल-69 समूह जिसमें भारत, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 42 विकासशील देशों की अगुआई कर रहा है, वह भी सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करता रहा है। अफ्रीकी समूह में 54 देश हैं, जो सुधारों की वकालत करते रहे हैं। इनकी मांग है कि अफ्रीका के कम-से-कम दो राष्ट्रों को 'वीटो' की शक्ति के साथ स्थायी सदस्यता दी जाए। यदि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलती है, तो चीन जैसे देशों के 'वीटो' के दुरुपयोग पर न केवल अंकुश लगेगा, बल्कि व्याप्त असंतुलन को भी पाटा जा सकेगा। गौरतलब है कि अपनी स्थापना से अब तक सुरक्षा परिषद की सफलताओं के साथ कई नाकामियां भी जुड़ी रही हैं। यह बात सकारात्मक है कि इसके गठन के बाद तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ, मगर दुनिया कई युद्धों से गुजरी है। रूस और यूक्रेन के बीच अभी युद्ध जारी है। हाल में ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष हुआ। इजराइल और हमास तो संघर्षरत हैं ही। इससे पहले अमेरिका के नेतृत्व में वर्ष 2003 में इराक पर आक्रमण, वर्ष 2008 में रूस का जार्जिया पर हमला, अरब-इजराइल युद्ध, 1994 में रवांडा का जनसंहार और 1993 में सोमालिया में गृहयुद्ध सुरक्षा परिषद की विफलता की कहानी है।

माना जाता है कि जिस स्थायी सदस्यता के लिए भारत पिछले कुछ वर्षों से प्रयासरत है, वह वर्ष 1950 के दौर में आसानी से सुलभ थी। आवश्यकता की दृष्टि से देखें, तो भारत को इसका स्थायी सदस्य इसलिए होना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा परिषद प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था है। प्रतिबंध लगाने या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को लागू करने के लिए इस परिषद के समर्थन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में एशिया में शांति और स्थिरता की दृष्टि से भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी ही चाहिए। चीन द्वारा सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के आतंकवादियों को सूचीबद्ध करने में बार-बार अड़ंगा लगाना इस बात को पुख्ता करता है। स्थायी सदस्यता मिलने से भारत को वैश्विक पटल पर अधिक मजबूती से अपनी बात कहने की ताकत मिलेगी और चीन की चाल कमजोर होगी। इसके अलावा बाह्य सुरक्षा खतरों और भारत के खिलाफ सुनियोजित आतंकवाद जैसी गतिविधियों को रोकने में भी मदद मिलेगी।

रोशनी बनाम अंधेरा

स्वाति

दुनिया मेरे आगे

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जन्म के साथ ही मनुष्य सामाजिक बंधनों, परंपराओं, रिश्तों से जुड़ जाता है। गर्भनाल कटने से लेकर अंतिम संस्कार के मुखाग्नि तक वह सामाजिक सरोकारों और पैरोकारों के इर्द-गिर्द रहता है। सरल भाषा में कहें तो मनुष्य का जीवन समाज के बिना असंभव-सा है। वह समाज से सीखता है, अनुभव करता है और फिर उसी में जोड़-घटाव करके लौटा देता है। सुख-दुख, जन्म मृत्यु, प्रेम-घृणा, यश-अपयश, कर्म-निष्क्रमण, दया-निर्दयता, विश्वास-अविश्वास ये सारे मानवीय भाव यहीं समाज से उपजते हैं। फिर वहीं विस्तार पाते हैं और आखिरकार समाहित हो जाते हैं। समाज का सकारात्मक साथ और सहयोग व्यक्ति को आत्मिक, भावनात्मक और मानसिक दृष्टिकोण से सबल तथा शीर्षस्थ करता है, लेकिन इसी समाज का साथ अगर न मिले या नकारात्मक हो तो व्यक्ति प्राण तक से गंवा बैठता है।

उद्दंडता, उच्छृंखलता को रोकने के लिए कई नियमों में समाज ने स्वयं को बांधा। मगर जब ये नियम, सोच या विचार स्वार्थ लिए हों या वर्चस्व या प्रभुत्व स्थापित करने के लिए हों, तो फिर यह त्रासदी ही साबित होती है। ऐसी ही एक त्रासदी है भारत में 'डायन' या 'डाकन' की धारणा! सही तरीके से समझा जाए तो यह बस एक कुत्सित, कुंद और विक्षिप्त सोच है, पर यह सोच हर साल कई महिलाओं की जान ले लेती है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम और राजस्थान से लेकर भारत के कई कोनों में 'डायन' और 'जादू-टोना' के नाम पर सामूहिक और संगठित हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है। झारखंड के किसी कोने से कभी 'डायन' के नाम पर औरतों को निर्वस्त्र करके घुमाने की घटना सामने आती है, तो कभी असम के किसी कोने से मैला खिलाने की! वर्ष 2015 में रांची से एक ऐसी घटना सामने आई थी, जिसने सबका दिल दहला दिया था। एक औरत को 'डायन' बताकर 'शुद्धीकरण' के नाम पर भयावह यातनाएं दी गई थीं। इंसानियत की हत्या करते हुए 'डायन' घोषित करके सामूहिक बलात्कार और यौन हिंसा तक की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

> भारत आज चांद और मंगल तक पर पहुंच गया है। मगर विकास के सफर में रोशनी के बीच अंधेरे की तरह समाज में मानवीयता और संवेदनशीलता को चुनौती देने वाली कुछ मिथ्या धारणाएं या जड़ विकृत सोच अभी तक हमारे समाज पर कुंडली मार कर बैठी हुई हैं।

इस तरह की बर्बर सोच की इंतिहा तब होती है जब 'डायन', 'डाकन', 'चुड़ैल' के नाम पर सार्वजनिक रूप से पीट-पीट कर उनकी हत्या कर दी जाती है। इसी तरह की एक घटना हाल ही में बिहार के पूर्णिया जिले में हुई, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। गांव के किसी परिवार का एक बच्चा बीमार हुआ और लोग उसे ओझा के पास लेकर गए। बच्चे को बचाया नहीं जा सका। कुछ ही दिनों बाद उसी परिवार के एक और बच्चे की तबियत खराब हुई। टोले के लोग फिर उसी ओझा के पास गए, जिसने एक अन्य परिवार की महिला को 'डायन' घोषित कर दिया। इसके बाद दो-ढाई सौ लोगों ने उस घर की महिलाओं और पुरुषों को पीट-पीट कर अधमरा कर दिया और फिर उन्हें जला दिया। परिवार का एक बच्चा किसी तरह जान बचाकर भागा और पुलिस को वारदात की जानकारी दी। कुछ लोगों को नामजद और लगभग डेढ़ सौ अज्ञात लोगों के नाम प्राथमिकी तो दर्ज हो गई, लेकिन क्या गुनहगारों को सजा मिल पाएगी?

कभी जमीन-जायदाद, संपत्ति हड़पने के नाम पर, कभी किसी विवाद में, कभी बच्चों के बीमार होने पर, कभी गांव की फसल खराब होने पर तो कभी बिना किसी बात के भी गांव के तथाकथित ओझा-गुनी, तांत्रिक आदि गांव की किसी भी स्त्री को 'डायन' घोषित कर विपदा का कारण बता देता है। कम शिक्षित या अनपढ़ या फिर बहुत सारे कथित पढ़े-लिखे लोग भी उसे ही सच मानकर उस स्त्री की अस्मिता और प्राण हरण पर तुल जाते हैं। शिक्षा का अभाव, कठोर कानून की कमी, अंधविश्वास, स्वार्थ, प्रभुत्व जमाने की मंशा, मानवता का क्षरण, गांव वालों का एक जैसा सोचना-समझना जैसे कारण उभर कर सामने आए हैं, जिसके आधार पर उन सबको एक साथ एक विवेकहीन भीड़ में तब्दील कर दिया जाता है।

इस तरह की जड़ता और इसकी हिंसा के विरुद्ध बिहार, झारखंड और असम आदि कुछ राज्यों में कानून हैं, मगर ऐसे मामलों में जुर्म साबित करना सबसे कठिन काम होता है। 'डायन' घोषित चाहे कोई तांत्रिक या व्यक्ति विशेष करता हो, मगर उकसाने से लेकर अमानवीय व्यवहार या हत्या जैसे काम गांव या टोले के लोगों का होता है, जो किसी आपराधिक गिरोह की तरह घटना को अंजाम देते हैं। ऐसे में गवाह और सबूत निकालना प्रशासन के लिए भी टेढ़ी खीर साबित होता है। कुछ लोग गिरफ्तार हो भी जाते हैं तो अक्सर असली अपराधी बच निकलता है। जब कानून का खौफ ही नहीं होगा तो लोग बेफिक्र होकर ऐसे अपराधों को अंजाम देंगे।

भारत आज चांद और मंगल तक पर पहुंच गया है। मगर विकास के सफर में रोशनी के बीच अंधेरे की तरह समाज में मानवीयता और संवेदनशीलता को चुनौती देने वाली कुछ मिथ्या धारणाएं या जड़ विकृत सोच अभी तक हमारे समाज पर कुंडली मार कर बैठी हुई हैं। आखिर किन वजहों से ऐसा होता है कि देश के दूरदराज इलाकों में स्मार्टफोन या मोबाइल टावर जैसी तकनीकी सुविधाएं तो पहुंचा दी जाती हैं, लेकिन लोगों की जड़ता पर चोट करने वाली सोच को खत्म करने, अंधविश्वासों को दूर करने के लिए कोई सामाजिक विकास नीति नहीं दिखती। यह स्थिति बने रहने में किसका फायदा है और कौन इस तरह की यथास्थिति को बने रहने देना चाहता है? किसी भी देश की सामाजिक सोच उस देश के विकास के रथ को खींचती है। सामाजिक और कानूनी स्तर पर ऐसे प्रयास होने चाहिए, जिससे इस तरह की किसी भी कुप्रथा की समाज में कहीं भी जगह न बचे।

चौपाल

दम तोड़ती संवेदना

ओड़ीशा की एक छात्रा की मौत समाज और व्यवस्था पर एक गहरा धब्बा है। यह केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि सड़े हुए तंत्र का भी भयावह उदाहरण है, जहां संवेदनशीलता दम तोड़ चुकी है। कालेज प्रशासन का रवैया, यौन शोषण की मांग, शिकायत करने पर छात्रा को ही फेल करने और निकालने की धमकी देने की खबरें दर्शाती हैं कि कैसे शिक्षण संस्थान अब सुरक्षित नहीं रहे। शर्मनाक है कि पीड़ित छात्रा न्याय के लिए गुहार लगाती रही, पर किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। जब उसने अंतिम उम्मीद में सोशल मीडिया का सहारा लिया, तब भी कोई आगे नहीं आया। यह इस बात का सबूत है कि कैसे हमारे नेता और अधिकारी जनता की समस्याओं के प्रति उदासीन हो चुके हैं। भुवनेश्वर में कुछ महीने पहले एक नेपाली छात्रा के आत्महत्या करने की घटना के बावजूद, इस तरह की त्रासदियों का दोहराया जाना यह दिखाता है कि हम अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में क्या हम अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य की उम्मीद दे सकते हैं? इस घटना के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

- प्रसिद्ध यादव, फुलवारी, पटना

सम्मान पर चोट

हाल ही में महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक निजी विद्यालय से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। मासिक धर्म की जांच के नाम पर स्कूल की छात्राओं को शर्मिंदा किया गया। दरअसल, विद्यालय के शौचालय में खून के धब्बे मिले थे। इसके बाद छात्राओं को बुला कर प्रोजेक्टर के माध्यम से खून के धब्बे दिखा कर सभी से मासिक धर्म होने की बात पूछी गई, जिन छात्राओं को महावारी आ रही थी, उनसे अंगूठे का निशान लिया गया। मगर सबसे दुखद बात यह है कि जिन लड़कियों ने मासिक चक्र आने की बात से इनकार किया, उन सभी के कपड़े उतार कर जांच की गई। मासिक धर्म, स्त्री जीवन का एक महत्त्वपूर्ण जैविक चक्र है। यह न सिर्फ प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है, बल्कि एक स्त्री के संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार भी है। इसके बिना जीवन की कल्पना अधूरी है, क्योंकि यही चक्र एक नए जीवन को जन्म देने की शक्ति प्रदान करता है। इसे सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए।

- संदीप कुमार, मधुपुर, झारखंड

भविष्य का निवेश

'वित्तीय अभाव के बीच अनुसंधान क्षेत्र' (लेख, 26 जून) पढ़ा। इसमें वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय की एक गंभीर चिंता को उजागर किया गया है। अमेरिका जैसे देश में अनुसंधान बजट में कटौती सिर्फ वहां की वैज्ञानिक प्रगति को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की नवाचार प्रक्रिया और अनुसंधान को प्रभावित कर सकती है। कोई दोराय नहीं कि नासा, एनएसएफ और एनआइएच जैसी अग्रणी संस्थाओं के बजट में कटौती एक गहरा आघात है। इससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे क्षेत्रों में चल रहे क्रांतिकारी अनुसंधान कार्यों पर बेहद ही नकारात्मक असर पड़ेगा। इस घटनाक्रम से भारत को सबक लेना चाहिए कि विज्ञान और तकनीक में निवेश भविष्य का निवेश है। सरकार और निजी क्षेत्र को मिल कर अनुसंधान और नवाचार को प्राथमिकता देनी होगी, तभी भारत वैश्विक नेतृत्व में अपनी मजबूत भूमिका निभा सकता है।

- चेतन मालवी, बैतूल, मप्र

चीन की राह

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन दौरा जरूर किया है, मगर चीन ऐसा देश है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। राजनीतिक रूप से चीन जैसे महत्त्वाकांक्षी देश से बात करना या राजनीतिक संबंधों को ऊंचे स्तर ले जाना इतना आसान नहीं। हाल ही में आपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद के लिए चीन ने क्या भूमिका निभाई, वह किसी से छिपा नहीं है। यही नहीं चीन अपनी कूटनीति और आर्थिक प्रभाव से दक्षिण एशिया में भारत को चारों तरफ से घेरने की कई वर्षों से कोशिश कर रहा है। हिंद महासागर में उसकी उपस्थिति लगातार बढ़ रही है। भारतीय सीमा क्षेत्र में उसकी घुसपैठ आम बात हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश में तो उसने सीमा पर गांव तक बना लिए हैं। देखा जाए तो पाकिस्तान से बड़ा नुकसान हमें चीन ने पहुंचाया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को कभी भी चीन का समर्थन नहीं मिला।

- विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

18 मीटर प्रतिवर्ष पीछे खिसक रहे हैं पिछले चार दशक से हिमालयी ग्लेशियर गढ़वाल क्षेत्र में। 21वीं सदी के आरंभ से हिमालयी ग्लेशियर दोगुनी दर से पिघलने लगे हैं।

आजकल

बुनियादी ढांचा निर्माण में गुणवत्ता सुधार

पिछले दो–ढाई दशक के दौरान हमारे देश में आधारभूत संरचना निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। फिर भी यह क्षेत्र अनेक प्रकार की जटिल और बहुआयामी चुनौतियों से जूझ रहा है। सबसे गंभीर समस्या क्षेत्रीय असमानता की है। महानगरों और आर्थिक रूप से समृद्ध राज्यों में जहां विश्वस्तरीय सड़कें हैं, वहीं तमाम इलाकों में सड़कें टूटी हुई हैं और स्वास्थ्य केंद्र नहीं हैं। वहीं, एक बड़ी समस्या उपलब्ध बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता से भी संबंधित है। शहरों में कमजोर बुनियादी ढांचा समेत अनेक ऐसे कारक हैं जिन्हें समय रहते दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है

सुनील बिश्नोई
शोधार्थी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

गुजरात में हाल ही में एक पुल का कुछ हिस्सा ध्वस्त होना यह दर्शाता है कि हमें बुनियादी ढांचे को और मजबूत बनाना होगा। फाइल

हमारे देश में तेजी से शहरीकरण बढ़ रहा है। इससे शहरों के बुनियादी ढांचे पर दबाव भी तेजी से बढ़ रहा है। यह समस्या तब और अधिक बढ़ जाती है, जब शहरों में बारिश हो, या फिर लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने में असमर्थता दिख रही हो। परिवहन प्रणाली की स्थिति तो जगजाहिर है कि तमाम प्रयासों के बावजूद ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने में अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। ऐसे में सभी को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने और विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा होने के लिए बुनियादी ढांचा निर्माण की दिशा में हमें अभी बहुत कार्य करना है। शहरों में अवसंरचना की हमारी तैयारी बेहद कमजोर है। जल निकासी, ठोस कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन, पीने के पानी और हरित क्षेत्र जैसी जरूरतें उपेक्षा की शिकार हैं।

वहीं बड़ी चुनौती न केवल निर्माण की गुणवत्ता से समझौता है, बल्कि संस्थागत अक्षमता भी है, जिस कारण न तो परियोजनाएं समय पर पूरी होती हैं, न ही निर्धारित बजट में, और न ही दीर्घकालिक टिकाऊपन सुनिश्चित किया जा पाता है। निर्माण के कुछ वर्षों के भीतर ही सड़कें उखड़ जाती हैं या पुल ढह जाते हैं। इसका ताजा उदाहरण हाल ही में गुजरात के वडोदरा जिले में एक नदी पर बने पुल के ढहने की त्रासदी है, जिसमें 12 से अधिक लोगों की जान चली गई। यह दुर्घटना केवल तकनीकी विफलता नहीं थी, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और जवाबदेही की कमी का जीवंत प्रमाण थी। स्थानीय नागरिकों और पंचायतों ने वर्ष 2021 से ही पुल की स्थिति खराब होने की शिकायतें की थीं, परंतु न तो समय रहते मरम्मत हुई और न वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई। यह घटना दिखाती है कि निर्माण के बाद निगरानी, रखरखाव और पारदर्शिता के तंत्र कितने कमजोर हैं।

इसी क्रम में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र की मानसूनी बाढ़ एक और उदाहरण है। भारी बारिश के चलते इसी माह दिल्ली के कई इलाकों और गुरुग्राम जैसे शहर में जलभराव ने सार्वजनिक जीवन को ठप कर दिया। 'स्मार्ट सिटी' कहे जाने वाले इन क्षेत्रों में 1960-70 के दौरान निर्मित हुए जलनिकासी तंत्र अब पूरी तरह अक्षम हो चुके हैं, जो न तो बढ़ते शहरीकरण से मेल खाता है और न ही बदलते जलवायु परिदृश्य से। गुरुग्राम में तो कई इलाकों में नाव चलाने जैसी स्थिति ने शहरी नियोजन की असफलता को उजागर कर दिया है। इन घटनाओं ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत का मौजूदा अवसंरचना माडल न तो जलवायु-सहनीय है और न ही सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप। केवल नई परियोजनाओं की घोषणाएं काफी नहीं, मौजूदा ढांचे की दशा, डिजिटलीकृत निगरानी और आपात लचीलापन जैसे बिंदुओं पर गंभीर पुनर्विचार आवश्यक है।

सुदृढ़ और टिकाऊ अवसंरचना : विकसित भारत की परिकल्पना केवल आर्थिक प्रगति या तकनीकी उन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका आत्मा उस मजबूत ढांचे में निहित है, जो नागरिकों को सुगम जीवन, रोजगार, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और गतिशीलता की मूलभूत सुविधाएं प्रदान करता है। इस ढांचे को ही हम आधारभूत संरचना कहते हैं। यह अवसंरचना केवल भौतिक ढांचा नहीं, बल्कि राष्ट्र के समग्र विकास का प्रेरक इंजन होती है। एक सुदृढ़ और टिकाऊ अवसंरचना ही है जो औद्योगिक निवेश को आकर्षित करती है, उत्पादन बढ़ाती है, रोजगार के अवसर पैदा करती है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत को अग्रणी बनाती है।

विकसित भारत की राह में अड़चनें : आज जब भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब आधारभूत संरचना की भूमिका और भी केंद्रीय हो जाती है। यह संरचना ग्रामीण-शहरी विभाजन को पाटने, सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करने, महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने और आपदा-प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करने में सहायक बनती है। उदाहरण के तौर पर, यदि गांव तक अच्छी सड़क है, तो वहां का किसान अपने उत्पाद को मंडी तक तेजी से पहुंचा सकता है। यदि बिजली और इंटरनेट है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र भी आनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह, यदि पुल मजबूत हैं, तो वे सिर्फ भौगोलिक दूरी नहीं मिटाते, बल्कि समय, संसाधन और जीवन को भी बचाते हैं। इसलिए, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आधारभूत ढांचा ही वह कंधा है जिस पर भारत का लोकतंत्र, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी सामाजिक समरसता टिकी हुई है।

कम बजट में अधिक निर्माण : भारत जैसे विशाल, विविध और तेजी से विकसित हो रहे राष्ट्र के लिए आधारभूत संरचना केवल निर्माण का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संकल्प, सामाजिक न्याय और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करने वाली धुरी बन चुकी है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि सड़कें केवल आवागमन के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक गतिशीलता और सामाजिक समावेशन का मार्ग हैं। पुल केवल नदी पार करने का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक जुड़ाव और व्यापारिक एकीकरण की रीढ़ हैं। बिजली, जल, डिजिटल नेटवर्क और शहरी नियोजन केवल सेवाएं नहीं, बल्कि जनजीवन की न्यूनतम गरिमा की आवश्यकताएं हैं।

हाल की यदि कुछ घटनाओं जैसे गुजरात के वडोदरा में गंभीरा नदी पर बने पुल का ढहना हो या देश के तमाम इलाकों में बारिश के कारण बुनियादी ढांचों के ढहने के समाचार हों, ये हमें बार-बार यह चेतावनी देती हैं कि यदि हमने संरचनात्मक सोच, तकनीकी क्षमता और प्रशासनिक जवाबदेही को प्राथमिकता नहीं दी, तो हमारा विकास सतही और खतरनाक साबित हो सकता है। भारत को अब 'कम बजट में अधिक निर्माण' से ऊपर उठकर 'लंबे समय तक सुरक्षित और टिकाऊ निर्माण' के माडल को अपनाना होगा। ऐसा इसलिए भी, क्योंकि अधिकांश मामलों में यह देखा जाता है कि निर्माण कार्यों का ठेका सरकारें अक्सर ऐसी एजेंसियों को देती हैं जो संबंधित कार्य के लिए तुलनात्मक रूप से कम रकम की मांग करती हैं। ऐसे में यह स्वतः समझा जा सकता है कि उस कार्य की गुणवत्ता कैसी हो सकती है।

ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह बुनियादी ढांचे को केवल एक चुनावी घोषणापत्र या बजट लाइन आइटम न मानकर, राष्ट्र निर्माण का नैतिक और रणनीतिक कर्तव्य माने। अब आवश्यकता है नीति निर्माण में बहु-स्तरीय भागीदारी की, जहां नागरिकों की राय, विशेषज्ञों की चेतावनियां, स्थानीय अनुभव और आधुनिक तकनीक एक साथ आकर ठोस समाधान गढ़ें। तभी हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक ऐसा भारत छोड़ पाएंगे, जो न केवल सुंदर और तेज, बल्कि सुरक्षित, सशक्त और समावेशी भी होगा।

तकनीकी क्षमता, पारदर्शिता और जन-भागीदारी

भारत को यदि वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना है, तो उसे अपनी आधारभूत संरचना को केवल निर्माण-केंद्रित दृष्टिकोण से हटाकर एक समग्र, न्यायसंगत और पर्यावरण-हितैषी रणनीति अपनानी होगी। इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि सार्वजनिक और निजी भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाए। जब सरकार और निजी क्षेत्र एक साथ मिलकर योजनाएं बनाते हैं, तब न केवल पूंजी की उपलब्धता बढ़ती है, बल्कि नवाचार, समय-सीमा में कार्यान्वयन और गुणवत्ता में भी सुधार आता है। निजी क्षेत्र की दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ अवसंरचना क्षेत्र को प्राप्त हो सकता है।

दूसरा महत्वपूर्ण सुधार यह होना चाहिए कि सभी योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन की एक समुचित व्यवस्था विकसित की जाए। इसके अंतर्गत निर्माण स्थलों की निगरानी उपग्रह आधारित नक्शों, आकाशीय निगरानी यंत्रों और स्थल निरीक्षण के माध्यम से की जा सकती है। इसके साथ ही हर योजना की प्रगति, व्यय, देरी और गुणवत्ता से जुड़ी जानकारी को एक सार्वजनिक मंच पर रखा जाना चाहिए, जिससे नागरिक भी परियोजनाओं की निगरानी में सहभागी बन सकें। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही तय होगी।

तीसरा पक्ष यह है कि योजनाएं स्थानीय आवश्यकताओं और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार बनाई जानी चाहिए। रेगिस्तानी इलाकों में जल संरक्षण के ढांचे, पर्वतीय क्षेत्रों में भूकंप-रोधी निर्माण, आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं एवं तटीय क्षेत्रों में चक्रवात-प्रतिरोधी व्यवस्था को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही, अब प्रत्येक अवसंरचना परियोजना में पर्यावरण अनुकूलता को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। निर्माण में हरित सामग्री, वर्षा जल संचयन, ऊर्जा संचयन तकनीक और प्राकृतिक संसाधनों की न्यूनतम खपत को बढ़ावा देना होगा।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक परियोजना को स्थानीय रोजगार से जोड़ने की दिशा में ठोस प्रयास होने चाहिए। इससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि समुदायों में इन संरचनाओं के प्रति स्वामित्व और संरक्षण की भावना भी उत्पन्न होगी। वित्तीय दृष्टि से सरकार को दीर्घकालीन विकास को ध्यान में रखते हुए हरित निवेश, सामाजिक दायित्व निधियों और दीर्घकालीन बांडों जैसे साधनों को मजबूत बनाना होगा। सबसे अंत में, नीतिगत प्रक्रिया में जनता की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य होनी चाहिए। केवल नौकरशाही आधारित योजनाएं पर्याप्त नहीं हैं। ग्राम पंचायतों, नगर निकायों, विशेषज्ञों, विश्वविद्यालयों और सामाजिक संगठनों की राय और अनुभव को नीति-निर्माण में शामिल करना होगा। जब निर्णय निर्माण प्रक्रिया समावेशी, पारदर्शी और तकनीकी दृष्टि से सक्षम होगी, तभी हम एक सशक्त, न्यायपूर्ण और संकटों के प्रति सहनशील बुनियादी ढांचे की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे।

(सुनील बिश्नोई)

फिर से

बारिश और बचपन

वह दृश्य अब भी स्मृतियों में ताजा है। बारिश की बूंदें टिन की छत पर टपटप गिरतीं और हम, नंगे पांव, आंगन से निकल कर स्कूल की ओर दौड़ पड़ते। तभी पीछे से मम्मी की आवाज आती थी- रुक जा, भीग जाएगा... ये बोरी लेता जा, और वो पुराने खाद की बोरी को हमारे सिर पर इस तरह डाल देतीं जैसे कोई ओढ़नी ओढ़ा रही हों। वही खाद की बोरी, जिसे स्कूल जाते समय साथ ले जाना पड़ता था, क्योंकि टाट-पट्टी का तो नामोनिशान नहीं था। वही बोरी पढ़ाई के समय नीचे बिछ जाता, और छुट्टी के समय, जब बादल घिर आते, तो वही बोरी सिर पर ओढ़ लिया जाता। इसे हमलोग 'घोंघी' करते थे। एक अस्थाई, लेकिन विश्वसनीय छाता बनकर।

वह घोंघी हमारे बचपन की सबसे बड़ी खोज थी। यह न केवल बारिश से बचाती थी, बल्कि हमारे बस्ते को भी भीगने से बचा लेती थी। हां, तेज बारिश में वह भी हार मान जाती, पानी रिसने लगता, पर तब तक हम भीगने का आनंद ले चुके होते। जो थोड़े संपन्न थे, उन्हें बाजार से खरीदी गई प्लास्टिक की बरसाती मिल जाती। उनकी साज-सज्जा देखकर हम बाकी बच्चे थोड़े ईर्ष्यालु भी हो जाते थे।

घोंघी ओढ़कर हम जैसे ही सड़क पर निकलते, स्वयं को किसी सुपरहीरो से कम नहीं समझते थे। पूरे गांव की गलियां हमारी उड़ान का रनवे बन जाती थीं। बरसात का असली खेल तो तब शुरू होता, जब बारिश के पानी में कागज की नावें तैराई जाती थीं। सड़क पर जमा पानी में उछल-उछल कर चलना। ये सब हमारे लिए बारिश की रस्में थीं।

समय बदला, हम बड़े हुए, काम धंधा में लग गए, लेकिन बारिश से प्रेम नहीं गया। अब भी बारिश में जानबूझकर भीगते हुए बाइक चलाते हैं। आज भी जब बादल घिरते हैं और बूंदें बरसती हैं, तो मन फिर उस बीते समय की ओर लौटता है। अब बालकनी से बारिश को निहारते हुए गर्म चाय और पकौड़ों का सहारा लेते हैं, लेकिन भीतर कहीं न कहीं, वो कागज की नावें और घोंघी ओढ़े हुए बच्चा आज भी बरसात में भीगना चाहता है। बारिश तब भी आती थी, आज भी आती है, लेकिन तब वह भीगती थी हमारे साथ, अब बस टपकती है दूर से।

(आलोक दुबे की फेसबुक वाल से संपादित अंश, साभार)

पोस्ट

दिल्ली से गोवा जा रहे इंडिगो विमान के इंजन फेल होने के कारण मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमानों में यह हो क्या रहा है? इन सबके सही कारण सामने आने चाहिए, वरना सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एयर ट्रैवल पर लोगों का भरोसा पहले जैसा नहीं रह जाएगा।

आस्था कौशिक@ASTHAKAUSHIK_

इतिहास की किताबों में सही परिवर्तन किए जाने से लेफ्ट इकोसिस्टम बिलबिलाया हुआ है। कुछ लोग तो छत्रपति शिवाजी महाराज के युद्ध का जिक्र कर क्रूर मुगलों का बचाव करने में लगे हैं। चूंकि उनका एजेंडा ध्वस्त हुआ है, इसलिए बौखलाहट स्वाभाविक है। वैसे, यह तो अभी शुरुआत ही है।

सुशांत सिन्हा@SushantBSinha

आमतौर पर फ्री बिजली या इस तरह की सेवाएं प्रदान करने वाले राज्य अपेक्षाकृत बेहतर आर्थिक स्थिति वाले होते हैं। गरीब राज्य अगर ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि वे बुनियादी ढांचा विकास से मुंह मोड़ रहे हैं। बिहार सरकार जिस तरह से इस राह पर जाने का सोच रही है, यह राज्य के भविष्य के लिए चिंता की बात है।

सुशांत झा@jhasushant

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या चौथे टेस्ट में करुण नायर की जगह किसी अन्य को अवसर दिया जाना चाहिए?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या ट्रंप का रवैया अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को घटा रहा है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

गाली देकर हो रही पैसों की बौछार,
रही न लाज-लिहाज अब देख रहा परिवार।
देख रहा परिवार बेशरम छोरा-छोरी,
संस्कार सब भूल करें बकवासें कोरी!
गंदी-गंदी रील बनाकर जाती डाली,
देखे भाई-बाप बेटियां देती गाली!!

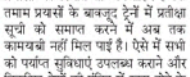

- ओमप्रकाश तिवारी

झारखंड डायरी

भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में एक अहम कदम

प्रदीप सिंह
राज्य ब्यूरो प्रमुख, झारखंड

झारखंड हाई कोर्ट : भ्रष्टाचार को समाज के लिए गंभीर खतरा करार दिया। फाइल

झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका खारिज करते हुए भ्रष्टाचार को समाज के लिए गंभीर खतरा करार दिया है। यह टिप्पणी भ्रष्टाचार करने वाले महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों को सख्त संदेश भी देता है। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद की 111 पन्नों की टिप्पणी में स्पष्ट किया गया है कि आर्थिक अपराधों में सख्त दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। यह फैसला न केवल आलमगीर आलम के मामले में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भ्रष्टाचार के खिलाफ देश की कानूनी और सामाजिक लड़ाई में एक मजबूत संदेश देता है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पेश किए गए सबूतों, दस्तावेज, गवाहों के बयान और डायरी में दर्ज कमीशन के हिस्सेदार के रूप में आलमगीर आलम के नाम को आधार बनाया। यह मामला ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है, जिसमें 37.55 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए, जिसमें से 32.2 करोड़ रुपये आलम के निजी सचिव के सहयोगी जहांगीर आलम के फ्लैट से जब्त किए गए।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया आलमगीर आलम की मनी लॉड्रिंग में संलिप्तता को नकारने का कोई कारण नहीं है। ईडी ने दावा किया कि आलम के निजी सचिव झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजीव कुमार लाल और सहयोगी जहांगीर आलम ने ठेकेदारों से 1.5 प्रतिशत कमीशन वसूल कर इसे मंत्री तक पहुंचाया। कोर्ट ने चार्जशीट और गवाहों के बयानों को आधार बनाते हुए माना कि आलम का प्रभावशाली पद उनकी संलिप्तता को और गंभीर बनाता है। आलम के वकीलों ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और अन्य सह आरोपित वीरेंद्र राम को जमानत मिलने के आधार पर समानता की मांग की। हालांकि, कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि आलम का मामला अलग है, क्योंकि वह एक शीर्ष सार्वजनिक पद पर थे। यह टिप्पणी दर्शाती है कि प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए जमानत के नियम सामान्य से भिन्न हो सकते हैं।

कोर्ट की यह टिप्पणी कि- भ्रष्टाचार समाज के लिए गंभीर खतरा है- एक व्यापक संदेश देती है। आर्थिक अपराध न केवल व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाते हैं, बल्कि समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचना को कमजोर करते हैं। झारखंड जैसे राज्य में, जहां ग्रामीण विकास योजनाएं गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण हैं, टेंडर घोटाले जैसे मामले जनता का विश्वास तोड़ते हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मनी लॉड्रिंग जैसे अपराधों में जमानत अपवाद है, न कि नियम। यह दृष्टिकोण भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति को रेखांकित करता है। आलम के मामले में 37.55 करोड़ रुपये की नकदी बरामदगी, जिसमें से अधिकांश उनके करीबी सहयोगियों से जुड़ी थी, इस बात का प्रमाण है कि भ्रष्टाचार का जाल कितना गहरा हो सकता है। यह मामला झारखंड की जनता के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यह ग्रामीण विकास जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों को उजागर करता है। समाज के लिए यह एक चेतावनी है कि भ्रष्टाचार केवल आर्थिक नुकसान ही नहीं, बल्कि सामाजिक विकास को भी बाधित करता है।

आलमगीर आलम के मामले से यह स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानूनी और प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता है। पहला सुझाव है कि टेंडर आवंटन प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाए। डिजिटल प्लेटफार्म और आनलाइन निगरानी से अनियमितताओं को कम किया जा सकता है। दूसरा, ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए स्वतंत्र आडिट और निगरानी समितियों का गठन हो, जो समय-समय पर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करें। तीसरा, प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए जमानत नियमों को और सख्त करना चाहिए, ताकि वे गवाहों को प्रभावित न कर सकें। इसके अलावा, जनता को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाएं, ताकि वे ऐसी गतिविधियों की शिकायत करने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

झारखंड हाई कोर्ट का फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। आलमगीर आलम की जमानत याचिका खारिज होने से यह संदेश जाता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। यह समाज और सरकार के लिए आत्ममंथन का समय है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं और इनका उन्मूलन कैसे किया जाए। पारदर्शिता, जवाबदेही और सख्त कानूनी कार्रवाई के जरिए ही समाज को इस खतरे से बचाया जा सकता है। यह मामला न केवल एक व्यक्ति की कहानी है, बल्कि यह उस व्यवस्था की कमियों को उजागर करता है, जिसे सुधारने की सख्त जरूरत है।

मंथन

जल जनित आपदा से बचाव

बारिश के मौसम में जल से जुड़ी त्रासदियों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है। लिहाजा हमें इसके कारणों को समझते हुए इस समस्या को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए

वीरेंद्र कुमार पैन्यूली
सामाजिक कार्यकर्ता एवं पर्यावरण विज्ञानी

बादल फटने की घटनाओं के बढ़ने से भी जल जनित आपदाएं बढ़ रही हैं। फाइल

जलवायु परिवर्तन के दौर ने पहाड़ हो या मैदान, सागर हो या रेगिस्तान, गरम होती धरा में तूफानों की संख्या को तेजी से बढ़ाया है। बादल फटने से एकाएक होने वाली बहुत अधिक बारिश एवं ग्लेशियरों में झीलों का बनना तथा हिमस्खलन जैसी घटनाएं भी बढ़ी हैं। भयंकर तूफानों के साथ भारी बरसात भी आ जाती है। इन सभी से फ्लैश फ्लड्स का वातावरण भी बनता है। बढ़ते फ्लैश फ्लड्स के साथ नदी बांध जलाशयों एवं नदी जल विद्युत परियोजनाओं पर भी जोखिम बढ़े हैं। फ्लैश फ्लड्स के कारण पानी और मलबा मिलकर बांध पर भारी दबाव पैदा करते हैं जिससे वे टूट जाते हैं। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि इससे दूर-दूर तक तबाही आती है। वैसे पानी के प्रवाह को रोकने के लिए दशकों पहले विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं और पेयजल की जरूरतों को पूरा करने एवं बाढ़ जैसी स्थिति को टालने के लिए बड़ी संख्या में बांध बनाए गए। फ्लैश फ्लड्स की स्थितियों में भारी जलराशि आने से जलाशयों व परियोजनाओं के माध्यम से अन्य क्षेत्रों को बचाना होता है। परंतु यदि जलाशयों के सभी गेट यदि नहीं खुले हों तो फ्लैश फ्लड्स से तबाही की आशंका बढ़ जाती है।

बढ़ते वैश्विक तापक्रम में ग्लेशियल क्षेत्रों में तेजी से ग्लेशियल झीलें भी बन रही हैं और ऊंचाई वाले इलाकों में आश्चर्यजनक रूप से अतिवृष्टि भी हो रही है। ग्लेशियल झीलें इस कारण भी टूट रही हैं। इससे बाढ़ आने की आवृत्ति बढ़ रही है। विज्ञानी इन्हें 'ग्लेशियर लेक आउट बर्स्ट फ्लड' कहते हैं। ऐसा ही एक घटनाक्रम चार अक्टूबर 2023 को सिक्किम के 17 हजार फीट की ऊंचाई पर साउथ ल्होनक ग्लेशियर लेक टूटने का है। सिक्किम सरकार इसके टूटने के लिए उस दिन के क्लाउड बर्स्ट को जिम्मेदार मानती है। किंतु विज्ञानियों ने 2021 में ही इस झील के टूटने की आशंका व्यक्त की थी। वस्तुतः दशकों से बनी यह झील हर साल फैलती जा रही थी। ग्लेशियर झील की परिधि में मोरेन यानी हिम बहाव में हिमनद संग आता रहा मलबा पत्थर भी जमा होकर दीवार बन गया था। यही दीवार अतिवृष्टि के कारण बर्स्ट हुई थी।

उत्तराखंड की भयावह त्रासदी : सात फरवरी, 2021 को उत्तराखंड में जलवायु बदलाव उत्प्रेरित भारत तिब्बत सीमा पर नीती घाटी के रेणी गांव के पास चमोली में नंदा देवी पार्क के कोर जोन में अप्रत्याशित रूप से ठंड के दिनों में हैंगिंग ग्लेशियर के टूटने का हादसा हुआ था। इससे ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदियों में आकस्मिक बाढ़ जनित त्रासदी हुई थी। इस घटना में लगभग दो सौ लोग मारे गए थे। कहा जाता है कि इसके पहले क्षेत्र में अतिवृष्टि भी हुई थी। ऋषिगंगा से शुरू हुई यह तबाही धौलीगंगा तक पहुंची। ऋषिगंगा लघु पावर प्रोजेक्ट का एक हिस्सा यह त्रासदी अपने साथ बहाकर ले गई थी। तपोवन विष्णुगाड जलविद्युत परियोजना भी क्षतिग्रस्त हुई थी। तपोवन सुरंग में भी कई लोग फंसे थे। ऋषिगंगा और धौलीगंगा आगे अलकनंदा नदी से मिलती है। अलकनंदा गंगा की सहायक नदी भी है। हादसा न बढ़े इसलिए सावधानी के अंतर्गत टिहरी बांध से नदी में पानी छोड़ना बंद कर दिया गया था। तब भी पूर्व चेतावनी देने वाली प्रणाली की आवश्यकता महसूस की गई थी।

केदारनाथ आपदा : वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई विशेषज्ञ समिति ने भी उच्च हिमालयी क्षेत्रों का आकलन करने के बाद बताया था कि वहां [illegible] परियोजनाएं पैराग्लेशियर के दायरे में हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने मई, 2014 में यूजेवीएनएल के ऋषिगंगा-1ए, ऋषिगंगा-2 और एनटीपीसी के लाटा तपोवन प्रोजेक्ट सहित कुल 24 प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी। फरवरी, 2021 की रेणी आपदा के समय यदि ये प्रोजेक्ट भी क्षेत्र में होते तो नुकसान कई गुना अधिक हुआ होता। ग्लेशियरों के क्षय में मानवीय कारणों की भी बड़ी भूमिका है।

पारिस्थितिकी पर दुष्प्रभाव : बांध द्वारा पानी के वेग को सहन न कर पाने और टूट जाने से पारिस्थितिकी भी दुष्प्रभावित होती है। कुछ वर्ष पहले नेपाल में आए भूकंप को भी बांधों के [illegible] आधार है तो भूकंपीय सक्रिय हिमालय और उत्तराखंड में बड़े बांधों को नगरीय सुरक्षा की दृष्टि से पैराग्लेशियर के दायरे में नहीं बनाए जाने चाहिए। उत्तराखंड के गढ़वाल के बांध तो हिमनद पोषित नदियों पर ही हैं। सच्चाई यह है कि कोई भी बांध हादसा जोखिम आकलन चाहे वह किसी भी पद्धति से हो, स्थाई नहीं होगा। जैसे-जैसे डाउनस्ट्रीम में जनसंख्या व संपत्तियों का घनत्व बढ़ेगा या बांध जलागम क्षेत्रों में भूस्खलन, हिमस्खलन, ग्लेशियल झीलों का टूटने का क्रम बढ़ेगा, वैसे-वैसे बांधों और जलाशयों के लिए खतरे भी बढ़ेंगे। इसलिए सबसे जरूरी है जलभंडारण [illegible]।

https://telegram.me/DailyPressNation

****

दैनिक जागरण

अनुशासन की नींव ही आदर्श जीवन का आधार है

भ्रष्टाचार और ईडी

गुरुग्राम जमीन घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति एवं व्यवसायी राबर्ट वाड्रा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी ने जिस तरह चार्जशीट दायर की, उससे लगता है कि अब वह इस मामले में गंभीर है। इसके चलते राबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब ईडी ने राबर्ट वाड्रा के मामलों की जांच करने में तत्परता प्रदर्शित की हो। वह पहले भी ऐसा कर चुकी है, लेकिन उसकी जांच अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ी। राबर्ट वाड्रा नेता नहीं हैं, लेकिन सब जानते हैं कि वे राजनीतिक रूप से शक्तिशाली गांधी परिवार से जुड़े हैं। गुरुग्राम की उनकी जमीन का मामला बहुत पहले सामने आया था। तब सहज ही यह प्रश्न उठा था कि आखिर वे सिर्फ एक लाख रुपये वाली अपनी कंपनी से 58 करोड़ रुपये की जमीन का सौदा कैसे कर सकते हैं? क्या ऐसी सुविधा और किसी को भी मिल सकती है कि कोई जिससे जमीन खरीदे, उसे ही कुछ समय बाद कई गुना मूल्य पर बेचकर मोटा पैसा कमाए? ईडी की मानें तो वाड्रा ने बिना कोई पैसा खर्च किए बड़ा जमीन सौदा कर लिया। स्पष्ट है कि वे ऐसा कर पाने में इसीलिए सफल हुए होंगे, क्योंकि सोनिया गांधी के दामाद हैं।

अपने देश में राजनीतिक प्रभाव वाले लोग छिपा-खुला भ्रष्टाचार करते ही रहते हैं। विडंबना यह है कि ऐसे मामलों में कोई ठोस कार्रवाई कठिनाई से ही होती है। नेताओं से जुड़े मामलों में तो यह कठिनाई कुछ ज्यादा ही दिखती है। यह कठिनाई केवल ईडी के समक्ष ही नहीं, सीबीआइ एवं अन्य एजेंसियों के सामने भी आती है। यह किसी से छिपा नहीं कि नेताओं और नौकरशाहों के भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में ईडी एवं सीबीआइ जैसी एजेंसियां बहुत धीमी गति से आगे बढ़ती हैं। कभी वे तेजी दिखाती हैं, कभी शिथिल पड़ जाती हैं। जब ऐसा होता है तो सरकारी एजेंसियों के राजनीतिक दुरुपयोग का आरोप उछलता है। इस आरोप का सहारा लेकर कठघरे में खड़े नेता चुनावी एवं राजनीतिक लाभ लेने की भी कोशिश करते हैं। कई बार वे सफल भी हो जाते हैं। कई मामलों में यह भी देखने को मिला है कि कभी जांच आगे बढ़ी, फिर वह ठहर गई या ठंडे बस्ते में चली गई और फिर यकायक तेज हो गई। यह एक तथ्य है कि नेताओं, नौकरशाहों और उनके करीबियों के भ्रष्टाचार के मामलों में ईडी एवं सीबीआइ का रिकार्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है। यह खराब रिकार्ड भ्रष्टाचार से लड़ने के दावों को खोखला ही साबित करता है। नेताओं, नौकरशाहों और उनके करीबियों के भ्रष्टाचार पर कोई प्रभावी लगाम नहीं लग पा रही है। मोदी सरकार भी नहीं लगा पा रही है। यदि भ्रष्टाचार को वास्तव में नियंत्रित करना है तो बड़े एवं गंभीर मामलों में ठोस कार्रवाई जरूरी है।

आएगी आर्थिक समृद्धि

बिहार सरकार हर मोर्चे पर बेहतर काम करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसके लिए योजना बनाने के साथ उसे लागू करने पर गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है। बेरोजगारी दूर करने की बात को ही लें तो सरकार न सिर्फ विभिन्न विभागों में खाली पदों को भर रही, बल्कि स्वरोजगार के लिए भी काम कर रही है। अगले पांच वर्षों में प्रदेश में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का राज्य मंत्रिमंडल का निर्णय कुछ ऐसा ही है। इसके लिए एक कमेटी भी बना दी है, जो नौकरी एवं रोजगार पर सुझाव देगी। सरकार पहले ही बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती कर चुकी है। अन्य विभागों में भी खाली पदों को भरा गया है। हाल ही में सरकार ने सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया है। इसका लाभ प्रदेश की महिलाओं को मिलेगा।

> नौकरी और रोजगार देने के सरकार के निर्णय से बेरोजगारी दूर होने के साथ साथ प्रदेश का आर्थिक विकास भी होगा

इसके साथ ही नौकरी के लिए दूसरे प्रदेश में जाने का सिलसिला रुकेगा। देखा जाए तो नौकरी और रोजगार मिलने से सिर्फ एक घर ही नहीं चलता है, बल्कि देश के आर्थिक विकास का पहिया भी घूमता है। इससे लोगों के पास पैसे आएंगे तो क्रय शक्ति बढ़ेगी। अन्य उद्योग-धंधों को फलने-फूलने का मौका मिलेगा, जो प्रदेश के आर्थिक विकास में सहायक होगा। इस तरह देखा जाए तो सरकार की नौकरी और रोजगार देने के सोच का दूरगामी असर पड़ेगा। इससे हर क्षेत्र में प्रदेश की प्रगति तेज होगी। प्रदेश की प्रगति तेज होने से देश का आर्थिक विकास भी तेजी से होगा।

न्यायिक जांच की मांग करता विमान हादसा

संजय लाजार

चूंकि एअर इंडिया विमान हादसे की जांच सही दिशा में बढ़ती नहीं दिख रही, इसलिए हमें आवाज उठानी ही होगी

अवधेश राजपूत

एअर इंडिया की उड़ान संख्या एआइ-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के महीने भर बाद आई विमान दुर्घटना जांच बोर्ड यानी एएआइबी की आरंभिक रिपोर्ट सत्य को सामने लाने से अधिक दिग्गज अमेरिकी कंपनियों के हितों को साधने की कवायद अधिक लगती है। 15 पन्नों की इस रिपोर्ट को देखकर लगता है कि ऐसी नाकारा रिपोर्ट को जारी करने का क्या तुक था? भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार और चौथी सबसे बड़ी आर्थिकी है। सरकारी नीतिगत प्रोत्साहन से कुछ वर्षों के दौरान जहां 250 नए हवाई अड्डे बनने जा रहे हैं, वहीं 2,000 नए विमान भी जुड़ेंगे। ऐसे में, एक बड़े विमान हादसे की जांच का मामला बहुत संभालकर आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिस पर दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं।

इस आरंभिक जांच रिपोर्ट को लेकर बहुत आपत्तियां सामने आई हैं। एक आपत्ति तो जांच समिति के गठन से ही जुड़ी है। इस समिति में 787 ड्रीमलाइनर के किसी लाइसेंसधारक पायलट या इंजीनियर को तो छोड़िए किसी सामान्य पायलट तक को शामिल नहीं किया गया। इस पर भी सवाल उठते हैं कि भारत सरकार की सर्वप्रमुख विमान दुर्घटना जांच एजेंसी की रिपोर्ट पहले ही कैसे लीक हो गई? रिपोर्ट 12 जुलाई को जारी की गई, पर उससे पहले नौ जुलाई को ही दो विमानन पत्रकारों ने सूत्रों के आधार पर आलेख लिखा कि जांचकर्ता फ्यूल कंट्रोल स्विच के इर्दगिर्द ही जांच का दायरा केंद्रित किए हुए हैं कि यह स्विच पायलटों से जाने-अनजाने में दब गया था। उन्होंने परिस्थितियों का पूरा विवरण प्रस्तुत किया था। इसके दो दिन बाद द वाल स्ट्रीट जर्नल (डब्ल्यूएसजे) ने भी फ्यूल कंट्रोल स्विच को लेकर इसी तरह की रिपोर्ट प्रकाशित की। इस अखबार ने यह दावा भी किया कि जांच की दिशा को लेकर भारतीय एएआइबी एवं अमेरिकी एनटीएसबी में मतभेद हैं और अमेरिकी एजेंसी ने जांच से अलग होने की धमकी भी दी। अंततः 12 जुलाई को करीब आधी रात के बाद एएआइबी ने रिपोर्ट जारी की, जिससे उस देश को निराशा ही हाथ लगी जो इस मामले में जवाब चाहता था।

रिपोर्ट में सबसे बड़ी विसंगति यही है कि 34 सेकेंड में ही क्रैश हो गए विमान के सीवीआर-काकपिट वायस रिकार्डर का पूरा ब्योरा इसमें प्रकाशित नहीं किया गया है। इससे यह समझने में आसानी होती कि आखिर क्या हुआ होगा। कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम के समय का भी उल्लेख नहीं किया गया, जैसे पायलटों ने कब कथित तौर पर एक दूसरे से बातचीत की या कब रैट-रैम एयर टरबाइन चालू हुई आदि। रिपोर्ट को संदिग्ध और रहस्यमयी तरीके से पेश करना भी सवाल खड़े करता है।

डब्ल्यूएसजे ने 17 जुलाई को फिर इस मामले में विमान के मुख्य पायलट पर आरोप मढ़ा। उसने लिखा कि मुख्य पायलट ने ही स्विच को खींचा था और फर्स्ट आफिसर ने इस पर घबराहट भरी प्रतिक्रिया दी। पहले यह आरोप मद्धम स्वर में लगाया जा रहा था, पर अखबार ने इसे मुखरता दी। काकपिट में कथित रूप से जो कुछ घटित हुआ, अखबार ने उसकी और बदरंग तस्वीर ही दिखाई। वाल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार एनटीएसबी की मुखिया जेनिफर होमेंडी को यह निर्देश मिला कि वह खुद पूरी रिकार्डिंग सुनें। उसने दावा किया कि अमेरिकी अधिकारी यह भी मानते हैं कि इस मामले में एफबीआइ जैसी एजेंसी भी सक्रिय होनी चाहिए कि अगर इस तरह के मामले अमेरिकी धरती पर घटित हुए तब क्या?

भारत में हमारे लिए यह और हैरानी भरा है कि हमें एएआइबी रिपोर्ट से अधिक जानकारियां अमेरिकी मीडिया में लीक से मिल रही हैं। यह रिपोर्ट की संदिग्ध प्रकृति के साथ ही उसे तैयार करने में लापरवाही या लीपापोती के रवैये को दर्शाता है। जिस दिन रिपोर्ट जारी हुई उसी दिन ऐसी अनुभूति हो गई थी कि एनटीएसबी और एएआइबी जितना कुछ जानते हैं, उससे कहीं कम जाहिर कर रहे हैं। उनकी कोशिश जानकारियों को किस्तों में बताने की लगती है। सीवीआर संबंधी ब्योरे का नदारद रहना भी प्रारंभिक रिपोर्ट की एक बहुत बड़ी असफलता है। यह भी संभव है कि एएआइबी द्वारा ध्यान भटकाने के लिए भी यह सब किया जा रहा हो, क्योंकि इस मामले में अभी भी कई तकनीकी पहलू उलझे हुए हैं। जो भी हो इस आरंभिक जांच रिपोर्ट के बाद बोईंग के शेयर साल भर के उच्च स्तर पर पहुंच गए। डब्ल्यूएसजी लीक के बाद यह तेजी और बढ़ गई। इससे यह तो पता चलता है कि आरंभिक रिपोर्ट से किसी को तो लाभ पहुंचा है।

वाल स्ट्रीट जर्नल के आरोपों का अभी भी सच्चाई से दूर-दूर तक कोई सरोकार नहीं दिखता। ऐसे में समूची सीवीआर ट्रांसक्रिप्ट रिलीज ही कुछ कारगर असर दिखा सकती है। इसी से पता चल सकता है कि काकपिट के भीतर क्या घटित हुआ? बोईंग ड्रीमलाइनर तमाम चेतावनी प्रणालियों से लैस एक उच्चस्तरीय इलेक्ट्रानिक विमान है जिनमें कुछ प्रणालियां अपनी अधिकता से जटिलताएं भी बढ़ाती हैं। इन सभी का सीवीआर और डीएफडीआर यानी डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकार्डर में ब्योरा दर्ज होता है। किसी खतरनाक पड़ाव से जुड़ी तमाम मौखिक एवं विजुअल चेतावनियों से काकपिट और दोनों पायलटों की स्क्रीन जगमगा उठी होगी, लेकिन अफसोस कि इस बिंदु पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस दौरान पायलटों ने बातचीत की होगी, जिसका रिपोर्ट में भी उल्लेख है। उन्होंने प्रत्येक चेतावनी को देखते हुए उनके बारी-बारी से निदान का प्रयास भी किया होगा, जिसका परिणाम दोनों इंजन फेल होने और उन्हें रीस्टार्ट करने के रूप में निकला। इसका सेकेंड दर सेकेंड ब्योरा दर्ज हुआ होगा जिसे सीवीआर ट्रांसक्रिप्ट का हिस्सा बनाया जाना चाहिए था।

चूंकि इस मामले में जांच सही दिशा में बढ़ती नहीं दिख रही है, इसलिए हमें आवाज उठानी होगी। मेरा सभी यात्री, पायलट और विमानन संगठनों से अनुरोध है कि वे इसे लेकर कोई जनहित याचिका दायर करें या प्रधानमंत्री से अपील करें कि वे हाई कोर्ट के किसी सेवारत न्यायाधीश से इसकी न्यायिक जांच सुनिश्चित कराएं। इसमें 787 के पायलट और विशेषज्ञ भी शामिल होने चाहिए।

(लेखक कानून, विमानन और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के जानकार हैं)
response@jagran.com

मानसिक स्वराज भी आवश्यक है

गिरीश्वर मिश्र

देश को वास्तव में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें अपनी ज्ञान-व्यवस्था को पुनर्जीवित करना होगा

भारतीय शिक्षा को अब भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में ढालने के लिए पहल की जा रही है। इसे लेकर आम आदमी के मन में कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे भारतीय होने का क्या अर्थ है? जो ज्ञान परंपरा स्वतंत्र भारत में चल रही है, वह किस अर्थ में भारतीय नहीं है या कम भारतीय है? भारतीय ज्ञान परंपरा का स्वरूप क्या है? वह किस रूप में दूसरी ज्ञान परंपराओं से अलग है? इस भारतीय ज्ञान परंपरा की विशिष्टता क्या है, जो हम इसकी ओर मुड़ें? आज के ज्ञान-युग में सामर्थ्यशाली होने के लिए इन पर विचार करना जरूरी है। आखिरकार यह पूरे समाज की मनोवृत्ति, आचरण और देश के सांस्कृतिक अस्तित्व का सवाल है। शिक्षा की दृष्टि से यह एक गंभीर तथ्य हो जाता है कि आज हम आलोचनात्मक रूप से चिंतनहीन और सृजनात्मकता की दृष्टि से पंगु होते जा रहे हैं।

राजनीति में आडंबर और मानवीय मूल्य दृष्टि की बढ़ती कमी आज सबको खटक रही है। सामाजिक जीवन के अनेक क्षेत्रों में चिंताएं बढ़ रही हैं। उदाहरण के लिए न्याय व्यवस्था में आज तक अपेक्षित सुधार नहीं लाया जा सका है। नागरिक जीवन से जुड़ी व्यवस्थाएं चाक चौबंद नहीं हैं। ऐसे में शिक्षा पर बहुतों की नजरें टिकी हैं और उसमें सुधार से बड़ी आशाएं जगती हैं। नई शिक्षा नीति के आने के बाद विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम भारतीय ज्ञान-परंपरा में ढल रहे हैं और आमजन के बीच भी इसे लेकर उत्सुकता बढ़ी है, पर शिक्षा में भारतीयता की इस सतही उपस्थिति से आगे बढ़ कर गंभीर और व्यवस्थित रूप इस उपक्रम को अभी तक नहीं मिल सका है। यदि पश्चिम के खर्चीले और अंशतः दिशाहीन तथा आयातित ज्ञान को थोपे जाने से मुक्ति की इच्छा है और अपने देश के ज्ञान, कौशल और अस्मिता को बंधक स्थिति से छुड़ाने का मन है तो हमें शिक्षा में बदलाव लाना ही होगा। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मानसिक स्वराज जरूरी है और इसके लिए अपनी ज्ञान-व्यवस्था को पुनर्जीवित करना होगा, क्योंकि मानसिक गुलामी कई तरह से देश को आहत करती आ रही है, जिसका बहुतों को पता भी नहीं होता। इसके लिए शिक्षा में भारतीय दृष्टि की विवेकपूर्ण संगति के सिवाय कोई और मार्ग नहीं है। भारत की शिक्षा को भारतीय दृष्टि में स्थापित करना भारत और विश्व, दोनों के ही हित में होगा।

भारतीय परंपराओं को मिले प्रोत्साहन। फाइल

ज्ञान-विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विस्तार के पश्चिमी माडल का खोखलापन दिन-प्रतिदिन उजागर हो रहा है। अविरल चलती हिंसा, जलवायु परिवर्तन की बढ़ती मुश्किलें, तीव्र होती गलाकाट प्रतिस्पर्धा, पर्यावरण का भीषण प्रदूषण और मनुष्यता की जगह बाजार का बढ़ता प्रभुत्व ज्ञान के पश्चिमी नेताओं के सोच पर प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं। यह सारा विकास मनुष्यता के विनाश का कारण बन रहा है। इसकी जगह भारतीय ज्ञान परंपरा मनुष्य की क्लेशों से मुक्ति की कामना करती है, परंतु खेद की बात यह है कि बहुतों के मन में इस ज्ञान परंपरा की वही अस्पष्ट छवि अभी भी बरकरार है, जो कभी अंग्रेजों ने बनाई थी और जिसे करीब दो सदियों लंबे औपनिवेशिक दौर में भारतीयों ने बहुत हद तक आत्मसात कर लिया है। सच्ची बात यह है कि भारतीय ज्ञान परंपरा ज्ञान-विज्ञान भी है और जीवन-दर्शन भी। भारतीय ज्ञान परंपरा कोई काल में दफन वस्तु नहीं है। यह जीवित है और विकसित भी होती रही है। व्यक्तिवादी, अमूर्त, मात्रात्मक और एकांत अनुशासनों की पक्षधर पश्चिमी ज्ञान परंपरा में सभी विषय स्वतंत्र ढंग से अलग-अलग विकसित हुए हैं। इसके विपरीत भारतीय ज्ञान परंपरा समेकित और अंतःक्रियात्मक है। इस प्रतिमान में परस्पर अवलंबन और पूरकता है। न्याय, मीमांसा, आयुर्वेद और योग आदि ज्ञान की सुनम्य विधियों, सुचिंतित तर्क और अनुभव का उपयोग करते हैं और इनके बीच आवाजाही भी है। इस परंपरा में मनुष्य को प्रकृति के दोहन-शोषण का एकाधिकार नहीं है, क्योंकि मनुष्य पर्यावरण और ब्रह्मांड में स्थापित है, न कि उसका केंद्र है। ज्ञान का सामाजिक संदर्भ में स्थित होना और नैतिक मूल्यों पर टिका होना भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक विज्ञान की दृष्टि को पूर्णता तक ले जाता है।

दुखद है कि शिक्षा नीति-2020 के प्रविधान के बाद भी औपनिवेशिक प्रभाव में पश्चिमी ज्ञान को जहां सार्वभौम माना जा रहा है वहीं भारतीय ज्ञान को स्थानीय मान कर हाशिए पर डाला जा रहा है। न भूलें कि भारतीय ज्ञान परंपराएं पुरावशेष न होकर लोक-जीवन में कई रूपों में सजीव रूप से विद्यमान हैं। पर्यावरण संरक्षण, नैतिक आचरण, औषधीय उपाय तथा सामाजिक-सांस्कृतिक ज्ञान की सामग्री आमजन, जनजातियों और गावों में बिखरी पड़ी हैं। जरूरी दस्तावेजीकरण, संरक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था के अभाव में ये विनष्ट हो रही हैं। इस दृष्टि से वाचिक परंपराओं को भी शिक्षा में समाहित करना होगा। भारतीय ज्ञान परंपरा शरीर मन और पर्यावरण के आवश्यक संतुलन पर बल देती है। यह हमारे सभ्यता के उत्कर्ष का साधन बन सकती है, बशर्ते हम साहस और विवेक के साथ काम करें। यह परंपरा सब किसी की है और सबके लिए है। इसे पुनर्जीवित करने के लिए लोकतांत्रिक तौर पर समावेशी होना होगा। वस्तुतः एक ऐसे पुनर्जागरण की बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी, जो उपनिवेश से मुक्ति दिला सके। इसे एक बौद्धिक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए।

(लेखक पूर्व कुलपति हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

नकारात्मक संकल्प

नकारात्मक संकल्प का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष से बदला लेना या स्वयं को इस प्रकार का कष्ट देना होता है जिससे उसकी पीड़ा से संबंधित व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। जैसे कि जन्म से दृष्टिहीन धृतराष्ट्र से विवाह होने के चलते गांधारी ने एक नकारात्मक संकल्प के रूप में अपनी आंखों पर भी पूरे जीवन के लिए पट्टी बांध ली। इसके चलते दुर्योधन और उसके भाइयों का भी व्यक्तित्व नकारात्मक बन गया। परिवार ऐसा स्थान है जहां व्यक्ति का जन्म होता है और उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यक्तित्व निर्माण में मां की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। अनेक उदाहरण हैं जहां माताओं ने अपने पुत्रों को महान बनाया। वहीं, गांधारी के पुत्र द्वेषपूर्ण-नकारात्मक व्यक्तित्व के कारण कुल को बर्बाद करने वाले सिद्ध हुए। गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने नियत कर्म को मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बताया है। एक व्यक्ति के लिए अपने परिवार का उचित और सकारात्मक रूप में पालन-पोषण भी नियत कर्म ही माना जाता है।

नकारात्मक संकल्प किसी व्यक्ति विशेष से प्रतिशोध की भावना से किए जाते हैं, परंतु उनका प्रभाव ऐसा करने वाले के परिवार तथा आसपास के माहौल पर भी पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को कोई भी नकारात्मक प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। सकारात्मक संकल्प तथा व्यवहार से ही स्वस्थ परिवार और समाज का निर्माण करना चाहिए। कैकेयी ने भगवान श्रीराम को राज के स्थान पर 14 वर्ष का वनवास दिलवाया। फिर भी श्रीराम ने कभी भी उनके प्रति नकारात्मक भाव नहीं रखा। इसी का परिणाम था कि चारों भाइयों के आपसी स्नेह के उदाहरण आज भी दिए जाते हैं। समाज का निर्माण व्यक्ति से होता है। समाज में जिस प्रकार के संकल्प के व्यक्ति होंगे, वह समाज भी उसी प्रकार का होगा। इसलिए स्वच्छ समाज के लिए सकारात्मक विचार और संकल्पों को जीवन में अपनाना चाहिए।

कर्नल शिवदान सिंह

सामाजिक सुरक्षा का बढ़ता दायरा

रंजना मिश्रा

> **सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ने से औसत जीवन स्तर में सुधार, अवसरों में वृद्धि और आर्थिक भागीदारी में बढ़ोतरी होती है**

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) के अनुसार भारत में करीब 56 प्रतिशत लोगों को किसी न किसी रूप में सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा का मतलब केवल पेंशन या बेरोजगारी भत्ते तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व लाभ, बचत योजनाएं, दुर्घटना बीमा और दिव्यांगता भत्ते जैसी तमाम सुविधाएं भी शामिल हैं। इससे पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकारों द्वारा चलाई गई योजनाओं ने आमजन के जीवन में एक बहुआयामी सुरक्षा जाल बिछाने का काम किया है। सरकारी प्रयासों में सबसे बड़ा योगदान प्रधानमंत्री जन-धन, आयुष्मान भारत, अटल पेंशन, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास और सोशल सिक्योरिटी कोड जैसी योजनाओं का रहा है। इन्होंने गांवों में बैंकिंग, स्वास्थ्य और पेंशन सेवा पहुंचाने में मदद की है।

जहां भारत में 56 प्रतिशत लोग सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आए हैं, वहीं विकसित देशों में यह औसत 80-90 प्रतिशत के पार है। इससे स्पष्ट होता है कि अभी भी एक बड़ा हिस्सा सामाजिक सुरक्षा के कवरेज से बाहर है। उन देशों के अनुभव से सीखते हुए हमें अपने मौजूदा ढांचे को और मजबूत करना होगा। जैसे कुछ यूरोपीय देशों में कामगारों को नौकरी छूटने पर तुरंत बेरोजगारी भत्ता मिलता है या फिर स्वावलंबन प्रशिक्षण के दौरान उन्हें स्किल डेवलपमेंट अलाउंस मिलता है। ऐसे माडल भारत में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अपनाए जा सकते हैं। आने वाले वर्षों में हमें डिजिटल क्रांति का भी पूरा लाभ उठाना होगा। डिजिटलीकरण के जरिये न केवल पंजीकरण आसान होगा, बल्कि अनावश्यक दुरुपयोग भी घटेगा।

इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र को भी सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क का हिस्सा बनना चाहिए। बड़े पैमाने पर कारपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत मेडिकल कैंप, जीवन बीमा जागरूकता अभियान और स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को समर्थ बनाया जा सकता है। स्थानीय संस्थाएं, माइक्रोफाइनेंस संगठन और सहकारी समितियां मिलकर कम दरों पर बीमा उत्पाद और सेवानिवृत्ति योजनाएं लांच कर सकती हैं, जिससे लोगों में आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ेगी। जब व्यक्ति यह जानता है कि बीमारी अथवा दुर्घटना की स्थिति में उसकी सुरक्षा होगी, तो उसके मन में आत्मविश्वास और सामाजिक बंधुत्व की भावना जागृत होती है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ने से औसत जीवन स्तर में सुधार, शैक्षिक अवसरों में वृद्धि और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में सुधार देखने को मिलता है। इसी सुरक्षा जाल में सुधार करने की यात्रा भारत को एक उज्ज्वल और सशक्त भविष्य की ओर ले जाएगी।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

प्रतिक्रिया

तोलमोल कर बोलें

'अभिव्यक्ति की आजादी' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में लोगों द्वारा इंटरनेट प्लेटफार्म और मीडिया में नियंत्रित, संयमित और जिम्मेदारीपूर्वक स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए विचारों को व्यक्त करने के लिए सलाह दी गई है। गौरतलब है कि इससे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सरकार को स्वतंत्रता के अधिकारों के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु दिशानिर्देश बनाने के लिए निर्देशित किया है। अभिव्यक्ति की आजादी किसी की भावना, आत्मसम्मान और चरित्र को चोट न पहुंचाए, तभी वह सही मायनों में आजादी है, अन्यथा ऐसी अभिव्यक्ति संकीर्ण मानसिकता, क्षुद्र मानसिकता से प्रेरित, पूर्वाग्रह से ग्रस्त और किसी भी रूप में अस्वीकार्य है। कमान से निकला तीर और जुबान से निकले बोल वापस नहीं होते। ऐसे में यह आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति किसी पर व्यक्तिगत कटाक्ष न करे या किसी का मानमर्दन करती हुई कोई बात न कहे। यह हर व्यक्ति की (चाहे वह आम हो या खास) नैतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि वह बोलते वक्त अपने शब्दों को नैतिकता के पलड़े पर तौले। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जब उन्मुक्त बेलगाम स्वच्छंदता में बदल जाती है, तब विवाद का जन्म होता है, क्योंकि यह किसी के अधिकारों को कुचलती है, किसी के चरित्र का हनन करती है या किसी के धर्म, संस्कारों-संस्कृति पर हमला करती है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच एक महीन रेखा है, जिसका उल्लंघन किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके हम दूसरों के हितों और भावनाओं की अनदेखी कर जाते हैं। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, ऐसा कृत्य और ऐसे विचार रखना सभ्य व्यक्ति और समाज के लिए अशोभनीय है। हम किसी के साथ वैसा व्यवहार न करें, जैसा हम स्वयं के लिए नहीं चाहते।

sonimohit895@gmail.com

बेकार की धमकी

सत्ता में अहंकार का रास्ता बड़े-बड़े दिग्गजों को सतह पर ला देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता के नशे में अपने विश्वसनीय दोस्त देशों को भी हड़काने से बाज नहीं आ रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भरोसेमंद दोस्तों को कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। उन्हें कमतर नहीं आंकना चाहिए। ट्रंप का यह बयान हास्यास्पद है कि रूस-यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए भारत सहित कतिपय देशों को रूस पर दबाव देना होगा, नहीं तो इन देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। अमेरिका ने कहा है कि भारत तेल खरीद कर रूस को यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध में परोक्ष तौर पर मदद कर रहा है। माना जा रहा है कि यूक्रेन संघर्ष पर रणनीति विफल होती देख ट्रंप ने यह दांव चला है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध समाप्ति कराने का दावा करने वाले ट्रंप को अमेरिका में आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को हर संभव मदद करने का भरोसा ट्रंप ने दिया है। ट्रंप की नजर यूक्रेन में मिलने वाली बहुमूल्य खनिज पदार्थों पर है।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

युवा बेबस क्यों

हर वर्ष देश में लाखों युवा स्नातक होते हैं, लेकिन उनका एक बड़ा हिस्सा अर्थपूर्ण रोजगार से वंचित रह जाता है। यह केवल बेरोजगारी नहीं, बल्कि शिक्षा और उद्योग के बीच गहराते असंतुलन का संकट है। भारत में लगभग 90 प्रतिशत रोजगार अनौपचारिक हैं, जिनमें न वेतन की सुरक्षा है, न सामाजिक कल्याण का आधार। आर्थिक वृद्धि युवाओं के लिए पर्याप्त अवसर नहीं गढ़ पा रही। भारत का युवा वर्ग सबसे अधिक प्रभावित है। 18 से 24 वर्ष के युवाओं में 83 प्रतिशत बेरोजगार ऐसे हैं, जिन्होंने माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त की है। फिर भी, स्नातकों में से लगभग आधे रोजगार के लिए तैयार नहीं माने जाते, क्योंकि उनमें डिजिटल और गणनात्मक कौशल की गंभीर कमी है। शिक्षा व्यवस्था को रोजगारपरक बनाना समय की मांग है। प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान को कम-से-कम एक औद्योगिक भागीदार के साथ औपचारिक गठजोड़ करना चाहिए और प्लेसमेंट को अनिवार्य उत्तरदायित्व माना जाना चाहिए। अवनीश कुमार गुप्ता, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के [illegible]
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

https://telegram.me/DailyPressNation